BRLF
भारत रूरल
लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24



BRLF
भारत रूरल
लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

सरकारों के साथ साझेदारी में सिविल सोसाईटी के कार्यों को उन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था

वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष: 2023–24



विषय-सूची

अध्यक्ष का संदेश 7

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन: परिचय 8

भौगोलिक कवरेज और जनसांख्यिकी 12

बीआरएलएफ अंतःक्षेपों का प्रभाव 14
- बीआरएलएफ गुणक प्रभाव: उत्तोलन (लेवरेज) 14
- बीआरएलएफ राज्य भागीदारी परियोजनाओं का प्रभाव 16
- कृषि में सुधार 19
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 19
- पशुधन विकास 20
- महिला नेतृत्व वाली संस्थाओं का विकास 20
- अधिकारों और हकदारियों तक पहुँच 21

बीआरएलएफ के विभाग 22

बीआरएलएफ के कार्यक्रम 24

राज्य भागीदारी परियोजनाएँ 26
- **पश्चिम बंगाल** 26
  - उषरमुक्ति प्लस परियोजना 26
- **छत्तीसगढ** 31
  - उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना, छत्तीसगढ़ 31
- **ओडिशा** 35
  - कृषि उत्पादन क्लस्टर (एपीसी) परियोजना 35
  - उत्कल की कृषि परिवर्तन के लिए कार्रवाई (UANAT) परियोजना 41
- **झारखंड** 43
  - जीवि दा: हासा उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना 43
- **बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर), असम** 47
  - जन जीवन उत्थान हेतु एकीकृत प्रबंधन के साथ विविधीकरण (DWIMU) परियोजना 47
- **तेलंगाना** 50
  - सामुदायिक वन अधिकार परियोजना, तेलंगाना 50
- **महाराष्ट्र** 54
  - उच्च प्रभाव आजीविका संवर्धन परियोजना, महाराष्ट्र 54
  - उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना, महाराष्ट्र 56
- **मध्य प्रदेश** 58
  - मध्य प्रदेश में विभिन्न कृषि पारिस्थितिकियों में प्रकृति के साथ सरेखित खेती का विस्तार 58

विशेष परियोजना: डी–नोटिफाइड ट्राइब्स (डीएनटी) परियोजना, महाराष्ट्र 61

सीएसआर परियोजना: काशीपुर, ओडिशा में एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम 63

सहायता अनुदान कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ साझेदारी 64

क्षमता निर्माण 66
- विश्वविद्यालय भागीदारी 67
  - शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से एमए–ग्रामीण प्रबंधन 68
  - विकास प्रबंधन में एमबीए: आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय जयपुर 69
- नागरिक समाज संगठनों की क्षमताओं का विकास 71
  - विकास और वृद्धि के लिए संगठनात्मक परिवर्तन पहल (OCEAN) 72
  - प्रबोधन 73
- ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया (जीएचसीआई) परियोजना 76

अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन 79

हिंदी राजभाषा विभाग 81

रणनीतिक साझेदारी और संसाधन संग्रहण 82

भागीदारी (पार्टनरशिप) 84

प्रबंधन 86
- पारदर्शिता और जवाबदेही 86
- ऑडिट 86
- संगठनात्मक संरचना 87

वित्त और लेखा 88



अध्यक्ष का संदेश

प्रिय मित्रों,

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला संदेश लिखते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। बीआरएलएफ की एक दशक की यात्रा को देखते हुए, मैं गहरे गर्व, आभार और संतुष्टि की भावना से अभिभूत हूँ। इन वर्षों के अनुभवों ने ग्रामीण और जनजातीय समुदायों के विकास में बीआरएलएफ की महत्वपूर्ण भूमिका को हमारी दृष्टि में और अधिक सुदृढ़ व स्पष्ट किया है। संगठन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर, वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट आपके साथ साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।

बीते वर्षों में, बीआरएलएफ एक अग्रणी सामाजिक विकास संगठन के रूप में विकसित हुई है। भारत के नागरिक समाज तंत्र में इसने अपनी अलग पहचान बनाई है और एक गौरवमयी स्थान स्थापित किया है। 10 राज्यों, 117 जिलों और विशेष रूप से 23,204 गाँवों में कार्यरत होते हुए, बीआरएलएफ ने वंचित समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों का सृजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विगत 10 वर्षों में, हमारे कार्यक्रमों ने 1,319,308 परिवारों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जनजातियों से आते हैं। इस यात्रा में, हमने 06 राज्य सरकारों, 85 से अधिक सिविल सोसाइटी संगठनों और विभिन्न कॉरपोरेट एवं परोपकारी फाउंडेशनों के साथ मजबूत साझेदारियाँ स्थापित की हैं।

हमारे अभिनव दृष्टिकोण, विशेष रूप से राज्य भागीदारी मॉडल, ने वित्तीय सहयोग और उसके प्रभाव के बीच के अंतर को पाटने का सफल प्रयास किया है। इसने जनजातीय समुदायों के बीच गहरे विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण किया है और सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाया है। हमने रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से 4,687 करोड़ रुपये का प्रभावशाली लाभ उठाया है, जिससे प्रत्येक निवेशित रुपये पर 30 रुपये का प्रतिफल प्राप्त हुआ है। इस कुशल, प्रभावी और विस्तारशील मॉडल ने 3,04,000 परिवारों को मूल्यवान संपत्तियों का हकदार बनाया है, जिससे वे गरीबी के चक्र को तोड़ने और 121,879 हेक्टेयर में सतत कृषि प्रथाओं को अपनाने में सक्षम हुए हैं। क्षमता निर्माण हमारे प्रयासों का केंद्र बना हुआ है, जिसमें युवा जनजातीय पेशेवरों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए अभिनव विश्वविद्यालय साझेदारी एवं छात्रवृत्ति जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। हमारा अनुसंधान एवं ज्ञान प्रबंधन प्रयास नीति और व्यवहार के लिए ग्रामीण आजीविका पर साक्ष्य–आधारित नींव तैयार करने पर केंद्रित है।

आगे की यात्रा में, हम रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से अपने प्रभाव को और बढ़ाने, जनजातीय समुदायों के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करने, और क्षमता निर्माण एवं ज्ञान प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

इस प्रतिष्ठित संगठन की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाना और समर्पित कर्मचारियों एवं बोर्ड सदस्यों की टीम के साथ मिलकर काम करना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। इस अवसर पर, मैं केंद्र और राज्य सरकारों, हमारे समर्थकों और साझेदारों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उन समुदायों का विशेष धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हम पर अपना विश्वास प्रकट किया। आइए, हम सब मिलकर "आत्मनिर्भर, समृद्ध ग्रामीण एवं सशक्त जनजातीय भारत" निर्माण के साझा लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें।

गिरीश प्रभुणे
अध्यक्ष
भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ)

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन: परिचय

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (www.brlf.in) एक स्वायत्त संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 2013 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन की गई थी। इस मकसद के साथ कि भारत भर के सबसे सुभेद्य आदिवासी और ग्रामीण बाशिंदों की आजीविका और जिन्दगी को बेहतर किया जा सके बीआरएलएफ, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) द्वारा सरकार के साथ साझेदारी में किये जाने वाले कार्यों को बढ़ावा देने और उनके कार्यों को सुविधाजनक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही विभिन्न नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के प्रयासों का समन्वय एवं समर्थन करते हुए उन्हें सरकारी पहल के साथ जोड़ना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है।

बीआरएलएफ को मिले अधिदेश में कई उद्देश्यों को शामिल किया है जैसे किसी परियोजनाओं के लिए खर्च की जाने वाली राशि और परिणामों के बीच की दूरी को कम करना, सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को बेहतर बनाना, सीएसओ को आर्थिक सहायता देना और समावेशी विकास के लिए साझेदारियों को बढ़ावा देना शामिल है।

बीआरएलएफ एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहाँ भारत के आदिवासी और ग्रामीण समुदाय स्थायी आजीविका, सर्वांगीण समृद्धि, सशक्तीकरण और सम्मान का अनुभव करें। वंचित समुदायों को सशक्त बनाना केवल एक लक्ष्य भर नहीं है, बल्कि यह बीआरएलएफ द्वारा किये जाने वाले सभी प्रयासों के मूल में निहित है। इसी का नतीजा है कि बीआरएलएफ यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि जो समुदाय सबसे अधिक हाशिये पर हैं, उनकी आवाज सुनी जाए, उनका सम्मान हो और निर्णय लेने में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आदिवासी और ग्रामीण समुदायों ने लंबे समय से चुनौतियों और भेदभावों का सामना किया है, आज ये समुदाय मात्र बीआरएलएफ की परियोजनाओं के भागीदार ही नहीं हैं, बल्कि बीआरएलएफ के सक्रिय सहभागी हैं। उन्हें उनकी आगामी जरूरतों को धयान में रखते हुए सहायता दी जाती है, जिससे उनकी क्षमता बढ़ती है और सभी के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करते हैं।

सहकारी मॉडल की सहूलियत के लिए बीआरएलएफ ने राज्यों के साथ साझेदारी का एक अनूठा ढाँचा तैयार किया है जहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं, नागरिक समाज संगठनों, समुदायों और दानदाताओं के साथ सक्रियता से जुड़ते हुए नागरिक समाज संगठन के कार्यों को तीव्र किया जाता है। बीआरएलएफ का यह मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि सभी संबंधित पक्ष परियोजना के योजना–निर्माण से लेकर कार्यान्वयन और निगरानी तक प्रक्रिया में शामिल हों, जिससे परियोजना को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकें। बीआरएलएफ का कार्यक्षेत्र पूरे भारत में है, लेकिन प्रारंभ में मुख्य ध्यान केंद्रीय भारतीय आदिवासी क्षेत्र के उन दस राज्यों पर है, जहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते हैं।

वृहद स्तर की सहयोगात्मक कार्ययोजनाओं को लागू करने के लिए बीआरएलएफ ने छह राज्यों की सरकारों के साथ साझेदारी की है जो सरकारी विभागों, कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ), सामुदायिक संगठनों (सीबीओ) और जन संस्थानों को एक साथ लाती हैं। इन दीर्घकालिक साझेदारियों (जो औपचारिक रूप से समझौता ज्ञापन या MoU के माध्यम से की गई हैं) के तहत, बीआरएलएफ ने वाटरशेड विकास, कृषि उत्पादन क्लस्टर, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पशुधन विकास, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, और संस्थानों व क्षमता निर्माण पर प्रमुख परियोजनाओं को लागू किया है।

राज्य सरकारें इन कार्यक्रमों के लिए वित्त प्रदान करती हैं जबकि बीआरएलएफ अपने संसाधनों से नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) को कई तरह की सुविधाएँ मुहैया करवाता है जैसे– मानव संसाधन को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण में मदद करता है। सीएसओ का चयन उनके पिछले काम, प्रस्तावित परियोजना और बीआरएलएफ के उद्देश्यों के साथ संरेखण आधार पर राज्य सरकारों और बीआरएलएफ द्वारा मिलकर किया जाता है। इन परियोजनाओं की देखरेख राज्य सरकारें और बीआरएलएफ संयुक्त रूप से करते हैं।

विजन

बीआरएलएफ एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहाँ भारत में ग्रामीण और आदिवासी समुदाय आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, सर्वांगीण समृद्धि, एवं सशक्तीकरण के साथ गरिमामय जीवन यापन करें।

मिशन

बीआरएलएफ का उद्देश्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में नागरिक समाज की कार्रवाई को बढ़ाकर कमजोर ग्रामीण समुदायों के जीवन और आजीविका को बदलाव लाना है।

बीआरएलएफ के आधारभूत मूल्य और सिद्धांत

बीआरएलएफ भारत के संवैधानिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। हम समानता और सामाजिक न्याय के लिए तत्पर हैं, इसके अतिरिक्त सभी संसाधनों, अवसरों, क्षमताओं और परिणामों के लिए निष्पक्ष और समान पहुँच सुनिश्चित करते हैं।

हम परिवर्तनकारी, सतत सामाजिक परिवर्तन के हमारे दृष्टिकोण को साकार करने के लिए हमारे संगठनात्मक संरचनाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित परिचालन सिद्धांतों को समाहित करते हैं:



सहयोग: बीआरएलएफ को सहकार्यता और साझा ज्ञान की शक्ति पर विश्वास है। हम ग्रामीण समुदायों में महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नागरिक समाज संगठन, सरकारों, प्रतिनिधियों, समुदायों और कंपनियों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम सहयोगात्मक लाभ, आपसी लर्निंग, विविध विचार, सम्मान, टीमवर्क और खुले संवाद की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।



पारदर्शिता और जवाबदेही: बीआरएलएफ अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सुशासन के सिद्धांतों का पालन करते हैं, संसाधनों, विशेषाधिकारों और शक्ति का जिम्मेदार उपयोग और समान परिणामों के लिए पुनर्वितरण सुनिश्चित करते हैं।



नवाचार: बीआरएलएफ नवाचार को अपनाता है और ग्रामीण समुदायों की जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए विचारों, दृष्टिकोणों और समाधानों की तलाश करता है। हम सतत विकास और आजीविका को चलाने के लिए रचनात्मकता, सीखने और नवीन प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं।



उत्कृष्टता: हम उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें उच्चतम मानकों के लिए प्रयास करते हैं। हम प्रभावशाली एवं दीर्घकालिक परिणाम देने की कोशिश करते हैं और जमीनी स्तर पर सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं और प्रथाओं में लगातार सुधार करते हैं।

बीआरएलएफ का कार्यक्षेत्र

- कार्यक्रम (परियोजना) परिव्यय (वित्तपोषण) और परिणामों (वास्तविक प्रभावों) के बीच की खाई को पाटना।
- आदिवासी लोगों के बीच अलगाव की भावना को समाप्त करना और भारतीय लोकतंत्र में उनका विश्वास जीतना।
- सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करना।
- परियोजना प्रबंधन और संस्थागत लागतों के लिए नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) को अनुदान सहायता प्रदान करना।
- मध्य भारतीय जनजातीय क्षेत्र में समावेशी विकास की दिशा में राज्य सरकारों, नागरिक समाजों, पंचायती राज संस्थानों और निगमों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना।
- मध्य भारतीय जनजातीय क्षेत्र में अग्रणी ग्रामीण कार्यकर्ताओं की क्षमता का निर्माण।
- कृषि और जल प्रबंधन में समुदाय आधारित स्थायी प्रथाओं को बढ़ाना।

प्रमुख विषयगत क्षेत्र

- **सतत आजीविका:** समुदाय–आधारित संगठनों और महिलाओं के नेतृत्व वाले संस्थानों की सुविधा के माध्यम से कृषि, जल, पशुधन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थायी आजीविका प्रथाओं को बढ़ाना
- **क्षमता निर्माण:** व्यक्तियों और समुदाय–आधारित संगठनों के बीच बेहतर योजना, आजीविका रणनीति और अभ्यास के लिए जमीनी स्तर की क्षमता का निर्माण
- **विकास के लिये साझेदारी:** सरकारी योजनाओं और हकों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने के लिये सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, पंचायती राज संस्थानों और नागरिकों के बीच मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देना।

- **अधिकारों और हकदारियों तक पहुँच:** अधिकारों और हकदारियों तक पहुँच को मजबूत करना, मुख्य रूप से सामुदायिक वन अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना और ग्रामीण और आदिवासी आबादी के लिये वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत वन आधारित आजीविका में सुधार करना।
- **पीवीटीजी और घुमंतू जनजातियाँ:** सीमांत और खास तौर से गरीब कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) और गैर–अधिसूचित एवं घुमंतू जनजातियों (डीएनटी/एनटी) की सामाजिक पात्रता और आजीविका को मजबूत करना।

मूल्य प्रस्थापना

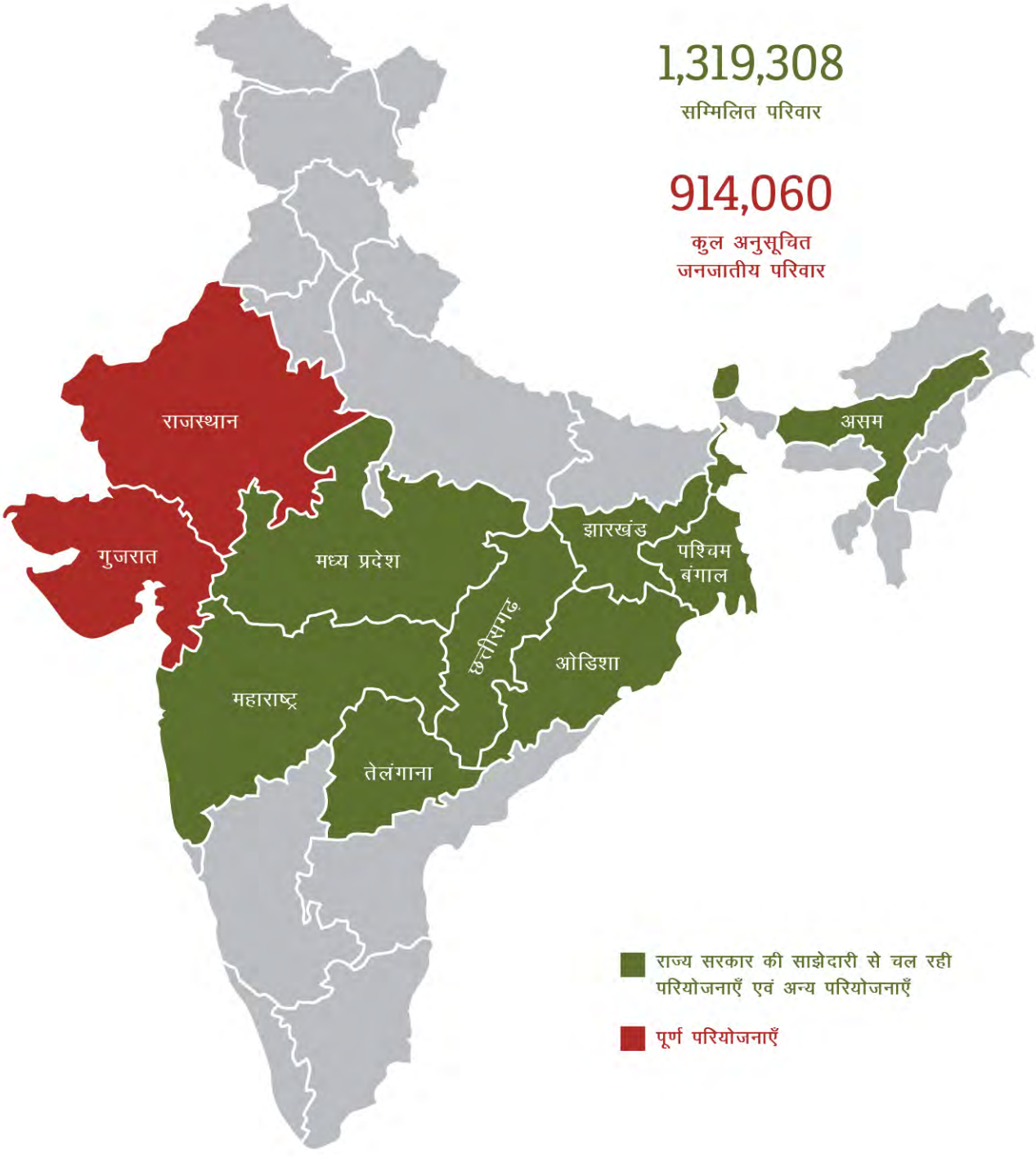
- आजीविका सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री की पहल का सहयोग करना
- किसानों की आय में लगातार वृद्धि करना
- सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता
- ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए नवाचार।
- गैर–लकड़ी वन उपज (एनटीएफपी) और कृषि उपज के लिए मूल्य शृंखला विकास
- राज्य सरकारों को सीएसआर और सीएसओ साझेदारी के लिये एक विंडो प्रदान करना

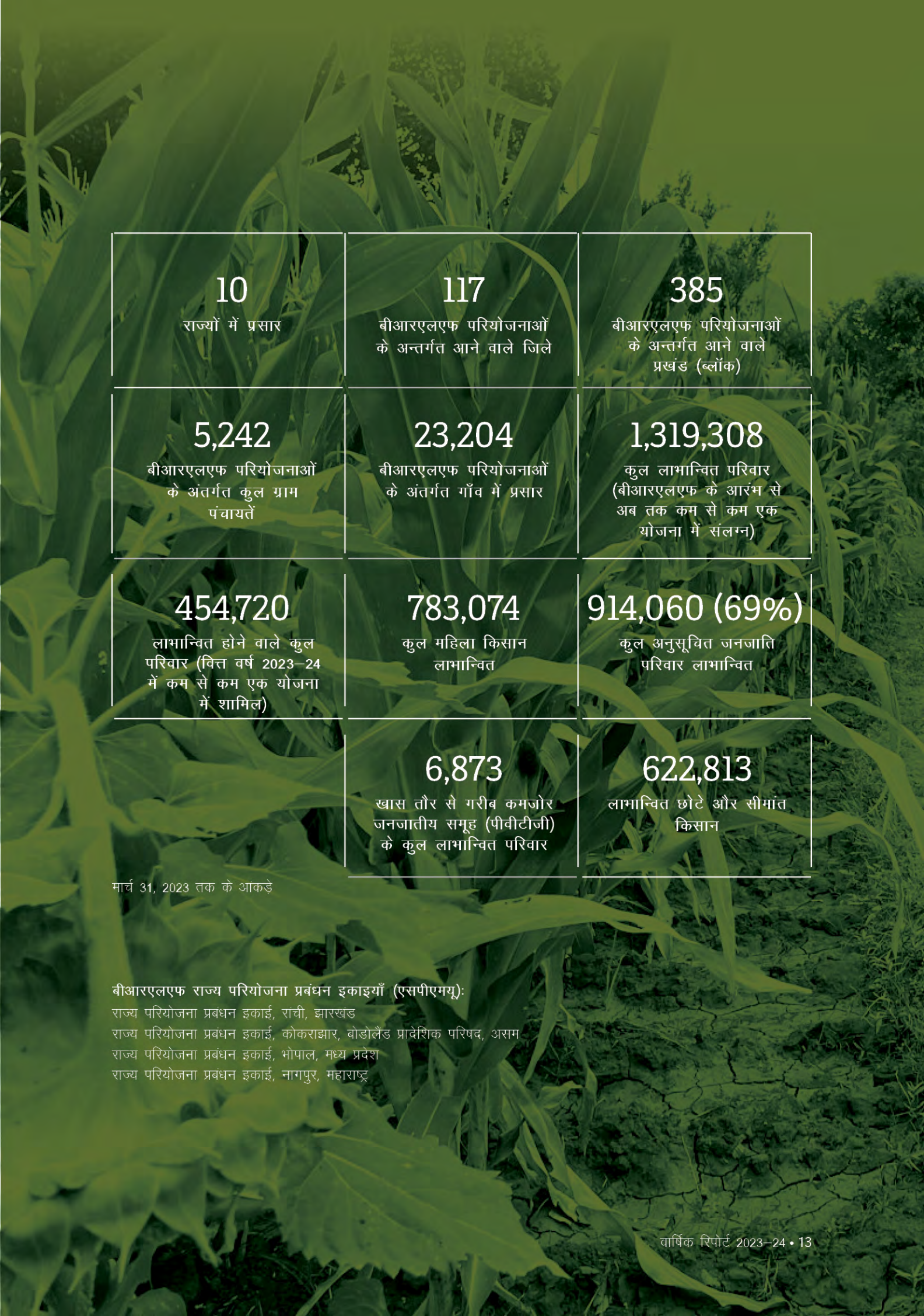
बीआरएलएफ का काम प्रभावशाली है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जुड़ा हुआ है। यह संरेखण सुनिश्चित करती है कि हमारे प्रयास बेहतर और अधिक सतत भविष्य के लिए वैश्विक एजेंडे में योगदान कर सकते हैं।





भौगोलिक कवरेज और जनसांख्यिकी





10 राज्यों में प्रसार	**117** बीआरएलएफ परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले जिले	**385** बीआरएलएफ परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले प्रखंड (ब्लॉक)
5,242 बीआरएलएफ परियोजनाओं के अंतर्गत कुल ग्राम पंचायतें	**23,204** बीआरएलएफ परियोजनाओं के अंतर्गत गाँव में प्रसार	**1,319,308** कुल लाभान्वित परिवार (बीआरएलएफ के आरंभ से अब तक कम से कम एक योजना में संलग्न)
454,720 लाभान्वित होने वाले कुल परिवार (वित्त वर्ष 2023–24 में कम से कम एक योजना में शामिल)	**783,074** कुल महिला किसान लाभान्वित	**914,060 (69%)** कुल अनुसूचित जनजाति परिवार लाभान्वित
	6,873 खास तौर से गरीब कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के कुल लाभान्वित परिवार	**622,813** लाभान्वित छोटे और सीमांत किसान

मार्च 31, 2023 तक के आंकड़े

बीआरएलएफ राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ (एसपीएमयू):

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, रांची, झारखंड
राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, कोकराझार, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, असम
राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, भोपाल, मध्य प्रदेश
राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, नागपुर, महाराष्ट्र

बीआरएलएफ अंत:क्षेपों का प्रभाव

बीआरएलएफ गुणक प्रभावः उत्तोलन (लेवरेज)

बीआरएलएफ 'उत्तोलन' (लाभ प्राप्ति) को उस तरीके को परिभाषित करता है जिसमें उपलब्ध धन, संसाधन और क्षमताओं का उपयोग किसी सरकारी कार्यक्रम या परियोजना के लाभ और प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि सरकारी खर्च का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इन संसाधनों का उपयोग करना, जिससे अकेले व्यक्तिगत प्रयासों की तुलना में बेहतर परिणाम मिल सकें।

उदाहरण के लिए, बीआरएलएफ राज्य साझेदारी परियोजनाओं में सरकारी धन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश जैसे अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। इसमें सफल तरीकों को बढ़ाना, अधिक लक्षित परिवारों तक पहुँचना, संपत्ति बनाना, आजीविका उत्पादकता और विविधता बढ़ाना और सामाजिक–आर्थिक परिणामों में सुधार करना शामिल हो सकता है।



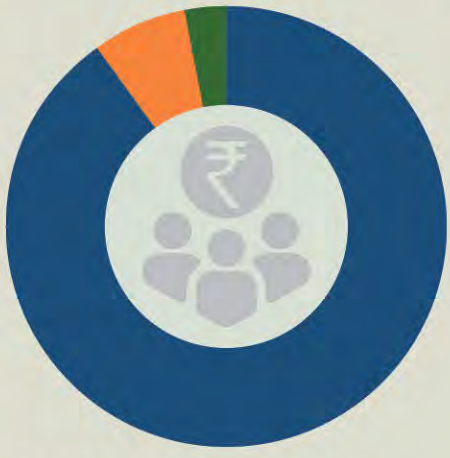


राज्य सरकारों के साथ मिलकर बीआरएलएफ ने 31 मार्च, 2024 तक 4687.00 करोड़ रुपए का लाभ उठाया है। इसी दौरान, बीआरएलएफ ने परियोजनाओं के लिए संस्थागत, अनुदान और सीएसआर फाउंडेशन से 356.00 करोड़ रुपए जुटाए हैं।

बीआरएलएफ की स्थापना के बाद से, उसने अपने संसाधनों के माध्यम से अनुदान में 170.00 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसका मतलब है कि 31 मार्च, 2024 तक कुल 1:30 का उत्तोलन और सह–वित्त अनुपात है। बीआरएलएफ द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपए के बदले सरकारी और गैर–सरकारी संसाधनों से लगभग 30 रुपए तक का लाभ उठाया जाता है।

वर्ष 2022–23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में सरकारी योजनाओं के माध्यम से उत्तोलन में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि बीआरएलएफ निवेश के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सरकारी धन का उपयोग करने की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है। यह बीआरएलएफ और सरकारी योजनाओं के बीच मजबूत सहयोग पर प्रकाश डालता है, जो ग्रामीण विकास के लिए संसाधन जुटाने को बढ़ाता है।

फंड का लाभः गुणात्मक प्रभाव

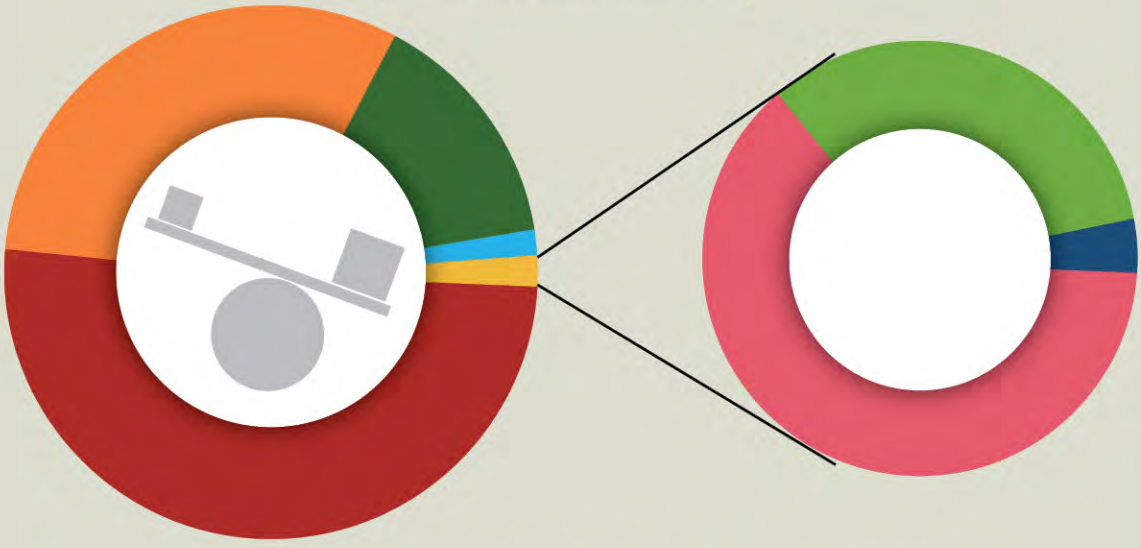


- सरकारी योजनाओं द्वारा लाभः **90%**
- बीआरएलएफ निवेश (सीएसओ को अनुदान): **3%**
- सह–वित्त (सीएसआर और संस्थागत भागीदारियाँ): **7%**

मार्च 31, 2024 को संचयी (करोड़ रुपए में)	वित्तीय वर्ष 2023–2024 संचयी (करोड़ रुपए में)	मार्च 31, 2023 को संचयी (करोड़ रुपए में)
बीआरएलएफ निवेश (सीएसओ को अनुदान): **170.00**	बीआरएलएफ निवेश (सीएसओ को अनुदान): **21.00**	बीआरएलएफ निवेश (सीएसओ को अनुदान): **149.00**
सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ **4687.00**	सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ **432.00**	सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ **4255.00**
सह–वित्त (सीएसआर और संस्थागत साझेदारी): **356.00**	सह–वित्त (सीएसआर और संस्थागत साझेदारी): **–**	सह–वित्त (सीएसआर और संस्थागत साझेदारी): **356.00**
उत्तोलन और सह–वित्त को अनुदान का अनुपात **1:30**	उत्तोलन और सह–वित्त को अनुदान का अनुपात **–**	उत्तोलन और सह–वित्त को अनुदान का अनुपात **1:31**

राज्यवार संचयी लेवरेज डेटा
(31 मार्च, 2024, करोड़ रुपये में)

(केवल राज्य भागीदारी परियोजनाओं के लिए)



- छत्तीसगढ़, ₹1,273 करोड़
- ओडिशा, ₹603 करोड़
- झारखंड, ₹60 करोड़
- पश्चिम बंगाल, ₹2,063 करोड़
- महाराष्ट्र, ₹36 करोड़
- बीटीआर, आसाम, ₹19 करोड़
- मध्य प्रदेश, ₹2 करोड़

बीआरएलएफ राज्य भागीदारी परियोजनाओं का प्रभाव

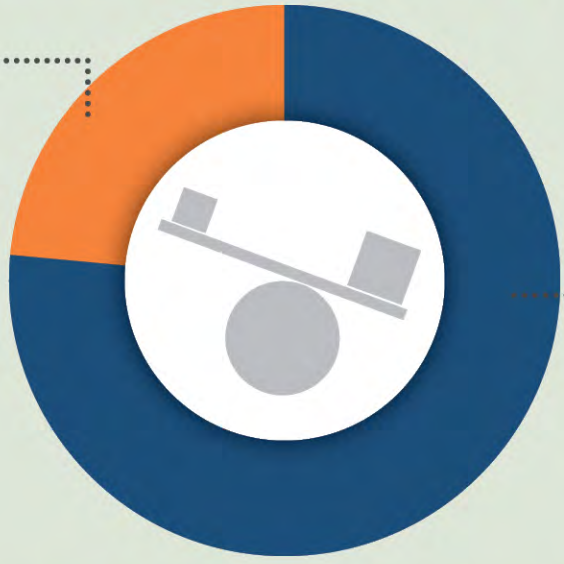
बीआरएलएफ की बड़े पैमाने पर राज्य साझेदारी परियोजनाओं ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की हैं। 518,000 से अधिक परिवारों को आजीविका अंतःक्षेप से लाभ हुआ है, जबकि 304,000 से अधिक परिवारों के पास अब मूल्यवान संपत्ति है। राज्य साझेदारी परियोजनाओं का प्रभाव 360,000 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र तक फैला हुआ है, जो भूमि उपचार को बढ़ाने में योगदान देता है। इसके अलावा, दोहरी फसलों की खेती और दीर्घकालिक सतत वनस्पति को बढ़ावा देने, स्थायी कृषि प्रथाओं को सुविधाजनक बनाने और ग्रामीण समुदायों में विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावशाली 121,948 हेक्टेयर सुनिश्चित किया गया है।



राज्य साझेदारी परियोजनाओं के तहत डेटा

विवरण	वित्त वर्ष 2023–24 में उपलब्धि	मार्च 31, 2024 तक संचयी डेटा
कृषि अंतःक्षेप (पहल) के तहत कवर किए गए परिवार	2,36,639	4,06,177
हेक्टेयर में कृषि के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (सब्जियाँ, तिलहन, दलहन, अनाज और अन्य फसलें शामिल हैं)	56,917	58,409
गैर–कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) आधारित कृषि के तहत कवर किए गए परिवार	57,989	59,643
एनपीएम के तहत कवर किया गया क्षेत्र हेक्टेयर में	12,105	13,121
एकड़ में सृजित कुल सिंचाई क्षमता	2,11,057	2,47,821
दोहरी फसल और लंबी अवधि की वनस्पति के लिए विकसित कुल सिंचित क्षेत्र	86,125	1,21,879
भूमि और जल संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आने वाले परिवार	2,94,946	4,56,231
एकड़ में भूमि और जल संसाधन संरक्षण के तहत उपचारित क्षेत्र	4,33,524	10,98,677
विकसित कृषि उत्पादन समूहों की संख्या	84	1,071
उत्पादक समूहों के अंतर्गत आने वाले परिवार	79,406	2,06,735
किसान उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के तहत शेयरधारकों की संख्या	25,332	86,453
गठित निर्माता समूहों की संख्या	1,424	2,411
गैर–लकड़ी वन उपज (NTFP) आधारित आजीविका में शामिल परिवारों की संख्या	17,030	42,487
सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) हेतु दायर की गई दावों की संख्या	86	164

राज्य भागीदारियाँ परियोजनाएँः लाभ के स्रोत



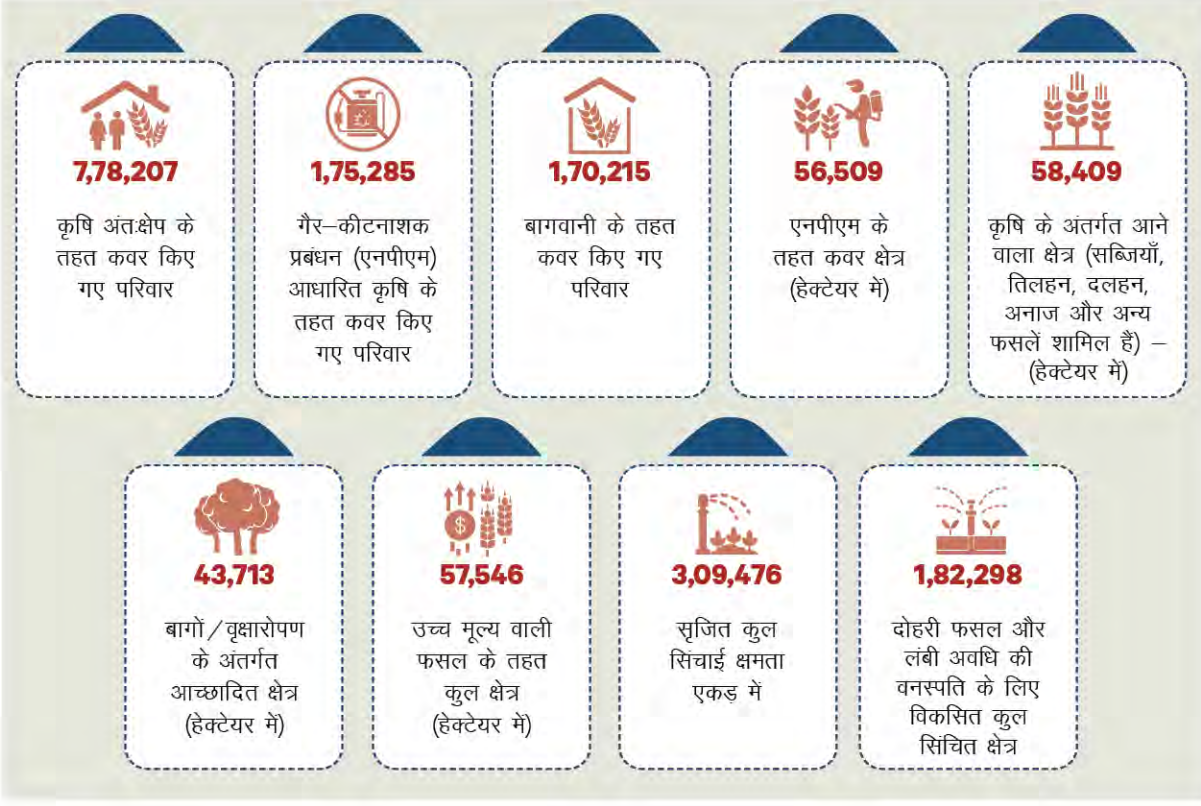
23%
अन्य आजीविका योजनाओं से जुटाई गई कुल लेवरेज (करोड़ों में) 939

77%
मनरेगा से जुटाई गई कुल लेवरेज (करोड़ों में) 3,063



कृषि में सुधार

बीआरएलएफ का लक्ष्य है – दीर्घकालिक सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना, उत्पादन बढ़ाना, सामूहिक खेती पर ध्यान केंद्रित करना और छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए एक विशिष्ट पहचान बनाकर बाजारों से जोड़ना। अन्य प्रचारित प्रथाओं में शामिल हैं– सूखी बुवाई, फसल पैटर्न में परिवर्तन, ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई, जैविक मल्चिंग और गेहूँ/चावल की जड़ों का गहनता से विकास करना। बीआरएलएफ गैर–कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) पद्धति को भी बढ़ावा देती है, रासायनिक मुक्त खेती को प्रोत्साहित करती है, कृषि अवशेषों को खाद बनाने और पुनर्चक्रण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता का निर्माण करती है और रासायनिक कीटनाशकों को चरणबद्ध करती है।



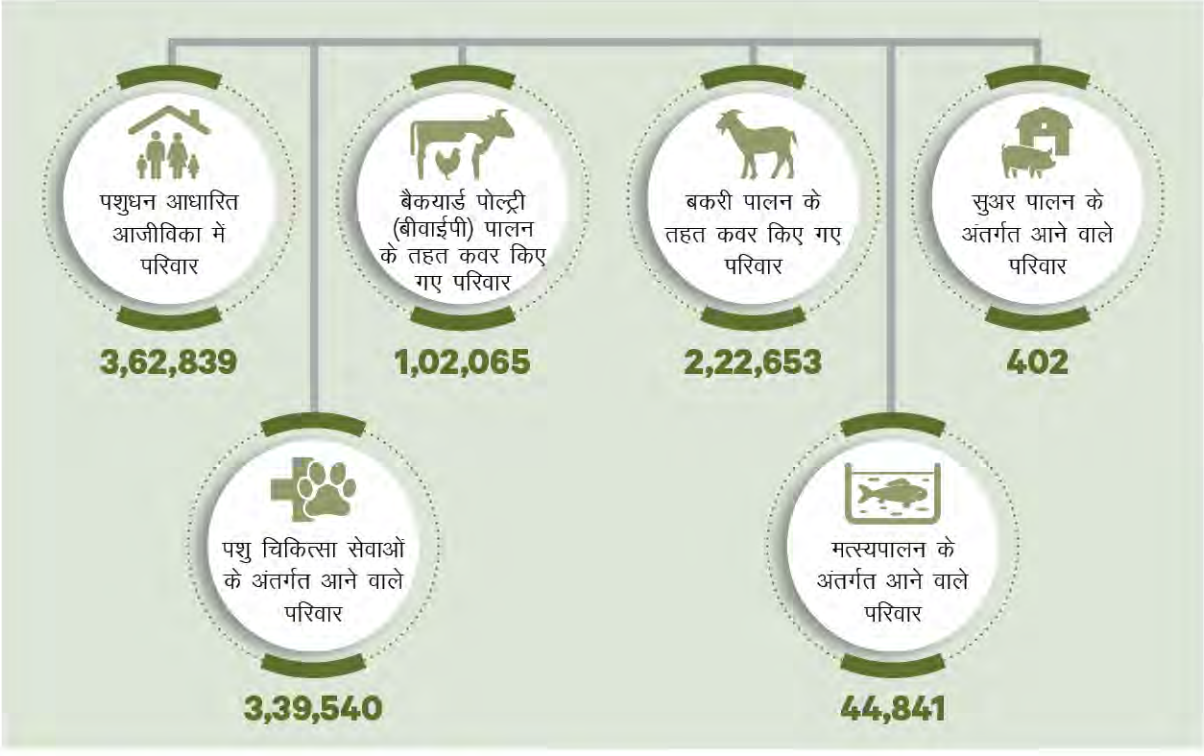
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) मध्य भारतीय जनजातीय बेल्ट में बीआरएलएफ के काम महत्वपूर्ण है। बीआरएलएफ मनरेगा जैसे राज्य कार्यक्रमों से संसाधनों का लाभ उठाती है, जल संचयन संरचनाओं, मिट्टी के कटाव नियंत्रण और इन–सीटू नमी के संरक्षण के माध्यम से जलवायु लचीलापन बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका उद्देश्य खरीफ मौसम में सूखे के दौरान सुरक्षात्मक सिंचाई प्रदान करने और साल भर पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी अल्पकालिक समस्याओं का समाधान करना है। परियोजनाओं के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों के माध्यम से मृदा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने से क्षेत्र की कृषि उत्पादकता, पानी की उपलब्धता और समग्र पर्यावरणीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

भूमि और जल संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आने वाले परिवार	5,01,559
भूमि और जल संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (एकड़ में)	11,44,877
गैर–लकड़ी वन उपज (NTFP) अंतःक्षेप के तहत कवर किए गए परिवार	72,329
वृक्षारोपण के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	63,745

पशुधन विकास

मध्य भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए आजीविका के तरीकों में विविधता लाना जरूरी है। इस क्षेत्र में बारिश पर निर्भर पशुधन प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ छोटे जुगाली करने वाले जानवर और मवेशी आदिवासी समुदायों की आजीविका के मुख्य हिस्से हैं। पशुधन घरेलू आय में अच्छा योगदान देता है, लेकिन बीमारियाँ और मृत्यु दर जैसी चुनौतियाँ भी होती हैं। बीआरएलएफ और उसके सहयोगी मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में पशुधन आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में मछली पालन एक महत्वपूर्ण और पसंदीदा प्रयास के रूप में उभर रहा है, जिसे परियोजनाओं के तहत बनाई गई संपत्तियों से सहयोग मिलता है।



महिला नेतृत्व वाली संस्थाओं का विकास

बीआरएलएफ की रणनीति विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले संस्थानों को बनाना और उनका सहयोग करना है। सीएसओ भागीदार समुदाय आधारित विकास प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए इन संस्थानों की क्षमताओं की स्थापना, सुदृढ़ीकरण और निर्माण पर काम करते हैं।

विकसित कृषि उत्पादक क्लस्टर	1,191
उत्पादक समूहों के अंतर्गत आने वाले परिवार	2,06,735
किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के तहत शेयरधारकों की संख्या	1,19,086
गठित निर्माता समूहों की संख्या	2,411
प्रचारित (गठित और अपनाए गए) एफपीसी/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की संख्या	168
शेयरधारकों की संख्या जो एफपीसी का हिस्सा हैं	1,31,802



अधिकारों और हकदारियों तक पहुँच

बीआरएलएफ और उसके सहयोगी यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि सबसे गरीब लोगों की मनरेगा, वन अधिकार अधिनियम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित विभिन्न अधिकारों और योजनाओं तक पहुँच हो। बीआरएलएफ वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार दावों तक पहुँच भी सुनिश्चित करती है।

एनटीएफपी आधारित आजीविका में शामिल परिवार	42,487
आवास योजना के तहत परिवारों को मिला लाभ	22,949
पेंशन योजना के तहत परिवारों को लाभ मिला	1,458
वन अधिकार अधिनियम के तहत लाभान्वित परिवार	14,886
वन अधिकार अधिनियम के तहत कुल दावों का निपटान	3,602
प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े परिवार	1,33,260
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से जुड़े परिवार	1,02,321
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से जुड़े परिवार	57,410
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से जुड़े परिवार	1,95,978
प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से जुड़े परिवार	40,495
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर किए गए परिवार	62,821
ग्रामीण पेयजल योजना/स्वच्छता के माध्यम से परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है	64,073
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले परिवार	20,280

बीआरएलएफ के विभाग

बीआरएलएफ में तीन अलग–अलग विभाग डोमेन शामिल हैं: कार्यक्रम, अनुसंधान एवं ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण। इसके चार विभाग रणनीतिक रूप से सहायक भूमिका निभाते हैं: संसाधन संग्रहण, संचार, मानव संसाधन प्रबंधन और वित्त एवं लेखा। इनमें से प्रत्येक विभाग और कार्यों की देखरेख बीआरएलएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की निगरानी में होता है।

कार्यक्रम विभाग

बीआरएलएफ के अन्दर कार्यक्रम विभाग सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके मुख्य कार्यों में अनुदान देना, सह–वित्तपोषण और सरकारी प्रमुख कार्यक्रमों और पहलों को निष्पादित करना, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और सरकारी निकायों के साथ संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना और सीएसओ को विषयगत क्षेत्रों पर विशेष तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है। बीआरएलएफ सरकारी पहलों के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलन में विशेष रूप से जमीनी स्तर पर सीएसओ को सक्रिय रूप से सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ सहायता भी करती है। कार्यक्रम विभाग नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) को अपनी योजनाओं में सहयोगी तरीकों, खासकर पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई) को शामिल करने में मदद करता है।



क्षमता निर्माण विभाग

बीआरएलएफ का क्षमता–निर्माण (CB) विभाग भारत के जनजातीय भौगोलिक क्षेत्रों में ग्रामीण विकास की पहल के प्रभावी कामकाज और वितरण के लिए महत्वपूर्ण संस्थानों और पेशेवरों की क्षमताओं का पोषण करना चाहता है। बीआरएलएफ की क्षमता–निर्माण पेशकश नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ), समुदाय–आधारित संगठनों (सीबीओ), पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), ग्रामीण विकास पेशेवरों और मनरेगा और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) जैसी स्थायी आजीविका में सरकार की प्रमुख योजनाओं को लागू करने में लगे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की उभरती जरूरतों को पूरा करती है।

बीआरएलएफ के लर्निंग प्रोग्राम्स के पोर्टफोलियो में ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं जो विभिन्न हितधारकों की जरूरतों के अनुसार बनाए गए हैं और जिनका उद्देश्य निम्नलिखित है:

1. ग्रामीण विकास पेशेवरों की तकनीकी क्षमताओं का विकास करना, जिसमें ग्रामीण प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, मृदा और जल संरक्षण, सहभागी भूजल प्रबंधन, पीजीडब्ल्यूएम, सतत कृषि और कृषि एवं गैर–कृषि आजीविका उपाय शामिल हैं।
2. नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और सामुदायिक आधारित संगठनों (सीबीओ) की संगठनात्मक क्षमताओं को मजबूत करना, जिसमें सुशासन, संस्थान निर्माण, व्यवसाय योजना और विकास, निगरानी, मूल्यांकन और अधिगम (एमईएल), वित्तीय प्रबंधन और गैर–लाभकारी संगठनों तथा सीबीओ के लिए नियामक अनुपालन, परिचालन उत्कृष्टता और संगठनात्मक विकास शामिल हैं।
3. सामुदायिक आधारित संगठन (सीबीओ) के सदस्यों, पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई) के प्रतिनिधियों, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और सामुदायिक मुखिया की नेतृत्व क्षमताओं का विकास करना, ताकि वे संस्थानों और समुदायों में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने में सक्षम हो सकें।

अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन विभाग

बीआरएलएफ में अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन टीम का लक्ष्य भारत में जनजातीय समुदायों की ग्रामीण आजीविका के बारे में तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित ज्ञान का निर्माण करना है। यह टीम बीआरएलएफ की राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों, सरकार, सिविल सोसायटी समूहों और समुदायों के साथ मिलकर मूल शोध और ज्ञान सारांश तैयार करती है। ये सारांश ग्रामीण आजीविका और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर मौजूदा नीतियों और प्रथाओं में व्यावहारिक इनसाईट प्रदान करते हैं।

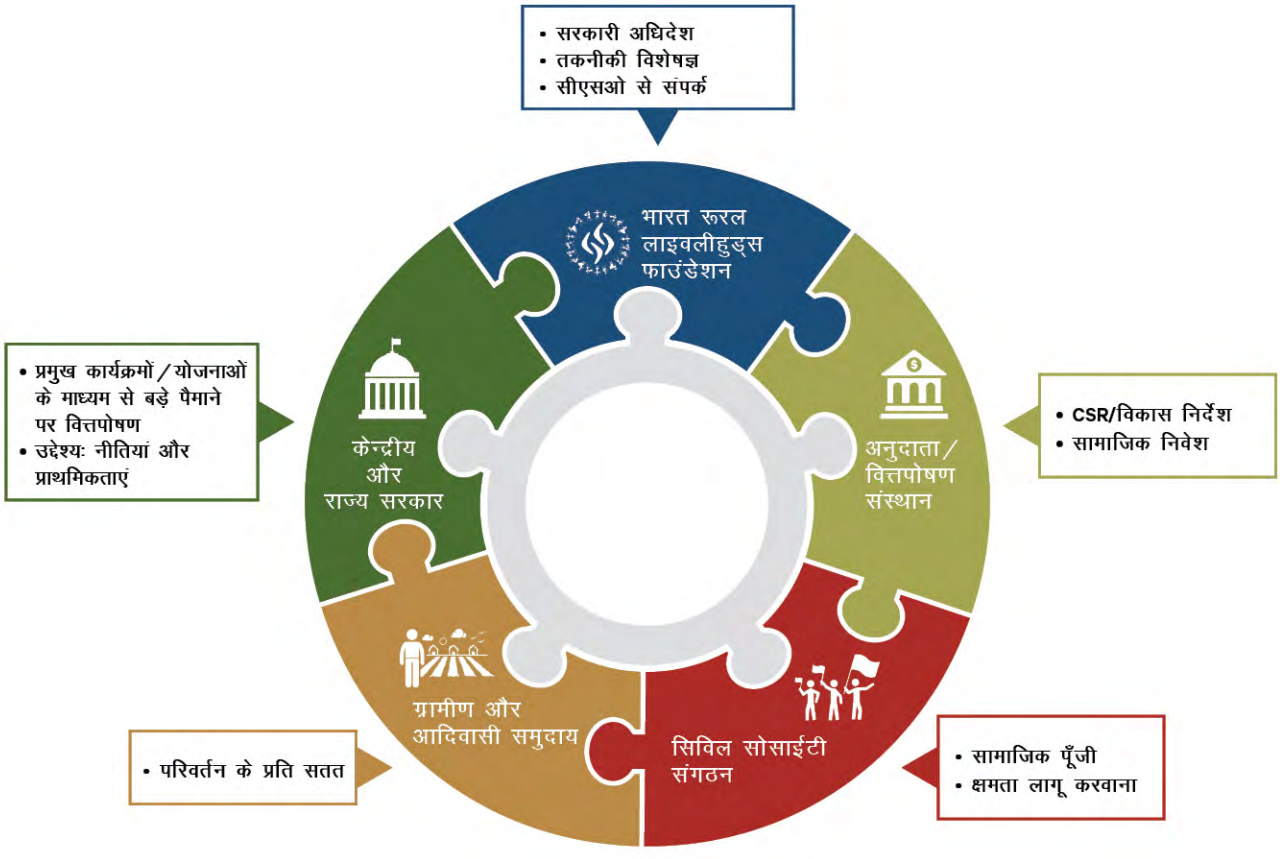
यह टीम एक सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) का प्रबंधन भी करती है, जो एक सुदृढ़ निगरानी, मूल्यांकन, और सीखने का ढांचा तैयार करती है। यह ढांचा, कार्यक्रमों में डेटा आधारित निर्णय लेने को समर्थन देकर संगठन में एक सीखने की संस्कृति विकसित करने में मदद करता है, अनुदान के लिए सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाता है और बीआरएलएफ और इसके साझेदारों द्वारा समर्थित परियोजनाओं की भौतिक और आर्थिक प्रगति का विस्तृत डेटा एकत्र करता है।



बीआरएलएफ के कार्यक्रम

कार्यक्रम विजन

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) ने मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों के भीतर प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति विकसित की है। प्रारंभ में, बीआरएलएफ ने स्टैंडअलोन परियोजनाओं के लिए अनुदान के माध्यम से नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) का सहयोग किया। समय के साथ, स्केलेबिलिटी, दृश्यता और सहयोग के संदर्भ में इस दृष्टिकोण की सीमाओं को पहचानते हुए, बीआरएलएफ एक ऐसे मॉडल की ओर स्थानांतरित हो गया जो राज्य सरकारों के साथ सीधी साझेदारी और सीएसओ की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। बीआरएलएफ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, मनरेगा, कृषि और सामुदायिक वन अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े पैमाने पर आजीविका कार्यक्रमों पर सात राज्य सरकारों के साथ काम करती है।



बीआरएलएफः राज्य सरकारों के साथ ऐसे छोटे और प्रभावशाली सीएसओ से जुड़ती है जो बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों को लागू करने में सक्षम होते हैं।

यह साझेदारी मॉडल, जो अब बीआरएलएफ के कार्यों का एक प्रमुख आधार है, राज्य सरकारों, सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) और बीआरएलएफ के बीच अधिक मजबूत और प्रभावशाली सहयोग को प्रोत्साहित करता है। यह मॉडल उस आधार पर कार्य करता है, जहां बीआरएलएफ, सुविधा लागत और क्षमता निर्माण में योगदान देता है, जबकि राज्य सरकारें आवश्यक कार्यक्रम निधियों को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होती हैं। सीएसओ को सरकारी संस्थानों से व्यापक संसाधनों का उपयोग करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थापित किया जाता है, जिससे ग्रामीण विकास और आजीविका कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है।

इस साझेदारी ढांचे के अंतर्गत परियोजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, बीआरएलएफ ने राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) की स्थापना की है, जिसमें सीएसओ –नेतृत्व वाले निरीक्षण से अपने टीमों के गठन की दिशा में बदलाव किया गया है, जिससे बेहतर निरीक्षण और नियंत्रण हो सके। ये एसपीएमयू हितधारकों के सशक्तीकरण, निगरानी, मूल्यांकन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे बीआरएलएफ, सरकारी इकाइयों और सीएसओ के बीच सहयोग मजबूत होता है।

अंततः, बीआरएलएफ द्वारा बढ़ावा दिया गया राज्य साझेदारी दृष्टिकोण सरकारी संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों के बीच एक पारस्परिक संबंध को विकसित करता है। यह मॉडल विभिन्न सरकारी योजनाओं से संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करता है और गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक नवाचारी मार्ग प्रशस्त करता है, जो बीआरएलएफ के मिशन और कार्यनीति में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित करता है।



राज्य भागीदारी परियोजनाएँ

पश्चिम बंगाल



जिलेः पुरुलिया, पश्चिम बर्द्धमान, बांकुरा, झारग्राम, बीरभूम, पश्चिमी मेदिनीपुर

उषरमुक्ति प्लस परियोजना

पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साझेदारी के अंतर्गत

पश्चिम बंगाल के हातिनाडा गाँव में, उषरमुक्ति और इसके बाद के चरण, उषरमुक्ति प्लस ने स्थानीय जल संकट और कृषि प्रथाओं को काफी प्रभावित किया है। 144 संथाल परिवारों वाले घर, यानी कि यह समुदाय अक्षम जल प्रबंधन और चुनौतीपूर्ण स्थलाकृति के कारण पानी की कमी से जूझ रहा था, जिसके कारण भारी अपवाह और सीमित कृषि उत्पादकता हुई। 2017 में उषरमुक्ति की स्थापना से पहले, कृषि ही मुख्य आजीविका थी, मुख्य रूप से धान की खेती, जो अनियमित वर्षा के कारण मोनोक्रॉपिंग से बाधित थी।

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन ने नदी पुनर्जीवन के लिए वाटरशेड दृष्टिकोण के माध्यम से सरकारी पहल का समर्थन किया। समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं ने, 2015 में हातिनाडा चम्पाबाहा जलव्यवहारकारी समिति का गठन किया, जिसने वाटरशेड प्रबंधन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। इनमें अनुपयोगी ऊँचाई वाले क्षेत्रों पर मिश्रित फल बागानों की स्थापना और जल संचयन संरचनाओं (डब्ल्यूएचएस) का निर्माण शामिल था। इन प्रयासों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से समर्थन मिला, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी शामिल थी, जिसने आधुनिक सिंचाई तकनीक प्रदान की, जिससे विविध फसलों की खेती और बेहतर उत्पादन संभव हो सका।



इसके अलावा, इस समुदाय ने बेहतर जल प्रबंधन और फसल विविधीकरण की आवश्यकता को पहचानते हुए एक आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक ठोस प्रयास शुरू किया। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन करने के लिए एक सामान्य नर्सरी के लिए एक पॉलीहाउस का निर्माण किया, जिससे टमाटर और गोभी जैसी नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। महिलाओं के नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों ने कृषि बिक्री बढ़ाने, फलों की नर्सरी स्थापित करने और सूखे से त्रस्त से समृद्धि और स्थिरता के मॉडल में गाँव के परिवर्तन में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उषरमुक्ति परियोजना, मनरेगा सेल, पश्चिम बंगाल सरकार, भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, प्रदान (एसपीएमयू) और छह नागरिक समाज संगठनों के बीच एक सहभागिता है, जो अगस्त 2017 से जुलाई 2021 तक चली। इसका लक्ष्य था – 'पश्चिम बंगाल के छह पश्चिमी जिलों के 54 ब्लॉक में गरीब कमजोर परिवारों के लिए दैनिक मजदूरी के काम को दीर्घकालिक आजीविका के अवसरों में बदलना'। यह त्रिपक्षीय सहयोग पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को व्यवस्थित करती है, 'आज की मजदूरी को कल की आजीविका में बदलती है'। इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के 6 पश्चिमी जिलों के 54 ब्लॉक शामिल हैं। परियोजना की अवधारणा तब शुरू की गई थी जब सरकार ने नदी के वाटरशेड क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए वाटरशेड सिद्धांतों के आधार पर मनरेगा फंड को आईएनआरएम की ओर पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित किया था। इसके अलावा, सरकारी संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों के बीच एक ठोस सहक्रियात्मक संबंध स्थापित किया गया है, जो सभी परियोजना हितधारकों के बीच 'सिस्टम फंक्शन' दक्षता में तेजी लाता है और इस इलाके की गरीबी को कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश करता है।

प्रारंभिक चरण के बाद, उषरमुक्ति II (उषरमुक्ति प्लस) 2021 में शुरू हुआ और जुलाई 2023 तक चला। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) के तहत बनाए गए संसाधनों पर 'कृषि उत्पादन क्लस्टर' (एपीसी) के तरीके से आजीविका को बढ़ाना है। इसके लिए, उत्पादक समूह (पीजी) और किसान उत्पादक कंपनी/संगठन बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन का समन्वय करते हैं। इसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और स्थिरता को बढ़ावा देना है, ताकि उषरमुक्ति के तहत बनाए गए संसाधनों का आजीविका सुधार में अधिकतम उपयोग हो सके। इस चरण में, पहले से बने संसाधनों का उपयोग कर कृषि उत्पादन क्लस्टर के माध्यम से लोगों की आजीविका को बेहतर बनाया गया।

परियोजना ने एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सिद्धांतों का उपयोग करके नदी जलग्रहण क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित किया। सरकार और गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करते हुए, इस परियोजना ने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया और क्षेत्र के लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का एक नया तरीका प्रदान किया।

यह परियोजना पहले के प्रयासों से अलग थी क्योंकि इसमें छोटे हस्तक्षेपों के बजाय व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें छोटे स्तर से बढ़कर बड़े क्षेत्रीय स्तर पर काम किया गया। ऐसा करके, परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण में सुधार, जैव विविधता की पुनर्स्थापना, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश से क्षेत्र में समृद्धि लाना था।

प्रमुख परिणाम (2023–24):

उषरमुक्ति परियोजना (2017–2021) में 2.24 लाख योजनाओं की योजना बनाई गई थी, जिनमें से 2 लाख योजनाओं को मनरेगा द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1095 करोड़ रुपए के कुल व्यय के साथ 81,069 योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया। इसने मनरेगा (2017 से 2021) के माध्यम से 6.01 करोड़ मानव–दिवस सृजन किए।

इसके अतिरिक्त, वाटरशेड सिद्धांत–आधारित संरचना कार्यान्वयन के तहत 98,226 हेक्टेयर के कुल उपचारित क्षेत्र को कवर करते हुए, अन्य विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से 147 करोड़ रुपए का लाभ उठाया गया था। सृजित संचयी जल संचयन क्षमता 51,242 हेक्टेयर मीटर (हे.म.) प्रति वर्ष है, जिसमें 1.20 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त संभावित दोहरे फसल क्षेत्र और बागवानी व सामाजिक वानिकी के माध्यम से 44,287 हेक्टेयर की परती भूमि का रूपांतरण किया गया है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संरचनाओं और आजीविका संवर्धन गतिविधियों से 1.35 लाख परिवारों को लाभ हुआ है।

अगस्त 2021 से जुलाई 2023 तक, उषरमुक्ति प्लस (चरण II) परियोजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 'कृषि उत्पादन क्लस्टर' दृष्टिकोण का उपयोग करके बनाए गए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) संसाधनों पर आजीविका हस्तक्षेप को जोड़ना था। इस परियोजना के तहत कुल 1.53 लाख परिवारों को शामिल किया गया और मनरेगा के माध्यम से 29,097 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य हुआ। कुल निवेश ₹45,058 लाख रहा, और समन्वय के माध्यम से ₹36,132 लाख का निवेश किया गया। संभावित जल संतृप्ति क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, 35 उषरमुक्ति ब्लॉकों में 39 कृषि उत्पादन क्लस्टर (एपीसी) बनाए गए। जुलाई 2023 तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, कृषि उत्पादन क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर 830 उत्पादक समूह (पीजी) का गठन किया गया, जिसमें 44,966 परिवार शामिल हैं। बने हुए कुल पीजी में से 379 पीजी ने समन्वित खेती और विपणन शुरू किया, जिससे कुल 23,252 मीट्रिक टन (एमटी) उत्पादन हुआ और 5,483 एमटी की बिक्री हुई, जिसकी कुल कीमत ₹8.89 लाख रही।

परियोजना की आय विश्लेषण से पता चला कि ₹60,000 से कम आय वाले परिवारों की संख्या में 31 प्रतिशत की कमी आई है, और अब अधिक परिवार ₹80,000 से अधिक आय श्रेणी में आ गए हैं। विशेष रूप से, 31 प्रतिशत परिवारों, यानी 1.14 लाख, ने 1 लाख रुपये की सकल घरेलू आय (जीएचआई) की सीमा पार कर ली है, जिसमें से 36 प्रतिशत उषरमुक्ति प्लस पहल के कारण है।

उषरमुक्ति चरण I और II की कुल उपलब्धि में 2.88 लाख परिवारों को शामिल किया गया है, और कुल 1.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उपचार किया गया है। कुल निवेश ₹2,054 करोड़ (मनरेगा और समन्वय) रहा है।

गुणवत्तापूर्ण प्रभाव और उपलब्धियाँ:

भूजल पुनर्भरण: उषरमुक्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद वर्षा से पुनर्भरण और संरचनाओं से अतिरिक्त पुनर्भरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। भारत रूरल लाइवलीहुड्स (बीआरएलएफ) द्वारा किए गए भूजल पुनर्भरण मूल्यांकन अध्ययन से पता चला कि उषरमुक्ति कार्यक्रम ने हस्तक्षेप क्षेत्रों में 27 प्रतिशत से 64 प्रतिशत तक अतिरिक्त पुनर्भरण किया है, जो कि झारग्राम, पुरुलिया, और बांकुरा जिलों में औसत वर्षा पुनर्भरण से अधिक है। इससे उषरमुक्ति कार्यक्रम की सफलता की पुष्टि होती है।

कार्बन अवशोषण: जलवायु अनुकूलन अध्ययन से पता चला कि 9,367 टन कार्बन का अवशोषण हुआ है, 67 प्रतिशत परिवारों ने मृदा की गुणवत्ता में सुधार की सूचना दी है, और जल संग्रहण संरचनाओं में जल उपलब्धता दो से तीन महीने तक बढ़ गई है, जिससे पूर्ण सिंचाई में 39 प्रतिशत और आंशिक सिंचाई में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 44 प्रतिशत परिवारों ने भूजल और सतही जल पुनर्भरण पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव व्यक्त किया। इसके अलावा, जैव विविधता में भी सुधार देखा गया है, जहां तापमान में ठंडक के कारण पेड़–पौधों के आसपास और अंदर तोते, कठफोड़वा और बुलबुल आदि पक्षी अब ज्यादा दिखाई देने लगे हैं।

आजीविका और आय विविधीकरण के संबंध में, 72 प्रतिशत परिवारों ने धान उत्पादकता में 15 प्रतिशत की वृद्धि की सूचना दी है, 44 प्रतिशत ने मत्स्य पालन को आजीविका के नए विकल्प के रूप में अपनाया है, और 24 प्रतिशत ने अपनी पशुधन जोत में वृद्धि की है।

उषरमुक्ति परियोजना की मुख्य विशेषताएँ	
कुल उत्तोलन/लाभ प्राप्त (करोड़ रुपए में)	2054.41
मनरेगा से कुल लाभ (करोड़ रुपए में)	1545.93
अन्य आजीविका योजनाओं से जुटाया गया कुल लाभ (करोड़)	508.48
एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वाटरशेड सिद्धांतों पर निर्मित क्षमता के साथ कुल मनरेगा कार्यकर्ता (एपीओ, पीओ, टीए, जीआरएस)	2332
एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वाटरशेड सिद्धांतों पर निर्मित क्षमता के साथ कुल पंचायती राज संस्थान, स्वयं सहायता समूह और वीओ सदस्य	8251
बीआरएलएफ ब्लॉक में मनरेगा श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी	80%



कृषि में सुधार	
कृषि अंतःक्षेप (पहल) के तहत कवर किए गए परिवार	126870
कृषि से कुल बिक्री मूल्य (करोड़ रुपए में)	305.82
कुल कृषि–उद्यमियों को बढ़ावा दिया गया	352
सृजित कुल सिंचाई क्षमता एकड़ में	201738
दोहरी फसल और लंबी अवधि की वनस्पति के लिए विकसित कुल सिंचित क्षेत्र	76498
कुल खेत तालाबों का निर्माण	59260
विजेता फसलों के उत्पादन के तहत कुल क्षेत्र (एकड़ में)	15421
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	
भूमि और जल संसाधन संरक्षण के तहत उपचारित क्षेत्र (एकड़ में)	315820
उपचारित कुल वन भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	29113
बायोमास वृद्धि के लिए वृक्षारोपण कार्य (एकड़)	48886
पशुधन विकास	
पशुधन आधारित आजीविका में परिवारों की कुल संख्या	29661
पशु चिकित्सक सेवाओं के तहत कवर किए गए परिवार	23729
मछलीपालन के अंतर्गत आने वाले परिवार	9074
महिलाओं के नेतृत्व वाली संस्थाओं का विकास	
कुल कृषि उत्पादक कंपनियाँ विकसित	12
उत्पादक समूहों के अंतर्गत आने वाले परिवार	40017
कुल उत्पादक समूहों का गठन	830
किसान उत्पादक कंपनियों के कुल शेयरधारक	7800
सामूहिक विपणन से कुल बिक्री (लाख में)	889





छत्तीसगढ़



जिले: सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, रायगढ़, कोरबा, कवर्धा, धमतरी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा

उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के साथ साझेदारी में

कबीरधाम जिले के बोडला ब्लॉक के छोटे से गाँव भोंडा में, 'जय माँ भवानी' स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की दृढ़ निश्चयी महिलाओं के एक समूह ने सामुदायिक मछली पालन में कदम रखकर अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया।

अध्यक्ष देवकी बाई और सचिव भोजबती बाई के नेतृत्व में, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को शुरू में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो कि जीवन–यापन के लिए दैनिक मजदूरी करते थे। कोविड –19 स्थिति मे उनके लिए जीना काफी कठिन हो गया था। हालांकि, जब हाई–इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट के तहत समर्थ बोडला टीम के सुविधाकर्ताओं द्वारा 'महामाया तालाब' नामक एक सामुदायिक मछली तालाब का प्रबंधन करने का अवसर प्रस्तुत किया गया, तो समूह ने इसे अपनी आजीविका में सुधार करने और समुदाय की समृद्धि में योगदान करने के अवसर के रूप में देखा।

इस परियोजना के तहत, समर्थ बोडला टीम ने एसएचजी महिलाओं की मदद की। उन्होंने मनरेगा योजना के तहत तालाब गहरा करने और मछली पालन के लिए तकनीकी सहायता दी। कृषि और आजीविका विशेषज्ञों की सलाह और मत्स्य विभाग के समर्थन से, एसएचजी ने अपने संसाधन इकट्ठे किए और तालाब को सामूहिक रूप से संभालना शुरू किया। इसके शानदार नतीजे मिले–मछलियाँ अच्छी तरह पाली गईं, जिससे एसएचजी को अपने परिवारों का पालन–पोषण करने और स्थानीय बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त मछलियाँ मिलीं।



उनकी सफलता सबने देखी। दूसरे एसएचजी और गांव के लोग उनसे सलाह लेने लगे, और इस पहल का दायरा बढ़ गया। इससे मनरेगा, मत्स्य और कृषि जैसे सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। सामुदायिक मछली तालाब अब उम्मीद की मिसाल बन गया है, जिसने और भी लोगों को इस पहल से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इसने कभी संघर्ष कर रहे गांव को एक सफल और आत्मनिर्भर समुदाय में बदल दिया। यह दिखाता है कि मिलकर काम करने से, सीखने से और दीर्घकालिक सतत तरीकों के इस्तेमाल से एक पूरे गांव को बदला जा सकता है।

हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना छत्तीसगढ़ सरकार के नेतृत्व में भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन (बीआरएलएफ) और एक्सिस बैंक फाउंडेशन (एबीएफ) के साथ साझेदारी में एक संयुक्त पहल है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी और जल संरक्षण के प्रयासों में निवेश करके ग्रामीण समुदायों की आजीविका में सुधार करना है। चरण I (2018–2022) के दौरान, परियोजना ने मनरेगा के तहत 12 जिलों के 26 ब्लॉक में फैले लगभग 6.9 लाख हेक्टेयर वाटरशेड क्षेत्र का उपचार किया।

इसमें स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ऊपरी पंक्तियों में भूमि और जल उपचार उपायों का कार्यान्वयन शामिल था। इस परियोजना का व्यापक लक्ष्य था– विभिन्न आजीविका गतिविधियों का प्रसार करके 100,000 छोटे और सीमांत परिवारों की आय में वृद्धि करना। इसकी प्रमुख रणनीतियों में वाटरशेड प्रबंधन और कृषि उत्पादकता में वृद्धि शामिल है, जो योजना और निष्पादन चरणों में सक्रिय सामुदायिक जुड़ाव पर जोर देती है। परियोजना के प्रभाव और क्षमता को पहचानते हुए, इस कार्यक्रम के चरण II को अक्टूबर 2022 से सितंबर 2024 तक विस्तार मिला। इस विस्तारित चरण के दौरान, परियोजना एपीसी (कृषि उत्पादन क्लस्टर अप्रोच) के माध्यम से आजीविका गतिविधियों के विविधीकरण, विशेष रूप से खेत/फार्म आधारित कृषि, गैर–लकड़ी वन उपज (एनटीएफपी), और पशुधन मूल्य–शृंखला विकास पर जोर देती है।



महत्त्वपूर्ण परिणाम (2023–24):

- इस अवधि के दौरान, एसपीएमयू और सीएसओ ने विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में अंतिम रूप दी गई कार्य योजनाओं को लागू करने और नदी जीर्णोद्धार योजना के साथ डीपीआर को संरेखित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ काम किया।
- इस वर्ष 502 गाँवों में 79 नाला पुनर्जीवन योजनाएँ बनाई गई हैं, जिनमें 2352.915 हेक्टेयर की क्षेत्र उपचार योजना और 15422 कार्यों का ड्रेनेज लाइन उपचार किया गया है। इसके अलावा, खरीफ कृषि को बढ़ावा देने, हड़ताल अवधि के दौरान परिवारों को सहायता देने के लिए एक रणनीति विकसित करने और गैर–कृषि आजीविका गतिविधियों को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण और बैठकें आयोजित की गईं। एसपीएमयू अधिकांश प्रशिक्षण और बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजित करती है।
- एपीसी ने उत्पादक समूहों और उत्पादक कंपनियों के काम करने के तरीके को सुधारने, उनके क्षेत्र और एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के साथ तालमेल की संभावनाओं, व्यापार योजनाओं और बेहतर बिक्री वाले उत्पादों के चयन से जुड़े प्रशिक्षण आयोजित किए हैं।
- परियोजना की मानक संचालन प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए सभी सीएसओ के परामर्श से एक संसाधन पुस्तक (एसओपी) विकसित की गई है। बड़े पैमाने पर गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सीएसओ के लिए एक केंद्रीय स्तर का मत्स्यपालन प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।
- इस अवधि में कुल 514.67 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत की गई है, और 221.82 करोड़ रुपये की राशि निवेशित की गई है। 40,000 (संचयी) किसानों के लक्ष्य में से 37,632 किसानों के साथ विभिन्न वस्तुओं के लिए 594 उत्पादक समूह बनाए गए हैं। ये सभी उत्पादक समूह 667 गाँवों और 475 ग्राम पंचायतों में बने हैं, जिसमें बाजार–उन्मुख फसलों के 12,599.59 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- सीएसओ पीएम जनमन, अमृत सरोवर, बाजरा मिशन और प्रधानमंत्री कृषि योजना 2.0 की राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में लगे हुए हैं और सरकारी अधिकारियों को जमीनी स्तर पर योजनाओं को निष्पादित करने में मदद करते हैं। उन्होंने मत्स्य पालन, तिलहन, दालें, और बाजरा जैसी जलवायु–अनुकूल फसलों जैसी आजीविका के परिप्रेक्ष्य का भी निर्माण किया।
- इस वर्ष, सीएसओ ने 587 गाँवों में मछली पालन शुरू किया है, जिसमें 3424 तालाबों और 5634 किसानों में उपयोगकर्ता समूह शामिल हैं। कुल अंकुर का स्टॉक 25.97 लाख है। इसी तरह, 44 अमृत सरोवर में, 2352 किलोग्राम फिंगरलिंग्स का स्टॉक किया गया था, और टीम ने सभी ग्रो–आउट तालाबों में प्रथाओं के पैकेज के प्रबंधन में सामूहिक सहयोग किया।
- 37,632 सदस्यों वाले 594 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है, जो 40,000 परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 1267 गाँवों और 12 ब्लॉकों में 475 ग्राम पंचायतों में 12,599 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं।
- वाटरशेड सिद्धांतों, तकनीकी पहलुओं, भागीदारी नियोजन, जीआईएस–आधारित उपकरणों और तकनीकों और एपीसी क्षेत्रों सहित ऑन–फार्म और गैर–कृषि आजीविका पर सात क्षेत्रीय और जिला स्तरीय क्षमता निर्माण और समन्वय पहल की गई हैं।
- राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की टीम ने तकनीकी सहायता प्रदान करने और पूरे राज्य में नदी कायाकल्प योजना को लागू करने और ग्राउंडिंग करने में राज्य मनरेगा सेल का सहयोग किया। राज्य मनरेगा कर्मियों के साथ 36 तथा जिला एवं ब्लॉक मनरेगा कर्मियों के साथ 34 परस्पर बैठकें आयोजित की गईं। तीसरे चरण में, गहन और गैर–गहन दोनों ब्लॉकों के 502 गाँवों में 79 नदी उपचार योजनाएँ बनाई गईं।
- SOCION के सहयोग से, निर्माता समूहों और व्यक्तिगत सदस्यों के लिए एक निगरानी, मूल्यांकन और शिक्षण प्रणाली शुरू की गई है। क्यूआर कोड जनरेशन और इंडेंटिंग ने प्रत्येक घर के लिए एक विशिष्ट पहचान बनाई है। साक्ष्य–निर्माण के लिए विपणन और उत्पादन डेटा को मान्य किया जाएगा। उत्पादक समूह, इसके गठन, उपनियमों, कार्यों और संचालन पर एक संसाधन पुस्तिका तैयार की गई है और हिंदी में भागीदारों के बीच परिचालित की गई है।
- आयुक्त और उपायुक्त मनरेगा ने गैर–कामकाजी क्षेत्र के एपीओ के साथ दंतेवाड़ा, बस्तर और कांकेर में परियोजना स्थलों का दौरा किया। उन्होंने समुदाय, पीआरआई और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत की और परियोजना की ग्राउंडिंग और क्षेत्र में प्रभाव की सराहना की।

छत्तीसगढ़ उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना की मुख्य विशेषताएँ	
कुल लेवरेजः (मनरेगा से (करोड़ रुपए में))	1273
ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जिनके लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वाटरशेड सिद्धांतों का उपयोग करके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई	819
राज्य में उपचारित कुल क्षेत्रफल (एकड़)	773135
एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वाटरशेड सिद्धांतों पर निर्मित क्षमता के साथ कुल मनरेगा कार्यकर्ता (एपीओ, पीओ, टीए, जीआरएस)	1000
कृषि में सुधार	
कृषि अंतःक्षेप के तहत कवर किए गए परिवार	160543
कुल खेत तालाबों का निर्माण	12076
कुल खोदे गए कुओं का निर्माण	1949
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	
भूमि और जल संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आने वाले परिवार	160543
भूमि और जल संसाधन संरक्षण के तहत उपचारित क्षेत्र (एकड़ में)	773135
गैर–लकड़ी वन उपज (NTFP) अंतःक्षेप के तहत कवर किए गए परिवार	22362
पशुधन विकास	
पशुधन आधारित आजीविका अंतःक्षेप के तहत परिवार	41812
मत्स्यपालन के अंतर्गत आने वाले परिवार	15274
महिलाओं के नेतृत्व वाली संस्थाओं का विकास	
विकसित कुल कृषि उत्पादक कंपनियाँ (एपीसी)	72
एपीसी (हेक्टेयर) के तहत कवर किया गया क्षेत्र	14860
उत्पादक समूहों के अंतर्गत आने वाले परिवार	37632
कुल उत्पादक समूहों का गठन	594
अधिकारों और हकदारियों तक पहुँच	
एनटीएफपी आधारित आजीविका में शामिल परिवार	22362



ओडिशा

कृषि उत्पादन क्लस्टर (एपीसी) परियोजना



जिलेः बलांगीर, कालाहांडी, क्योंझर, ढेंकनाल, मयूरभंज, कोरापुट, कंधमाल, रायगढ़ा, नुआपाड़ा, झारसुगुडा, संबलपुर, बौध

UANAT परियोजना (एपीसी के तहत)



जिलेः रायगढ़ा, कालाहांडी

कृषि उत्पादन क्लस्टर (एपीसी) परियोजना

मिशन शक्ति, ओडिशा आजीविका मिशन, कृषि और किसान सशक्तीकरण विभाग, बागवानी विभाग और अन्य के साथ साझेदारी में।

कंधमाल हल्दी के बाजार में पहुँच को बढ़ाने में उत्पादक समूहों (Producer Groups) ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

ओडिशा के कंधमाल जिले में हल्दी की खेती प्रमुख है, जो जिले की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार है। यहां की हल्दी, जिसमें उच्च करक्यूमिन और महत्वपूर्ण प्रतिशत ओलियोरेसिन और वाष्पशील तेल होता है, बहुत ही उच्च गुणवत्ता की है। यह फसल स्थानीय आदिवासी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है और जिले की समग्र आर्थिक वृद्धि में योगदान करती है। हालांकि, इन किसानों की उपज राष्ट्रीय औसत से कम है, वे पारंपरिक खेती को जारी रखते हैं, विभिन्न प्रकार की हल्दी उगाते हैं ताकि उनकी आय, व्यक्तिगत उपयोग और बीज के लिए काम आ सके।

हालांकि, इन मेहनती किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे सीमित बाजार पहुंच, कीमतों में उतार–चढ़ाव और तकनीकी उन्नति की जरूरत। बिचौलियों पर निर्भरता इन समस्याओं को और बढ़ा देती है, जिससे उचित कीमतें और स्थायी आय प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसके जवाब में, 2021 में बलीगुड़ा और के. नुआगांव की महिला किसानों ने नेगी पहरी महिला किसान उत्पादक कंपनी की स्थापना की। पारंपरिक विपणन चैनलों के विपरीत, यह अनूठी पहल डोरस्टेप डिलीवरी और सीधे बिक्री की सुविधा प्रदान करती है, जिससे बिचौलियों को पार कर किसान बेहतर कीमतें प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से समुदाय में कृषि की स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, जो पारंपरिक तरीकों से अलग है।



अपनी स्थापना के बाद से तीन वर्षों में, कंपनी ने हल्दी में विशेषज्ञता वाले छह उत्पादक समूहों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रदर्शन किया है, जिससे 4,520,500 रुपए का सामूहिक कारोबार हुआ है। पारंपरिक विपणन चैनलों के प्रभुत्व के बावजूद, जहाँ उत्पादक उपभोक्ता के खर्च का केवल 49.5 प्रतिशत देखते हैं, नेगी पाहेरी का वैकल्पिक मॉडल किसानों को 103 रुपए प्रति किलोग्राम का बेहतर औसत मूल्य प्रदान करती है, जिससे उनका हिस्सा बढ़कर 54.21 फीसदी हो जाता है। इस तरह के प्रत्यक्ष जुड़ाव से किसानों की आय बढ़ती है और बाजार में उनकी स्थिति मजबूत होती है, विशेष प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से कुशल प्रथाओं और गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा मिलता है। ये प्रयास हल्दी क्षेत्र में प्रगतिशील परिवर्तन की संभावना को उजागर करते हैं, जिससे कंधमाल में अधिक न्यायसंगत और समृद्ध कृषि भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है।

ओडिशा सरकार ने बीआरएलएफ के सहयोग से 6 नवंबर, 2018 को आदिवासी क्षेत्रों में '**कृषि उत्पादन क्लस्टर (एपीसी) का प्रचार**' परियोजना शुरू की। इस सहयोगात्मक प्रयास में कई सरकारी विभाग और नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) शामिल हैं, जिनमें कृषि और किसान सशक्तीकरण विभाग, मिशन शक्ति विभाग, ओडिशा आजीविका मिशन और अन्य शामिल हैं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे और सीमांत महिला किसानों को सामूहिकता और सिंक्रनाइज कृषि उत्पादन के माध्यम से उनकी आय में स्थायी रूप से बढ़ाकर सशक्त बनाना है। यह कृषि आय तक महिलाओं की पहुँच में सुधार पर केंद्रित है। इसकी कार्यनीतियों में शामिल है– फसल प्रणालियों में विविधता लाना, कृषि और पशुधन पालन के लिए बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना, इनपुट सेवाएँ प्रदान करना, उन्नत कृषि प्रथाओं को अपनाना, गैर–कीटनाशक प्रबंधन को बढ़ावा देना और संस्थागत विपणन प्रक्रियाओं के माध्यम से उचित मूल्य सुनिश्चित करना।

शुरुआत में, इस परियोजना ने 12 आदिवासी बहुल जिलों में 40 ब्लॉक को कवर किया। बाद में, 2021–22 में, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के सहयोग से इसका विस्तार 33 अन्य ब्लॉक तक हो गया। फिलहाल, इस परियोजना में 14 जिलों के 73 ब्लॉक शामिल हैं, जिसमें 41 ब्लॉक को बीआरएलएफ का सहयोग मिलता है।

महत्त्वपूर्ण परिणाम (2023–24):

निर्माता समूहों (पीजी) का प्रचार:

- 40 प्रचालनरत ब्लॉक में 932 उत्पादक समूहों (पीजी) का गठन पूरा कर लिया गया है। पीजी में नई महिला सदस्यों को जुटाने के प्रयास जारी हैं, इन संस्थानों में 1399 और महिला किसानों को जोड़ा गया है। वर्तमान में, 122,407 महिला किसान पीजी की सदस्य हैं।
- गठित 932 पीजी में से 874 को संस्थान निर्माण और क्षमता निर्माण (आईबीसीबी फंड) प्राप्त हुआ और 461 को कार्यशील पूँजी प्राप्त हुई। मिशन शक्ति और ओएलएम से ली गई कुल राशि अब 2316 लाख रुपए है। 907 पीजी को 'ए' या 'बी' के तहत वर्गीकृत किया गया है और ओएलएम दिशानिर्देश के अनुसार कार्यशील पूँजी के लिए पात्र हैं।

कृषि और बागवानी:

- 1,000 महिला किसानों ने 2,000 एकड़ भूमि पर उच्च मूल्य वाली सब्जियों, धान, तिलहन और दालों की खेती की। बैंगन, अदरक, मिर्च (हरी), टमाटर, सेम, आलू, शकरकंद, करेला, कद्दू, रतालू, हल्दी, फूलगोभी, और गेंदा जैसी प्राथमिक उच्च मूल्य वाली सब्जियाँ 1,500 एकड़ में उगाई गईं। इसके विपरीत, 500 एकड़ में दलहन, तिलहन और उच्च मूल्य वाले धान, अरहर, मूँगफली, नाइजर और काले चने की खेती की जाती थी।
- ब्लॉक टीमों ने सिंक्रनाइज वृक्षारोपण और उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए फसल नियोजन की व्यवस्था की, और किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के लिए विभिन्न संगठनों से सहयोग प्राप्त हुआ। समकालिक खेती और सामूहिक विपणन मुख्य फोकस थे, जिससे कुल कारोबार 6,070 लाख रुपए हो गया, जिसमें कुल 5,000 क्विंटल कृषि उपज की कुल मात्रा सामूहिक रूप से बेची गई।

एकत्रीकरण केंद्रों और भंडारण संरचनाओं की स्थापना

- 24 नई छंटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट को जोड़ा गया है, जिससे ऐसी यूनिट की कुल संख्या 76 हो गई है।
- इसके अतिरिक्त, 32 नई भंडारण संरचनाएँ स्थापित की गईं, जिससे यूनिट की कुल संख्या बढ़कर 140 हो गई, जिसमें 84 नियमित और 56 कोल्ड स्टोरेज संरचनाएँ थीं। इसके अलावा, 292 कम लागत वाले भंडारण और प्रोसेस यूनिट हैं, जिनमें 108 सब्जी कूलर, 61 पूसा जेडईसीसी यूनिट और 123 ड्रायर/प्रोसेस यूनिट शामिल हैं।

उत्पादक कंपनियों (पीसी) की स्थापना:

- 78,037 शेयरधारकों ने 30 पीसी में 252 लाख रुपए की शेयर पूँजी जुटाई। इसी अवधि में, इन 30 पीसी का कुल लेन–देन 2357 लाख रुपए का रहा, जो मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, पशुधन के सामूहिक विपणन और कृषि व संबंधित गतिविधियों के लिए इनपुट व्यवसाय के माध्यम से हुआ।
- मिशन शक्ति ने 568 लाख रुपए की कार्यशील पूँजी प्रदान की, जिससे कुल अनुदान 1107 लाख रुपए हो गया।
- इसके अलावा, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 371 निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित की गईं ताकि व्यापार योजना के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी चुनौती का समाधान किया जा सके।

गैर–कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) आधारित प्रथाओं को अपनाना:

- 2,964 कम लागत वाली एनएडीईपी कम्पोस्ट यूनिट बनाई गई हैं, जिससे कुल संख्या 23,316 हो गई है। कुछ ब्लॉक टीमें फसलों में बिना रसायनों और कीटनाशकों वाली खेती को बढ़ावा दे रही हैं।
- कृषि–उद्यमियों को एक व्यवसाय मॉडल के रूप में एनपीएम का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) एनपीएम उत्पादों को तैयार करते हैं और बेचते हैं।
- इसके अतिरिक्त, मुख्य फसल के रूप में अदरक के साथ एक बहुपरत खेती मॉडल को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें अदरक, धनिया और सेम की खेती और मक्का और कद्दू की अंतर–फसल शामिल है।

पशुधन विकास:

- 2023–24 में, 475 पीजी और 35,625 किसानों ने गहन पशुधन पालन प्रथाओं को अपनाया। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, 66,875 किसानों ने 'प्राणी मित्र' के माध्यम से बकरियों और बैकयार्ड पोल्ट्री (बीवाईपी) के लिए नियमित टीकाकरण और डीवर्मिंग सेवाओं का उपयोग किया।

- इस परियोजना से 6,367 बैकयार्ड पोल्ट्री (बीवाईपी) शेड और 4629 बकरी शेड का निर्माण किया गया, रिपोर्टिंग अवधि तक 18,316 बीवाईपी शेड और 16,945 बकरी शेड प्राप्त किए गए।

नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यासः

सिंक्रनाइज उत्पादन

सिंक्रनाइज या समन्वित उत्पादन ने पीजी और पीसी सदस्यों को बेहतर तरीके से अपनी उपज बेचने में मदद की है। इसके जरिए उन्हें पर्याप्त मुनाफा मिला और उन्होंने सामूहिक रूप से उपज को पारदर्शी ढंग से बेचा। पीजी स्तर पर ज्यादा उत्पादन होने से उनकी उपज के लिए बाजार से जुड़ाव बेहतर हुआ है। इससे पीजी सदस्यों को अलग–अलग तरह की पैकेजिंग की मांग को समझने में भी मदद मिली है, उनकी कीमत तय करने की ताकत बढ़ी है, और समय पर भुगतान मिलना सुनिश्चित हुआ है।

इन सालों के दौरान, उत्पादक समूह (पीजी) के गाँव स्तर पर एकत्रीकरण बिंदुओं को सदस्यों और खरीदारों के बीच मान्यता मिली है। ये बिंदु समय पर एकत्रीकरण, उचित छंटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग प्रथाओं को सुविधाजनक बनाते हैं, जिससे बेहतर थोक बाजार कनेक्शन सुनिश्चित होते हैं। इससे बाजार कनेक्शन की स्थापना को और मजबूत किया गया है। 2023–24 के दौरान, 913 पीजी की 82,066 महिला किसानों ने सामूहिक रूप से 21,190 मीट्रिक टन सब्जियाँ और अन्य वस्तुएँ 7,788 लाख रुपए में बेचीं।

बाजार और खरीदार

समय के साथ, नौ राज्यों के 82 थोक बाजारों के 461 खरीदारों ने अपनी विपणन गतिविधियों को औपचारिक रूप देने के लिए उत्पादक समूहों (पीजी) और निर्माता कंपनियों (पीसी) के साथ संबंध बनाए हैं। आपूर्ति प्रबंधन (लॉजिस्टिक्स) को बेहतर बनाने और ऑर्डर सुनिश्चित करने के लिए, खरीदारों के साथ पीजी के एकत्रीकरण केंद्रों पर वाहन भेजने की बातचीत चल रही है। इससे बड़े पैमाने पर विपणन करने में पीजी और पीसी का विश्वास बढ़ा है और समय पर भुगतान मिलना सुनिश्चित हुआ है। पीसी के गठन से मंडी चैनल और मजबूत हुआ है, जिससे समूहों के भीतर बाजार प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। पीजी और पीसी यह तय करते हैं कि मूल्य, उपलब्ध अधिशेष, और भुगतान के तरीके के आधार पर किस चैनलों के जरिए कौन सी फसल किस खरीदार को बेची जाए।

इसके अलावा, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) अब कृषि, पशुधन और गैर–लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) के लिए इनपुट और आउटपुट प्रबंधन सहित विविध सेवाएँ प्रदान करते हैं। एफपीओ सामूहिक मार्केटिंग को सक्षम बनाते हैं, किसानों को बढ़ी हुई बाजार पहुँच, अधिक पर्याप्त सौदेबाजी की शक्ति, कम विपणन लागत और बेहतर मूल्य प्राप्ति प्रदान करते हैं। विशेष रूप से, एनपीएम उत्पादों को बढ़ावा देने और ब्रांड करने के लिए एनपीएम स्टाल स्थापित किए गए हैं। कुछ एफपीओ ने सब्जी और बकरी विपणन के लिए रिलायंस, एस4एस, डीके फार्म और गोपाल बायोटेक एग्रो फार्म जैसे संस्थागत खरीदारों के साथ साझेदारी की है।



बायो संसाधन केंद्रः

बायो संसाधन केंद्र (बीआरसी) गॉवों के भीतर एनपीएम (गैर–कीटनाशक प्रबंधन) प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्थान हैं। बीआरसी किसानों को संसाधन और सलाह प्रदान करते हैं, प्रभावी वितरण और अधिकतम एनपीएम प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए दो उत्पादक समूहों की सेवा करते हैं। आपूर्ति के अलावा, बीआरसी ने चिंतल वेंकट रेड्डी (सीवीआर) प्रौद्योगिकी और टी–गार्ड जैसे अभिनव एनपीएम प्रथाओं की शुरुआत की है।

बकरी आवास/बकरी हॉस्टलः

तीन ब्लॉक में एक अभिनव अभ्यास शुरू किया गया है जहाँ बकरियों को खरीद के बाद बेहतर बाजार मूल्यों पर बेचने के लिए रखा जाता है। यह अभ्यास किसानों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है, जो अक्सर वित्तीय आपात स्थितियों के दौरान बकरियाँ बेचते हैं। बकरियों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने, मृत्यु दर को कम करने और उचित बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए बेहतर चारा, टीकाकरण और अलगाव सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। बकरियों को 'बकरी हॉस्टल' में तब तक रखा जाता है, जब तक कि बकरियों के स्टॉक का आकार बहुत बड़ा न हो जाए (आमतौर पर एक क्विंटल से अधिक) और बाजार में मांग अधिक न हो जाए। उत्पादक समूह सही समय आने पर बकरियों को बेचता है।

एपीसी परियोजना, ओडिशा के प्रभाव की मुख्य विशेषताएँ	
कुल उत्तोलन (करोड़ रुपए में)	591.73
मनरेगा से कुल लाभ (करोड़ रुपए में)	168.46
अन्य आजीविका योजनाओं से जुटाया गया कुल लाभ (करोड़ रुपए में)	388
परिवारों को कवर किया गया और कम से कम एक अंतःक्षेप में लगे हुए	122407
आजीविका संपत्ति वाले परिवार (शेड, नर्सरी, आदि)	36230
कृषि में सुधार	
कृषि अंतःक्षेप के तहत कवर किए गए परिवार	93050
गैर–कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) आधारित कृषि के तहत कवर किए गए परिवार	52904
बागवानी के तहत कवर किए गए परिवार	93050
एनपीएम के तहत कवर क्षेत्र (हेक्टेयर)	11882
कृषि के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (सब्जियाँ, तिलहन, दलहन, अनाज और अन्य फसलें शामिल हैं) – (हेक्टेयर)	33789
कुल कृषि–उद्यमियों को बढ़ावा दिया गया	808
कृषि से कुल बिक्री मूल्य (करोड़ रुपए में)	61
कृषि यंत्रीकरण तक पहुँच वाले परिवार	79287
कुल खेत तालाबों का निर्माण	2914
दोहरी फसल और लंबी अवधि की वनस्पति के लिए विकसित कुल सिंचित क्षेत्र	36817
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	
एनआरएम परिसंपत्तियों के साथ कुल परिवार (मृदा और जल संरक्षण संरचनाएँ)	6342
रोपण में शामिल कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	6992
पशुधन विकास	
पशुधन आधारित आजीविका में परिवारों की कुल संख्या	66875
पशु चिकित्सक देखभाल सेवाओं के अंतर्गत आने वाले परिवार	66875
बीवाईपी पालन के अंतर्गत आने वाले परिवार	56766
बकरी पालन के तहत कवर किए गए परिवार	47335
महिलाओं के नेतृत्व वाली संस्थाओं का विकास	
कुल एपीसी विकसित	30
एपीसी (हेक्टेयर) के तहत कवर किया गया क्षेत्र	33789
एफपीसी/एफपीओ के तहत कुल शेयरधारक	78037
गठित पीजी की संख्या	932
कुल शेयरधारक जो एफपीसी का हिस्सा हैं	78037
राज्य में एफपीसी/एफपीओ का कारोबार कारोबार (लाख में)	2357





उत्कल की कृषि परिवर्तन के लिए कार्रवाई (UANAT) परियोजना

ओडिशा सरकार और उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ साझेदारी में कृषि–आधारित आजीविका पहल

ओडिशा में OLIC के साथ समन्वय

सूखा प्रभावित ग्रामीण ओडिशा में, ओडिशा लिफ्ट सिंचाई सहयोग (OLIC) और उत्कल एक्शन फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन (यूएएनएटी) के बीच सहयोग ने महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। इस साझेदारी ने सूखी भूमि को सिंचित भूमि में बदलने और स्थानीय कृषि प्रथाओं में सुधार करने का काम किया। यूएएनएटी की नई तकनीक और OLIC के 318.5 लाख रुपए के वित्तीय समर्थन से, सूखा प्रभावित क्षेत्रों को उपजाऊ बना दिया गया, जिससे कई किसानों को फायदा हुआ।

इस परियोजना का ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले लिफ्ट सिंचाई सिस्टम स्थापित करने पर था, जो पहले कृषि के लिए अनुपयुक्त 600 एकड़ भूमि को कवर करता है। इस पहल को क्षमता निर्माण कार्यशालाओं और सूखा–रोधी फसलों की शुरुआत, फसल की पैदावार में सुधार और विविध कृषि प्रथाओं से समर्थन मिला। ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग जैसी तकनीकों को पेश किया गया, जिससे किसानों को अपनी नई सिंचित भूमि का सही तरीके से उपयोग करने के लिए ज्ञान और संसाधन मिले।

OLIC – यूएएनएटी साझेदारी ने किसानों को बारिश पर निर्भर कृषि से बाहर निकालकर उनके जीवन में बड़ा सुधार किया है। इससे न सिर्फ फसल की पैदावार और आय बढ़ी है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी प्रेरित किया है। इस परियोजना ने कृषि के लिए एक स्थायी और आत्मनिर्भर तरीका अपनाने को बढ़ावा दिया है। यह साझेदारी दिखाती है कि कैसे रणनीतिक सहयोग और नवाचार ग्रामीण ओडिशा में सार्थक, समुदाय–संचालित बदलाव ला सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

यूएएनएटी (UANAT) परियोजना का उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों – कृषि, जल संसाधन, और पशुपालन – को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य केंद्र कृषि विकास पर है ताकि काशिपुर (रायगड़ा जिला) और ठ. रामपुर (कलाहांडी जिला), ओडिशा के पिछड़े क्षेत्रों के 7,500 छोटे और सीमांत किसानों की आय दोगुनी हो सके। इस परियोजना का लक्ष्य 15,000 परिवारों की जीवनस्तर और जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों और सीमांत किसानों के परिवारों की।

प्रमुख परिणाम 2023–24

- कुल 56 फार्म तालाब यूनिट का निर्माण किया गया है, जो 56 एकड़ के क्षेत्र को कवर करते हैं। ये खेत तालाब सिंचाई उद्देश्यों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण जल भंडारण जलाशयों के रूप में काम करते हैं, जिससे 58 परिवार लाभान्वित होते हैं।
- नौ गाँवों में ग्यारह क्लस्टर रिवर लिफ्ट पॉइंट (सीआरएलपी) यूनिट स्थापित की गई हैं, जो 550 एकड़ के बड़े क्षेत्र को कवर करती हैं। ये यूनिट प्रभावी वर्षा जल संचयन तकनीकों के माध्यम से वर्षा जल को पकड़ती हैं और संग्रहीत करती हैं, जो सूखे के दौरान सिंचाई की जरूरतों को पूरा करती हैं। सीआरएलपी के कार्यान्वयन ने 279 परिवारों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिससे निरंतर कृषि उत्पादकता सुनिश्चित हुई है।
- 55 उत्पादक समूहों का सफलतापूर्वक गठन किया गया है, जिसमें 146 गाँवों के 6679 घरों के सदस्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नेटवर्क को और मजबूत करने और इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए 23 मौजूदा समूहों को कार्यक्रम में एकीकृत किया गया है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए काशीपुर में 25 कृषि विस्तार अधिकारियों का चयन किया गया है।

- कृषि विकास पहलों के भाग के रूप में 281 वर्मी बेड स्थापित किए गए हैं। ये बेड प्रभावी जैविक कीट नियंत्रण उपायों के रूप में काम करते हैं, स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं और रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करते हैं।
- यूएएनएटी फंड के तहत वित्त पोषित 32 प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से कुल 1373 प्रमुख किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। ये अग्रणी किसान अपने संबंधित समुदायों में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बेहतर कृषि उत्पादकता और स्थिरता में योगदान करते हैं।
- बैकयार्ड पोल्ट्री (बीवाईपी) कार्यक्रम में 437 परिवारों ने भाग लिया है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए एक स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में मुर्गी पालन को बढ़ावा देना, उन्हें आय और पोषण प्रदान करना है।

एपीसी परियोजना, ओडिशा के प्रभाव की मुख्य विशेषताएँ	
कुल उत्तोलन (करोड़ में)	10.893
मनरेगा से कुल लाभ (लाखों में)	1.69
अन्य आजीविका योजनाओं से जुटाया गया कुल लाभ (करोड़)	9.2
परिवारों को कवर किया गया और कम से कम एक अंतःक्षेप में लगे हुए	8995
आजीविका संपत्ति वाले परिवार (शेड, नर्सरी, आदि)	1555
एनआरएम संपत्ति वाले परिवार (मृदा और जल संरक्षण संरचनाएँ)	26
UANAT परियोजना (एकड़) में उपचारित कुल क्षेत्रफल	5032.5
कृषि में सुधार	
कृषि अंतःक्षेप के तहत कवर किए गए परिवार	8995
गैर–कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) आधारित कृषि के तहत कवर किए गए परिवार	1654
बागवानी के तहत कवर किए गए परिवार	7855
एनपीएम के तहत कवर क्षेत्र (हेक्टेयर)	1016.3
कृषि के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (सब्जियाँ, तिलहन, दलहन, अनाज और अन्य फसलें शामिल हैं) – (हेक्टेयर)	1492.5
बागों/वृक्षारोपण के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र (हेक्टेयर)	264.5
उच्च मूल्य वाली फसल के तहत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	1073.5
कुल कृषि–उद्यमियों को बढ़ावा दिया गया	21
फसल कटाई के बाद की कुल संरचनाएँ बनाई गईं	10
कृषि से कुल बिक्री मूल्य (करोड़ में)	1.23
कृषि यंत्रीकरण तक पहुँच वाले परिवार	1570
एकड़ में सृजित कुल सिंचाई क्षमता	5032.5
सिंचित क्षेत्र विकास के तहत कवर किए गए परिवारों की कुल संख्या	1510
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	
भूमि और जल संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आने वाले परिवार	742
भूमि और जल संसाधन संरक्षण के तहत उपचारित क्षेत्र (एकड़ मे)	715
पशुधन विकास	
पशुधन आधारित आजीविका के तहत कवर किए गए परिवारों और पशु चिकित्सक देखभाल सेवाओं को प्राप्त किया	4383
महिलाओं के नेतृत्व वाली संस्थाओं का विकास	
कुल उत्पादक कंपनियाँ विकसित	1
एपीसी (हेक्टेयर) के तहत कवर किया गया क्षेत्र	1016.3
उत्पादक समूहों के अंतर्गत आने वाले परिवार	6679
एफपीसी/एफपीओ के तहत कुल शेयरधारक	616
बनाए गए कुल उत्पादन क्लस्टर/उत्पादक समूह	55
अधिकारों और हकदारियों तक पहुँच	
एनटीएफपी आधारित आजीविका मे शामिल परिवार	936
विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित परिवार	4027

झारखंड



जिले: गुमला, पश्चिम सिंहभूम, साहिबगंज, पाकुर, गोड्डा, दुमका, गिरिडीह

*नियोजित घरेलू कवरेज शामिल करें

जीवि दा: हासा उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना

झारखंड सरकार के साथ साझेदारी में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, वेल्थुंगरहिल्फे, हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन

पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर ब्लॉक के गिटिलादेर गाँव के निवासी दामू सिरका 3.5 एकड़ भूमि के साथ एक समर्पित किसान हैं। वह एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं और चार लोगों के अपने परिवार के साथ रहते हैं। खेती के अलावा, वह आजीविका की कई अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं।

गाँव के ई–पीआरए अभ्यास के दौरान, दामू ने 'जीवि दा: हासा' परियोजना के तहत एक तालाब बनाने में रुचि दिखाई। इसके बाद, वित्तीय वर्ष 2021–22 में मनरेगा के समन्वय में जीवि दा: हासा परियोजना के माध्यम से 108,768 रुपए के सहयोग से 15mx15m.x3m माप का एक तालाब बनाया गया।

अगले वर्ष, दामू ने मत्स्य निदेशालय द्वारा आयोजित 'मत्स्य पालन और तालाब प्रबंधन' पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लिया, साथ ही एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस), एक खेत तालाब–केंद्रित बहुस्तरीय खेती मॉडल, मछली पालन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ग्राउंड सीएसओ पार्टनर टीम द्वारा आयोजित एक इन–हाउस प्रशिक्षण में भाग लिया।

तालाब तैयार करने के बाद, दामू ने मानसून की पहली बारिश के बाद 1.5 किलो शिशु मछली (फिंगरलिंग्स) का स्टॉक किया, जिसमें 525.00 रुपए का निवेश किया गया। मछली पालन के अलावा, उन्होंने तालाब की मेड़ पर सब्जी की खेती शुरू की, मिर्च और पत्तेदार सब्जियों पर ध्यान केंद्रित किया और मछली फीड और सब्जी खाद के लिए जीवामृतम (घर का बना तरल आधारित जैविक चारा पोषक तत्व) का इस्तेमाल किया। उन्होंने टमाटर और पालक को मिलाकर खेती के क्षेत्र का विस्तार किया। इसके अलावा, उन्होंने प्राकृतिक वातन के लिए तालाब को पाँच बत्तखों के साथ एकीकृत किया और एक छोटा अजोला गड्ढा बनाया। मचान आधारित फसल की खेती विकसित करते समय, समय की कमी ने इस प्रक्रिया में देरी की। हालांकि, दामू आगामी मानसून सीजन से पहले इसे स्थापित करने की योजना बना रहा है।

माघे पर्व (Maghe Parab) के दौरान, दामू ने मछली पालन से लगभग 15 किलोग्राम मछली (भारतीय प्रमुख कार्प – रोहू, कटला और मृगल) प्राप्त की। उन्होंने 10 किलोग्राम मछली को स्थानीय स्तर पर ₹200 प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा और बाकी को परिवार की खपत के लिए उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने न्यूनतम निवेश के साथ सब्जी की खेती के माध्यम से लगभग 5600 रुपए कमाए। दामू ने खेत के तालाब के आसपास केंद्रित इस एकीकृत कृषि प्रणाली के माध्यम से लगभग 10,000 रुपए का लाभ कमाया। उनके बेटे के पास मनरेगा के तहत निर्मित एक खेत तालाब भी है और साथ में, वे अपने प्रयासों को और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। दामू को अब बाहरी श्रमसाध्य नौकरियों की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस एकीकरण ने उन्हें एक स्थिर आय प्रदान की है।

जीवि दा: हासा (JDH) परियोजना का उद्देश्य झारखंड के कम विकसित क्षेत्रों में जीवन, जल संसाधन और आजीविका को पुनर्जीवित करना है। यह वाटरशेड विकास सिद्धांतों के आधार पर व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र पुनरुद्धार के लिए मनरेगा की योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए स्थानीय शासी निकायों की क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित है। महिला समूहों के लिए क्षमता निर्माण और विभिन्न स्तरों पर स्थानीय सरकारी विभागों के साथ जुड़ने पर जोर दिया जाता है। इस परियोजना में गाँवों में जल और मिट्टी संरक्षण से संबंधित खामियों और चुनौतियों की पहचान के लिए त्वरित मूल्यांकन भी शामिल हैं।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य 3.39 लाख हेक्टेयर वाटरशेड क्षेत्रों में क्षेत्रीय उपचार और मृदा संरक्षण को लागू करना, कम से कम 1.50 लाख हेक्टेयर में फसल की तीव्रता में सुधार करना, वाटरशेड कार्यान्वयन/प्रबंधन पर फ्रंटलाइन पंचायत प्रतिनिधियों (PRI) और समुदाय के सदस्यों की ज्ञान व कौशल को बढ़ाना और सामुदायिक कैडरों और परियोजना प्रतिभागियों के लिए वाटरशेड गतिविधियों पर क्षमता निर्माण करना। इस दृष्टिकोण में त्वरित मूल्यांकन, सामुदायिक संगठन और भागीदारी, विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण, और विभिन्न विभागों और संस्थानों के विभिन्न स्तरों के साथ जुड़ाव शामिल है। इसके अलावा, महिलाओं को उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में समर्थन देने और सार्वजनिक स्थानों पर लिंग आधारित हिंसा पर अध्ययन करने पर भी ध्यान दिया जाता है।

2023–24 के महत्त्वपूर्ण परिणाम

जेडीएच परियोजना को 15 गहन और 9 गैर–गहन ब्लॉक में लागू किया जा रहा है। गहन ब्लॉकों में 1,045 गाँवों को कवर किया गया है और 404 गाँवों को गैर–गहन ब्लॉकों में कवर किया जाएगा। अब तक, गहन और गैर–गहन दोनों ब्लॉकों में आगे कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत कार्यकारी समिति को 994 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्रस्तुत की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 की शुरुआत से, 174,184 विभिन्न एनआरएम और आजीविका सुधार योजनाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 1,86885 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त की गई हैं और ग्राम–वार विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में इनकी योजना बनाई गई है।

174,184 योजनाओं में से 48,374 विभिन्न प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिनकी कुल लागत ₹446.07 करोड़ है, जो 15 गहन और 9 गैर–गहन ब्लॉकों में लागू की गई हैं। वर्तमान में, 6,761 योजनाएँ क्षेत्रीय स्तर पर चल रही हैं, जिनका अनुमानित बजट ₹130.88 करोड़ है। कुल 1,650 विभिन्न एनआरएम योजनाएँ शारीरिक रूप से पूरी हो चुकी हैं, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से ₹44.78 करोड़ और अन्य संबद्ध विभागों के साथ समन्वय से ₹9.74 करोड़ की राशि जुटाई गई है। कुल मिलाकर, जुटाई गई राशि लगभग ₹59.91 करोड़ है।

गहन ब्लॉक: 15 गहन ब्लॉक में, 951 ओपन डेटा किट (ओडीके) अनुप्रयोग और GIS प्रौद्योगिकी–आधारित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) ग्राम सभाओं द्वारा विधिवत अनुमोदित होने के बाद ब्लॉक को प्रस्तुत की गईं, जिसमें 1,045 राजस्व गाँव शामिल हैं। नियोजित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में, पूरे परियोजना क्षेत्र में 112,773 घरों को शामिल किया गया है, जो 2.30 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12,916 परिवार पहले ही कम से कम एक एनआरएम या आजीविका अंतःक्षेप से सीधे लाभान्वित हुए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से 3,875 महिला परियोजना प्रतिभागी, 9,687 अनुसूचित जनजाति परिवार और 129 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह परिवार शामिल हैं।

गैर–गहन ब्लॉक: जेडीएच परियोजना में, 24 ब्लॉकों में से, 9 को गैर–गहन ब्लॉक करार दिया गया है, जहाँ सीएसओ भागीदारों से परियोजना एचआर सीधे तैनात नहीं है। संबंधित जमीनी सीएसओ भागीदारों द्वारा चयनित और प्रशिक्षित महिला साथी, वार्ड सदस्यों, गाँव के युवा नेताओं आदि के योजना सुविधा दलों (पीएफटी) ने गैर–गहन ब्लॉकों में डीपीआर योजना पूरी कर ली है। पहचान किए गए 404 राजस्व गाँवों में से, 322 गाँवों के लिए योजना ई–पीआरए अभ्यास योजना और ओडीके योजना कैप्चरिंग का उपयोग करके प्राप्त की गई है। ग्राम सभा में स्कीमों को प्राथमिकता देने के बाद जीपीईसी स्तर पर 43 डीपीआर प्रस्तुत की गई हैं। बाकी डीपीआर प्रारूपण चरण में हैं और एसपीएमयू स्तर से अनुमोदन के बाद ही ग्राम पंचायत कार्यकारी समिति (जीपीईसी) को भेजी जाएंगी।



आजीविका पहल

वित्त वर्ष 2023–24 में कम से कम 100,000 छोटे और सीमांत परिवारों के लिए आय दोगुनी करने के अवसर पैदा करने के परियोजना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न आजीविका पहल की गईं। एसपीएमयू ने सभी साझेदार सीएसओ के परामर्श से, विभिन्न आजीविका प्रोटोटाइप की मैपिंग की जो स्थानीय रूप से व्यवहार्य, पारिस्थितिक रूप से दीर्घकालिक सतत, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और आसानी से दोहराए जा सकने वाले थे।

कुछ प्रोटोटाइप नीचे वर्णित हैं –

मत्स्य पालन विभाग के साथ समन्वय में मछली पालन पहलः झारखंड सरकार के मत्स्य निदेशालय के सहयोग से किसानों ने 'मत्स्य पालन और तालाब प्रबंधन' और 'बीज भंडारण और प्रबंधन' में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके तहत, किसानों को कई लाभ मिले, जैसे पीएमएसबीवाई के तहत 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवरेज और नर्सरी प्रबंधन के तहत बीजों पर 90 प्रतिशत सब्सिडी, साथ ही 10 लाख बीज के लिए अतिरिक्त सामग्री भी उपलब्ध कराई गई।

समेकित कृषि प्रणालीः वित्तीय वर्ष 2022–23 में एक समेकित कृषि प्रणाली (IFS) शुरू की गई, जिसमें शुरुआत में 284 किसान शामिल थे, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 336 किसानों तक विस्तारित किया गया। इस प्रणाली के तहत 170 तालाबों में फिंगरलिंग स्टॉकिंग और कृषि–बागवानी प्रथाओं को लागू किया गया। इसमें बतख पालन और मचान आधारित फसल उत्पादन को भी जोड़ा गया, जिससे 800 किलो मछली और भरपूर सब्जियों की पैदावार हुई। इस पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लक्षित प्रशिक्षण और 150 मचान तारों की आपूर्ति की गई, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ।

अनुबंध खेती (सेमिना एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के साथ): इस साल, 82 नए किसानों ने एकीकृत खेती तालाबों सहित लगभग 7 एकड़ में पपीते की खेती के लिए सेमिना एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी की। यह पिछले साल के 49 किसानों से 15 एकड़ में फैला हुआ है। अब केंद्रीकृत नर्सरी के साथ, बीज अंकुरण दर और पौधे की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है, जिससे फसल की उत्तरजीविता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

शेड–नेट हाउस के तहत सुनिश्चित कृषि (खेती प्राइवेट लिमिटेड के साथ): जीवि दा: हासा परियोजना में, पिछले वर्ष 23 शेड–नेट हाउस सात ब्लॉक में स्थापित किए गए थे और इस वर्ष 13 नए हाउस जोड़े गए हैं। इन इंस्टॉलेशनों की कुल मूल्य ₹5.85 लाख है वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए, जो कुल ₹18.50 लाख की राशि का हिस्सा है। इसने किसानों की आय को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, जो एक फसल चक्र के माध्यम से ₹5,000 से ₹18,000 तक की वृद्धि कर रही है, जो सब्जियों के पौधों की नर्सरी विकास और खेती से प्राप्त हो रही है।

औपचारिक कौशल के माध्यम से रोजगार सृजन (PREJHA, अनुदीप फाउंडेशन, आदि के साथ): 2023–24 के दौरान, जेडीएच और PREJHA फाउंडेशन ने जेडीएच परियोजना इलाके के भीतर एक युवा कौशल पहल पर सहयोग किया। इस सहयोग ने 70 से अधिक युवाओं को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिनमें से 30 ने वायर हार्नेसिंग, टेलरिंग, चिनाई, इलेक्ट्रिकल और मोबाइल डिवाइस असेंबली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त किया है, जो ₹15,000 से ₹25,000 के बीच मासिक वेतन अर्जित करते हैं।



जीवि दाः हासा परियोजना के प्रभाव की मुख्य विशेषताएँ	
कुल उत्तोलन (करोड़ रुपए में)	59.91
मनरेगा से कुल लाभ (करोड़ रुपए में)	44.78
अन्य आजीविका योजनाओं से जुटाया गया कुल लाभ (करोड़)	5.31
परिवारों को कवर किया गया और कम से कम एक अंतःक्षेप (पहल) में लगे हुए	12916
आजीविका संपत्ति वाले परिवार (शेड, नर्सरी, आदि)	7207
एनआरएम परिसंपत्तियों वाले कुल परिवार (मृदा और जल संरक्षण संरचनाएँ)	5709
राज्य में उपचारित कुल क्षेत्रफल (एकड़)	8169
आईएनआरएम और वाटरशेड सिद्धांतों पर निर्मित क्षमता के साथ कुल मनरेगा कार्यकर्ता (एपीओ, पीओ, टीए, जीआरएस)	3634
आईएनआरएम और वाटरशेड सिद्धांतों पर निर्मित क्षमता के साथ कुल पीआरआई, एसएचजी और वीओ सदस्य	21687
कृषि में सुधार	
कृषि अंतःक्षेप के तहत कवर किए गए परिवार	11634
बागवानी के तहत कवर किए गए परिवार	2070
कृषि के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (सब्जियाँ, तिलहन, दलहन, अनाज और अन्य फसलें शामिल हैं) – (हेक्टेयर)	471
बागों/वृक्षारोपण के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र (हेक्टेयर)	722
उच्च मूल्य वाली फसल के तहत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	249.35
कुल कृषि–उद्यमियों को बढ़ावा दिया गया	170
कृषि से कुल बिक्री मूल्य (करोड़ रुपए में)	23.27
एकड़ में सृजित कुल सिंचाई क्षमता	3690
सिंचित क्षेत्र विकास के अंतर्गत कवर किए गए परिवार	29
सिंचाई बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए उठाया गया लाभ	0.27
कुल खेत तालाबों का निर्माण	1177
कुल खोदे गए कुओं का निर्माण	53
दोहरी फसल और लंबी अवधि की वनस्पति के लिए विकसित कुल सिंचित क्षेत्र	3531
खेत का तालाब (एकड़ में)	3531
खोदा हुआ कुआँ (एकड़ में)	159
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	
भूमि और जल संसाधन संरक्षण के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों की कुल संख्या	5709
भूमि और जल संसाधन संरक्षण के तहत उपचारित क्षेत्र (एकड़ में)	8169
एनआरएम परिसंपत्ति विकास से लाभान्वित कुल परिवार	5709
कुल सूक्ष्म वाटरशेड कवर किए गए	542
कृषि–बागवानी (हेक्टेयर में)	722
पशुधन विकास	
पशुधन आधारित आजीविका में परिवारों की कुल संख्या	532
पशु चिकित्सक देखभाल सेवाओं के अंतर्गत आने वाले परिवार	118
बीवाईपी पालन के अंतर्गत आने वाले परिवार	38
बकरी पालन के तहत कवर किए गए परिवार	40
मत्स्यपालन के अंतर्गत आने वाले परिवार	336
महिला नेतृत्व वाली संस्थाओं का विकास	
खेयती/Kheyti मॉडल – ब्लॉकों की संख्या	7
खेयती/Kheyti मॉडल – मॉडल की संख्या	31
अधिकारों और हकदारियों तक पहुँच	
एनटीएफपी आधारित आजीविका में शामिल परिवार	40

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर), असम



जिलेः उदलगुरी, तामुलपुर, बक्सा

*जिन परिवारों की योजनाओं को ओडीके में कैप्चर किया गया थाय इसके अलावा, 14,980 घरेलू योजनाएँ पहले से ही प्रशासन में प्रस्तुत करने के माध्यम से प्रक्रिया में हैं (मनरेगा)। कम से कम 3500 परिवारों को कम से कम एक अंतःक्षेप से लाभ हुआ।

जन जीवन उत्थान हेतु एकीकृत प्रबंधन के साथ विविधीकरण (DWIMU) परियोजना

बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, असम के साथ साझेदारी में

फरवरी 2023 में शुरू की गई द्विमु पहल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम करने वाली महिला साथियों के लिए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के फंड से लगभग पाँच करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि आवंटित की है। यह आवंटन, बीआरएलएफ द्वारा समर्थित परियोजना क्षेत्रों में, महिला साथियों की समस्याओं का समाधान करने और उनके साथ अधिक प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

हाल ही में, द्विमु पहल को 200 योजनाओं के आदेश मिले हैं, और इसके तहत सभी जमीनी स्तर के कर्मियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिससे इस क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है। इस पहल को सभी ग्राम परिषद विकास समिति (वीसीडीसी) अध्यक्षों के सहयोग से भी लाभ हुआ है। इन तैयारियों के साथ, बोडोलैंड स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एसपीएमयू) की टीम उत्साह के साथ निष्पादन के अगले चरण में जाने के लिए तैयार है।

अप्रैल 2021 में बोडोलैंड में स्थानीय समुदाय की जरूरतों को समझने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। विचार–विमर्श के बाद, टीम ने संभावित साझेदारों की पहचान की और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) सरकार के साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया। इसके बाद, मई 2022 में, भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) और ठज्ज् सरकार ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर अपने सहयोग को औपचारिक रूप दिया। टास्क फोर्स ने बक्सा और उदलगुरी, इन दो प्रगतिशील जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। बीआरएलएफ ने पाँच सिविल सोसाइटी संगठनों को इस कार्य के लिए चुना। एक परियोजना बनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बोडोलैंड में अनुसूचित जनजातियों और गरीब कमजोर परिवारों की आय में वृद्धि करना, योजनाओं के सही ढंग से कार्यान्वयन के लिए स्थानीय शासन को मजबूत बनाना, और सामुदायिक संस्थाओं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की क्षमता को बढ़ाना है। यह परियोजना सात ब्लॉकों में फैले प्रगतिशील जिलों के 40,000 परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है।



2023–24 के महत्त्वपूर्ण परिणाम

मई 2023 में शुरू होने के बाद से, इस परियोजना का संचालन आठ सदस्यीय प्रबंधन इकाई, एसपीएमयू द्वारा किया जा रहा है। इस टीम ने GIS लैब की स्थापना में मदद की है और सरकारी निकायों के साथ तालमेल बनाए रखते हुए नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

अब इस परियोजना का नाम द्विमु/DWIMU ('जन जीवन उत्थान हेतु एकीकृत प्रबंधन के साथ विविधीकरण') रखा गया है और इसे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद द्वारा समर्थित एक नए लोगो के साथ अपनाया गया है, जो इसकी नई पहचान को दर्शाता है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए, परियोजना टीम अधिकारियों के साथ जुड़कर नीतियों और कार्यक्रमों की वकालत कर रही है, जो लक्षित समूहों को लाभ पहुँचा सकते हैं। इसमें जिला और ब्लॉक स्तरों के बीच प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, नवंबर 2023 में एक परियोजना संचालन समिति की स्थापना के बाद सरकार से सहयोग और भी मजबूत हुआ है। परियोजना सरकारी पहलों में सहयोग बढ़ाने के लिए लगातार पत्र भेजती है और प्रशिक्षण और योजना अनुमोदन को प्रोत्साहित करती है। खासकर मनरेगा के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने 14,000 से अधिक प्रशिक्षण दिवसों पर प्रभाव डाला है, जिससे कई हितधारकों को लाभ हुआ है।

परियोजना कार्यान्वयन

समन्वय के अंतर्गत बीआरएलएफ राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) की भूमिका हितधारकों की पहचान करना और सरकारी विभागों के साथ मिलकर परियोजना क्षेत्रों में आजीविका योजनाओं को जोड़ना है, ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। एसपीएमयू विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम करती है, ताकि योजनाएँ ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक सही तरीके से लागू हो सकें। समस्याओं को हल करने के लिए, एसपीएमयू परियोजनाओं की निगरानी करती है, आवश्यक पत्राचार तैयार करती है, और सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) के लिए सरल दिशानिर्देश (एसओपी) बनाती है, जिससे योजनाओं की योजना बनाने और मंजूरी की प्रक्रिया में सहायता मिलती है।

मनरेगा के साथ समन्वय

2023–24 की अवधि के लिए, एक पहल में बीटीआर जिले के औसत की तुलना में ऑपरेटिंग क्षेत्र में 1.16 व्यक्ति दिनों की वृद्धि देखी गई। इसमें कार्यान्वयन के लिए 979 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) आधारित व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाएँ (आईबीएस), 470 गैर–एनआरएम–आधारित आईबीएस और 166 एनआरएम–आधारित सामुदायिक योजनाएँ प्रस्तुत करना शामिल था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 21.29 करोड़ रुपए की 1615 योजनाएँ लागू की गईं। 6 करोड़ रुपए की 391 योजनाएँ प्रगति पर हैं और 27 पूरी हो चुकी हैं।

एएसआरएलएम और अन्य लाइन विभागों के साथ समन्वय

क्लस्टर–स्तरीय फेडरेशन फंड का लाभ उठाते हुए, असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ASRLM) ने घरेलू संपत्ति निर्माण के लिए सफलतापूर्वक 5.29 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके अतिरिक्त, कृषि, बागवानी और सिंचाई जैसे विभिन्न विभागों के सहयोग से, विविध परिसंपत्ति विकास के लिए अतिरिक्त 6.73 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। इस पहल ने संपत्ति निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि को प्रभावी ढंग से इकट्ठा किया।

द्विमु (DWIMU) परियोजना की मुख्य विशेषताएँ	
कुल उत्तोलन (करोड़ रुपए में)	19.03
मनरेगा से कुल लाभ (करोड़ रुपए में)	6.41
अन्य आजीविका योजनाओं से जुटाया गया कुल लाभ (करोड़)	12.02
कम से कम एक अंतःक्षेप में लगे परिवार	1351
आजीविका संपत्ति वाले परिवार (शेड, नर्सरी, आदि)	92
एनआरएम संपत्ति वाले परिवार (मृदा और जल संरक्षण संरचनाएँ)	358
राज्य में उपचारित कुल क्षेत्रफल (एकड़)	125.97
आईएनआरएम और वाटरशेड सिद्धांतों पर निर्मित क्षमता के साथ कुल मनरेगा कार्यकर्ता (एपीओ, पीओ, टीए, जीआरएस)	51
आईएनआरएम और वाटरशेड सिद्धांतों पर निर्मित क्षमता के साथ कुल पीआरआई, एसएचजी और वीओ सदस्य	3128
कृषि में सुधार	
कृषि अंतःक्षेप के तहत कवर किए गए परिवार	380
गैर–कीटनाशक प्रबंधन आधारित कृषि के तहत कवर किए गए परिवार	380
बागवानी के तहत कवर किए गए परिवार	13
एनपीएम के तहत कवर क्षेत्र (हेक्टेयर)	54.5
कृषि के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (सब्जियाँ, तिलहन, दलहन, अनाज और अन्य फसलें शामिल हैं) – (हेक्टेयर)	122.5
बागों/वृक्षारोपण के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र (हेक्टेयर)	2.74
एकड़ में सृजित कुल सिंचाई क्षमता	54.34
सिंचित क्षेत्र विकास के अंतर्गत कवर किए गए परिवार	113
कुल बनाए गए खेत तालाब (फार्म पोंड)	43
खेत तालाब (एकड़ में)	12.8
सूक्ष्म सिंचाई के तहत कुल क्षेत्र (एकड़ में)	70
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	
भूमि और जल संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आने वाले परिवार	390
भूमि और जल संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (एकड़ में)	137.5
एनआरएम परिसंपत्ति विकास से लाभान्वित परिवार	390
वृक्षारोपण (हेक्टेयर में)	10.3
पशुधन विकास	
पशुधन आधारित आजीविका में परिवारों की कुल संख्या	901
पशु चिकित्सक देखभाल सेवाओं के अंतर्गत आने वाले परिवार	573
बैकयार्ड मुर्गी पालन के तहत कवर किए गए परिवार	114
बकरी पालन के तहत कवर किए गए परिवार	370
मत्स्यपालन के अंतर्गत आने वाले परिवार	43
सुअर पालन के अंतर्गत आने वाले परिवार	402

तेलंगाना



जिले: नगरकुरनूल, नलगोंडा, विकाराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, केबी आसिफाबाद, मंचेरियल, भद्राद्री कोठागुडम, आदिलाबाद, निर्मल

सामुदायिक वन अधिकार परियोजना, तेलंगाना

तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी में

तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के कौलतगम ग्राम पंचायत में, कोलम समुदाय, जो एक विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, बाँस की टोकरी बुनाई की पुरानी कला को बनाए रखे हुए है। एक प्रमुख शिल्पकार, अताराम लक्ष्मी बाई, गीसुगोंडा गाँव में यह कला प्रदर्शित करती हैं और बाँस के लिए पास के मंगलम ठडवा जंगल से बाँस लाती हैं। यह 967 एकड़ का जंगल बाँस के साथ–साथ महुआ और अन्य गैर–लकड़ी वन उत्पाद भी प्रदान करता है, जो समुदाय की आजीविका के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा, वे कपास की खेती और ज्वार और दालों की फसल भी उगाते हैं।

गीसुगोंडा, जहाँ लगभग 29 परिवार रहते हैं, बाँस के व्यावसायिक संग्रहण/बिक्री में दिक्कतों का सामना कर रहा है, जिससे उनका आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद, यहाँ अच्छी संभावनाएँ हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के ऐसे ही समुदाय बाँस बेचकर सालाना 1,00,000 रुपए तक कमा रहे हैं। 'सेंटर फॉर पीपल्स फॉरेस्ट्री' की मदद से गीसुगोंडा के लोगों ने एक नई वन अधिकार समिति (एफआरसी) बनाई है, जिसमें 50 प्रतिशत महिलाएँ शामिल हैं, जो कि अपने जंगलों पर कानूनी अधिकार पाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मी बाई जैसे नेता इस दिशा में सरकारी अधिकारियों से बात कर रहे हैं, ताकि सतत विकास हो सके और उनकी सांस्कृतिक परंपराएँ बची रहें।



बीआरएलएफ ने अगस्त 2023 में, तेलंगाना के जनजातीय कल्याण विभाग के आयुक्त के साथ एक समझौता किया और अपने कार्य का विस्तार किया। इसका उद्देश्य सामुदायिक वन अधिकारों (सीएफआर) को लागू करने के पायलट प्रोजेक्ट को तीन क्षेत्रों – उटनूर, मन्नूनार, और भद्राचलम में शुरू करना है। यह प्रोजेक्ट तेलंगाना राज्य में 425 से अधिक गाँवों को शामिल करेगा।

इस सहयोग का प्राथमिक लक्ष्य आदिवासी समुदायों को सामुदायिक वन अधिकारों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना था। इस परियोजना का कार्यान्वयन तीन आईटीडीए में कार्यरत चार सीएसओ भागीदारों द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक वन अधिकारों की कानूनी मान्यता और संरक्षण को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों के वन संसाधनों के स्थायी प्रबंधन का सहयोग करना है। इसमें स्थानीय समुदायों, नागरिक समाज संगठनों, सरकारों और निजी क्षेत्र सहित कई हितधारकों के साथ समर्थन शामिल है, ताकि सामुदायिक वन अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता और समझ को बढ़ावा दिया जा सके और उनके सीएफआर के लिए प्रभावी रणनीतियों को विकसित और कार्यान्वित किया जा सके।

सामुदायिक वन अधिकारों को मजबूत करके, परियोजना का उद्देश्य स्थायी वन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और वन संसाधनों पर निर्भर स्थानीय समुदायों की आजीविका को बढ़ावा देना है। परियोजना को एटीआरईई के सहयोग से एक संसाधन एजेंसी से तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। यह सहयोग मुख्य रूप से जीपीएस मानचित्र तैयार करने, वन क्षेत्रों की प्रथागत सीमाओं को स्पष्ट रूप से मैप करने पर केंद्रित है। संसाधन एजेंसी के साथ साझेदारी ने सीएफआर दावा दस्तावेजों में उपयोग की जाने वाली स्थानिक जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद की।

इस परियोजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार)– (पेसा), ग्राम सभाओं, वन अधिकार समितियों, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी (एसईआरपी) के सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी), नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ), और अन्य संबंधित हितधारकों को समुदाय वन अधिकार (सीएफआर) का दावा/क्लेम प्रक्रिया में प्रभावी सहायता प्रदान करना है। यह परियोजना 400 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के निवासियों द्वारा वन संसाधनों के सही प्रबंधन और मान्यता की वकालत करती है, साथ ही स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ सतत वन प्रबंधन और संरक्षण के लिए अभ्यास को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, यह वन–निर्भर समुदायों की आजीविका और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करने और इन उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ), स्थानीय नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ), और जनजातीय कल्याण विभाग के बीच सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करती है।

प्रमुख परिणाम– 2023–24:

- **बेसलाइन सर्वेक्षण:** संभावित सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 556 बस्तियों में सफलतापूर्वक आधारभूत सर्वेक्षण किया गया, जिससे आगे की परियोजना गतिविधियों के लिए एक ठोस नींव रखी गई।
- **प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण (परिचय):** क्षेत्रीय कार्यान्वयन टीम के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 47 प्रतिभागी शामिल थे। इसने प्रभावी सीएफआर कार्यान्वयन के लिए टीम को आवश्यक ज्ञान और कौशल युक्त किया है।
- **ग्राम अभियान:** तीन आईटीडीए के 100 से अधिक गाँवों में व्यापक सीएफआर अभियान आयोजित किए, जिसमें डोर–टू–डोर आउटरीच, सामुदायिक–स्तरीय समूह बैठकें और जागरूकता बढ़ाने और सीएफआर पहलों का सहयोग करने के लिए स्थानीय नेताओं को शामिल करना सम्मिलित है।
- **वन अधिकार समितियों (फॉरेस्ट राईट कमेटी– एफआरसी) का गठन और क्षमता निर्माण:** ग्राम सभाओं के माध्यम से 93 गाँवों में वन अधिकार समितियों (एफआरसी) के गठन को सुगम बनाया गया।
- **सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए):** सामुदायिक संसाधनों की पहचान करने और उनका प्रलेखन करने के लिये 92 गाँवों में पीआरए मैपिंग का कार्य पूरा किया गया, यह सुनिश्चित किया गया कि समुदाय की संसाधन जरूरतों और पारंपरिक प्रथाओं को मान्यता दी गई है और सीएफआर योजनाओं में एकीकृत किया गया है।
- **क्लेम दस्तावेज तैयार करना:** 92 गाँवों में क्लेम दस्तावेज तैयार करने में एफआरसी का सहयोग किया, जिससे पूरी तरह से सामुदायिक भागीदारी और उनके वन उपयोग और प्रबंधन प्रथाओं का सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ।
- **ग्राम सभा संलग्नता:** 92 गाँवों में पंचायत सचिवों, सरपंचों और विशेष अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कीं, जिसके कारण परिपत्र जारी किए गए और सीएफआर योजना और एफआरसी गठन के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया।
- **जीपीएस मैपिंग:** 53 जीपीएस मैपिंग, एफआरसी और समुदायों की पूर्ण भागीदारी के साथ की जाती है।
- **परामर्श बैठकें:** एमपीओ, एमपीडीओ और एमआरओ के साथ 12 ब्लॉक–स्तरीय परामर्श बैठकें आयोजित कीं, सीएफआर परियोजना के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से सहयोग और समर्थन को बढ़ावा दिया।

गुणवत्तापूर्ण प्रभाव और उपलब्धियाँः

- अपने अधिकारों के बारे में समुदाय की जागरूकता और सामुदायिक वन अधिकारों (सीएफआर) के महत्व में काफी सुधार हुआ है, जिससे वन संसाधनों की पहचान और दस्तावेजीकरण की एक अधिक मजबूत प्रक्रिया हुई है। इसने उन्हें अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से दावा करने में सक्षम बनाया। इसके अलावा, सीएफआर दावा प्रक्रिया में सहयोग ने सभी गाँवों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ सरकारी अधिकारियों, पीआरआई सदस्यों और समुदाय के बीच बेहतर संबंध को बढ़ावा दिया है। इस पहल ने वन संसाधनों की पहचान और प्रलेखन के महत्व पर प्रकाश डाला और परियोजना के भीतर लिंग समावेशिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
- सीएफआर परियोजना ने कई क्षेत्रों में सामुदायिक वन प्रबंधन में काफी प्रगति की है। भागीदारी मानचित्रण और समावेशी हितधारक परामर्श के माध्यम से, परियोजना के भागीदारों में से एक ने भीमपुर मंडल में 605.80 एकड़ सहित संभावित सीएफआर क्षेत्रों की सफलतापूर्वक पहचान की और चिह्नित किया।
- महिलाओं ने सक्रिय रूप से महिलाओं के सीएफआर समूहों का गठन किया है और वन प्रबंधन प्रथाओं में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे उन्हें वन–निर्भर समुदायों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को पहचानने और मजबूत करने में मदद मिली है।
- हैंड–होल्डिंग सहयोग ने महिला सदस्यों के अधिक प्रतिशत के साथ वन अधिकार समितियों (एफआरसी) बनाने में मदद की है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में लिंग समानता को बढ़ावा मिला है। स्वयं सहायता समूह की नेताओं को शामिल करने से प्रशिक्षण और बैठकों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है, जिससे वन प्रबंधन के लिए एक अधिक समावेशी दृष्टिकोण विकसित हुआ है।
- इसके अतिरिक्त, संगठनों ने रणनीतिक मानदंडों के आधार पर चेंचु (पीवीटीजी) समुदाय के गाँवों की पहचान की है और व्यापक समुदाय बैठकें आयोजित की हैं। इन प्रयासों ने सतत वन प्रबंधन और संसाधनों के उपयोग के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। विभिन्न सरकारी विभागों और अधिकारियों के साथ कई जिलों में सहयोग से सीएफआर परियोजना की पहल के सफल कार्यान्वयन और समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण बना है।

अधिकारों और हकदारियों तक पहुँच	
एनटीएफपी आधारित आजीविका में शामिल परिवार	15816
दायर किए गए कुल सीएफआर क्लेम	164
सीएफआर पर जागरूकता/प्रशिक्षण अभियान में शामिल परिवार	6495





महाराष्ट्र

उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना



जिले: गढ़चिरौली, गोंदिया, नांदेड़, यवतमाल, चंद्रपुर

जनजातीय विकास परियोजना



जिले: नंदुरबार, गढ़चिरौली, यवतमाल, अमरावती, गोंदिया

उच्च प्रभाव आजीविका संवर्धन परियोजना, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार के साथ साझेदारी में

"मैं तुकाराम सोनू दादाजे, यवतमाल के आदिवासी क्षेत्र के छोटे से गाँव शिरातोकी से हूँ। मेरे परिवार की जिंदगी मुख्य रूप से बुनियादी खेती और दैनिक श्रम पर निर्भर थी, लेकिन हमारे सूखे भूमि पर सीमित खेती की क्षमता के कारण हम केवल एक फसल प्रति सीजन उगा पाते थे। हमारी किस्मत तब बदलनी शुरू हुई जब ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट और भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) द्वारा हाई इम्पैक्ट लाइवलीहुड एन्हैंसमेंट परियोजना शुरू की गई।"

उनकी मदद से, मैंने सरकारी योजनाओं के बारे में जाना जो मेरी खेती में मदद कर सकती थीं। खासकर, कृषि विभाग की सिंचाई योजना ने मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव किया। हमारे पास 5 एकड़ जमीन है, लेकिन पानी की कमी के कारण हम केवल एक फसल उगाते थे। सिंचाई परियोजना के जरिए हमने एक कुआं लगाया, जिससे हमारी उत्पादकता काफी बढ़ गई। पहले एक फसल को ही मुश्किल से प्रबंधित कर पाते थे, अब हम हर सीजन में तीन से चार फसलें उगाते हैं और अपनी जमीन की पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं।

जल स्तर कम होने से पारंपरिक सिंचाई में समस्याएँ आने लगीं। इसलिए मैंने महा डीबीटी के तहत स्प्रिंकलर योजना अपनाई। मैंने सरकारी अनुदान से 19,000 रुपए और अपने 35,000 रुपए के योगदान से स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया, जिससे फसल को बेहतर पानी प्राप्त हुआ और हमारी उपज और आय में काफी वृद्धि हुई।

उच्च प्रभाव आजीविका संवर्धन परियोजना 2021 में बीआरएलएफ और शबरी आदिवासी विकास महामंडल, नासिक के बीच एक समझौता ज्ञापन के आधार पर शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य भूमि और जल संसाधनों में सुधार करना, स्थायी कृषि प्रथाओं को लागू करना, पशुधन उत्पादकता बढ़ाना, गैर–कीटनाशक आधारित कृषि को बढ़ावा देना, गैर–इमारती वन उपज (एनटीएफपी) के लिए एक लाभदायक मूल्य शृंखला स्थापित करना और बेहतर ग्राम विकास प्रक्रियाओं के लिए ग्राम सभाओं/पीआरआई को सशक्त बनाना है।



परियोजना का पहला चरण जून 2021 में शुरू हुआ और जुलाई 2023 में समाप्त हुआ। छह संगठनों ने पाँच जिलों में परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किए:

- **कन्वर्जेन्स (सहयोग):** कुल 34.83 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जुटाए गए हैं।
- **लाभार्थी प्रभाव:** 22,783 परिवारों ने लाभान्वित किया है, आय में वृद्धि का अनुभव किया है।
- **जल संचयन संरचनाएँ:** मनरेगा और अन्य एजेंसियों के माध्यम से 398 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया। इसके परिणामस्वरूप 2605.5 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हुई और मिट्टी के कटाव में काफी कमी आई।

गुणवत्तापूर्ण प्रभाव और उपलब्धियाँ:

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में परियोजना के प्रारंभिक चरण ने आजीविका बढ़ाने और आदिवासी समुदायों के बीच अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया, जिससे आय और स्थिरता में सुधार हुआ। बीएआईएफ और जीएसएमटी के साथ साझेदारी के तहत चार महीनों में विभिन्न विभागों से लगभग 1.3 करोड़ रुपए हासिल किए गए, जो कुशल संसाधन उपयोग और सामुदायिक उत्थान के लिए रणनीतिक सहयोग का प्रदर्शन करते हैं।

दीर्घकालिक सतत कृषि में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, विविध फसल पैटर्न, कम–इनपुट और गैर–कीटनाशक प्रथाओं के साथ, विशेष रूप से 282 किसानों द्वारा 60 हेक्टेयर पर, प्रवासन ध्पलायन को 10 प्रतिशत तक कम किया गया और कृषि लचीलापन बढ़ाया गया। 150 बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट को शुरू करने और पशुधन उत्पादकता में सर्वोत्तम प्रथाओं से घरेलू आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं, जैविक खेती के तरीकों ने उपज के बाजार मूल्य को 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए रासायनिक इनपुट लागत को कम कर दिया।

ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप उच्च सामुदायिक भागीदारी और अधिक समावेशी ग्राम विकास हुआ, जिसमें 45 प्रतिशत योजनाओं को पंचायत योजनाओं में एकीकृत किया गया। इसके अलावा, आजीविका संवर्धन पहल, जैसे जैविक उर्वरकों के लिए भंडारण समाधान, फसल ग्रेडिंग और विपणन प्रशिक्षण और कृषि उपज के लिए बिक्री यूनिट और बुनियादी ढाँचे की स्थापना से 353 परिवारों को लाभ हुआ। सकारात्मक हस्तक्षेपों के इस व्यापक सेट ने आर्थिक विकास, कम प्रवासन/पलायन और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ग्रामीण विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है जो आधुनिक तकनीकों, शासन सशक्तीकरण और सामुदायिक जुड़ाव को एकीकृत करती है।



उच्च प्रभाव आजीविका संवर्धन परियोजना के प्रभाव की मुख्य विशेषताएँ	
कुल उत्तोलन (करोड़ रुपए में)	36.12
मनरेगा से कुल लाभ (करोड़ रुपए में)	22.36
अन्य आजीविका योजनाओं से संग्रहीत कुल लाभ (करोड़)	13.29
कम से कम एक पहल में लगे परिवार	23957
आजीविका संपत्ति वाले परिवार (शेड, नर्सरी, आदि)	13431
एनआरएम संपत्ति वाले परिवार (मृदा और जल संरक्षण संरचनाएँ)	10526
राज्य में उपचारित कुल क्षेत्रफल (एकड़)	2835.22
कुल ग्राम पंचायतें जिनके लिए एनआरएम और वाटरशेड सिद्धांतों का उपयोग करके डीपीआर तैयार की गई थी	82
आईएनआरएम और वाटरशेड सिद्धांतों पर निर्मित क्षमता के साथ कुल मनरेगा कार्यकर्ता (एपीओ, पीओ, टीए, जीआरएस)	98
आईएनआरएम और वाटरशेड सिद्धांतों पर निर्मित क्षमता के साथ कुल पीआरआई, एसएचजी और वीओ सदस्य	428

उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के साथ साझेदारी में

महाराष्ट्र सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों की गिरती हालत और घटती उपज को सुधारने के लिए बड़े स्तर पर संरक्षण के प्रयास शुरू किए हैं। इन प्रयासों में मृदा और जल संरक्षण विभाग के तहत बनी राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) मुख्य भूमिका निभा रही है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर जल संरक्षण और मिट्टी की सेहत को सुधारना है। इन प्रयासों में सतही सिंचाई और भूजल स्तर बढ़ाने के साथ–साथ ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने के काम शामिल हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मिट्टी और जल संरक्षण के कई कार्य किए गए हैं और अब यह प्रयास और भी व्यापक एवं एकीकृत तरीके से हो रहे हैं। इसकी मुख्य रणनीतियों में शामिल है–योजनाबद्ध तरीके से काम करना, समुदाय की भागीदारी, स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना और पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।

एक बड़ा कदम 8 सितंबर 2022 को मनरेगा आयुक्त कार्यालय और भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) के बीच हुए समझौते से हुआ, जिसमें एक बड़े वाटरशेड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यह महाराष्ट्र में सतत पर्यावरणीय और सामाजिक–आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

भौगोलिक कवरेजः

यह परियोजना जुलाई 2023 से जून 2028 तक जारी रहेगी, इसका उद्देश्य राज्य के तीन महत्वपूर्ण कृषि–जलवायु क्षेत्रों में पाँच जिलों के 26 ब्लॉक में 100,000 वंचित परिवारों की सहायता करना है, जो बहु–आयामी गरीबी से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार, चयन 30 फीसदी से अधिक एससी और एसटी परिवारों वाले ब्लॉकों को प्राथमिकता देता है और जहाँ 70 फीसदी से अधिक परिवारों की पहचान वंचित के रूप में की जाती है। यह पहल मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों का समर्थन करती है, जबकि इन जिलों के भीतर अनुसूचित जातियों और सबसे अधिक सीमांतीय समुदायों को सहायता प्रदान करती है।

परियोजना लक्ष्यः महाराष्ट्र के 5 जिलों के 26 चुनिंदा ब्लॉक में पाँच वर्षों में 1 लाख परिवारों के आय स्तर (70–100 प्रतिशत तक) को बढ़ाना।

उद्देश्यः मनरेगा को वाटरशेड मोड में लागू करना इस विचार पर आधारित था कि ष्आज की मेहनत कल की समृद्धि है।

लक्ष्यः

- लक्षित उपचारों के माध्यम से 439,000 हेक्टेयर भूमि का कायाकल्प करने और लगभग 177,000 हेक्टेयर गैर–सिंचित भूमि को उत्पादक, सिंचित क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बहाली के प्रयास चल रहे हैं।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) पर ध्यान मनरेगा फंड का 65 प्रतिशत स्थायी संपत्ति बनाने के लिए समर्पित है। रिज–टू–वैली पद्धति पर केंद्रित एक अभिनव, जीआईएस–आधारित योजना प्रक्रिया को लागू करने से 1157 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का विकास हुआ है।
- यह भी सुनिश्चित करना कि 631 से अधिक रोजगार सहायकों और 6000 पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- कृषि प्रथाओं में सुधार करना और 100,000 परिवारों की आजीविका बढ़ाने के लिए स्थायी आय स्रोतों के रूप में डेयरी, मत्स्य पालन और वानिकी को बढ़ावा देना।

महत्त्वपूर्ण परिणाम – 2023–24

- परियोजना के तहत, मनरेगा से संबंधित परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन और विश्लेषण के लिए जीआईएस आधारित एकीकृत योजनाएँ विकसित की गई हैं, जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) कार्यों की समझ और प्रभाव मूल्यांकन को बढ़ाती हैं।
- बीआरएलएफ ने एनआरएम गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महाराष्ट्र भर के 26 ब्लॉकों में सीएसओ का सहयोग करने के लिए एक्सिस बैंक फाउंडेशन की फंडिंग प्राप्त करते हुए कई एजेंसियों के साथ भागीदारी की है। परियोजना एक संरचित टीम के माध्यम से संचालित होती है और कार्यान्वयन के लिए स्थानीय एजेंसियों के साथ समन्वय करती है, मुख्य रूप से नागपुर में, सामुदायिक संसाधनों और सहयोग प्रणालियों को बढ़ाती है।
- बीआरएलएफ ने परियोजना के लिए नागरिक समाज संगठनों को शामिल किया, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की, क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से परियोजना शुरू की और सीएसओ कर्मचारियों को वाटरशेड सिद्धांतों, आजीविका अंतःक्षेप योजना और प्रबंधन पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया।
- बीआरएलएफ ने सीएसओ कर्मचारियों, फ्रंट–लाइन कार्यकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों के लिए वाटरशेड योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर प्रशिक्षण सत्र और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए।
- इस परियोजना द्वारा पीआईए (पीआरआई) की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें क्षमता निर्माण प्रशिक्षण में 400 रोजगार सहायकों ने भाग लिया और वीओ, सीएलएफ और एसएचजी के 546 सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।



मध्य प्रदेश



जिले: खंडवा, छतरपुर, डिंडोरी, श्योपुर, सीधी, नर्मदापुरम, दमोह, रायसेन, बालाघाट, शिवपुरी, शहडोल, बैतूल, पन्ना, सीहोर, देवास, हरदा, झाबुआ, टीकमगढ़, निवाड़ी, उमरिया, देवास

मध्य प्रदेश में विभिन्न कृषि पारिस्थितिकियों में प्रकृति के साथ संरेखित खेती का विस्तार

प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय गठबंधन (एमपी – एनसीएनएफ) के मध्य प्रदेश अध्याय के साथ साझेदारी में

जगदीश प्रसाद 60 वर्षीय किसान हैं जो खारी पंचायत के खारी गाँव में रहते हैं। वो 15 एकड़ खेत के मालिक हैं और काफी समय से प्राकृतिक खेती (एनएफ) विधियों का अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि, जानकारी की कमी के कारण, उन्होंने वर्मीकम्पोस्ट और एनएडीईपी जैसे विशिष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन कीटों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का सहारा लिया, जिससे खेती का खर्च बढ़ गया।

प्राकृतिक खेती के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगते हुए, जगदीश ने स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कृषि में सहयोग के काम के बारे में सीखा। पिछले 1.5 वर्षों से, वह पूरी तरह से जैविक खेती में स्थानांतरित हो गए हैं, न्यूनतम रसायनों का उपयोग करके और चार–चटनी कढ़ाई, पंच पट्टी कड़ा और नीमास्त्र जैसी प्राकृतिक खेती प्रथाओं को नियोजित कर रहे हैं। वह पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए कांदा–पानी और फूलों को बढ़ाने के लिए सोया–टॉनिक और पीजीआर का उपयोग करते हैं।

जगदीश ने प्राकृतिक आदानों का उपयोग करने के बाद उत्पादन में सुधार देखा। शुरू में, उनके पास के अन्य किसानों ने उनकी प्रथाओं का उपहास किया, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक प्राकृतिक खेती के तरीकों को जारी रखा। उन्होंने अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज के साथ उत्पादन में वृद्धि और फसल के समय बेहतर अनाज के रंग और चमक को देखा। उन्होंने अपनी उपज भोपाल मंडी को बेची और जैविक उत्पादक के रूप में पहचान हासिल की, जिससे जैविक सब्जियों में रुचि रखने वाले ग्राहक आकर्षित हुए।

"मध्य प्रदेश में कृषि–पारिस्थितिकी के पार प्रकृति के साथ संरेखित खेती में वृद्धि" प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय गठबंधन (MP-NCNF) के मध्य प्रदेश अध्याय और भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक खेती में रुचि रखने वाले किसानों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के विशिष्ट क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती शुरू करना है। इस परियोजना में 20 जिलों के 37 ब्लॉक के अन्दर समूहों में लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की गतिविधियाँ शामिल हैं। यह परियोजना चार साल जुलाई 2023 से जून 2027 के लिए निर्धारित है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों में सुधार करके 50000 छोटे और सीमांत परिवारों की आय में वृद्धि करना है। यह समुदाय इन गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमपी–एनसीएनएफ और बीआरएलएफ ने चयनित क्षेत्रों में परियोजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से 23 सीएसओ भागीदारों का चयन किया है। एनसीएनएफ और बीआरएलएफ ने प्राकृतिक खेती की पहल को बढ़ाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। एक बार इसे मंजूरी मिल जाने के बाद और अधिक ठोस प्रयास किए जाएंगे।



महत्त्वपूर्ण परिणाम – 2023–24

- चूंकि यह परियोजना का पहला वर्ष था, इसलिए प्रयास भर्ती, क्षमता निर्माण, सामाजिक गतिशीलता और परियोजना गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन पर केंद्रित थे। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) के लिए सभी सदस्यों की भर्ती पूरी हो चुकी है और यह 23 सीएसओ भागीदारों को हैंडहोल्डिंग और सुविधा सहायता प्रदान कर रहा है। ये सीएसओ प्राकृतिक कृषि परियोजना गतिविधियों की योजना और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन, लामबंदी और तालमेल–निर्माण गतिविधियों में शामिल थे।
- अब तक, सीएसओ भागीदारों ने खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए अपने चयनित खेतों में प्राकृतिक कृषि गतिविधियों में शामिल 11321 परिवारों की सुविधा प्रदान की है। ये परिवार 258 ग्राम पंचायतों के 378 गाँवों में कवर किए गए हैं।
- चयनित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए खरीफ और रबी मौसम की प्राकृतिक खेती गतिविधियों की रणनीति को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य, जिलों और ब्लॉकों में कई क्षेत्र प्रशिक्षण और बैठकें आयोजित की गईं।
- एसपीएमयू टीम ने परियोजना गतिविधियों को लागू करने में लगी टीम को मार्गदर्शन, उन्मुख और हैंडहोल्ड सहायता प्रदान करने के लिए 14 साझेदार क्षेत्र स्थानों में क्षेत्र निगरानी यात्राओं का आयोजन किया है। 22 अगस्त 2023 को, सीएसओ भागीदारों के साथ मासिक बैठक में, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि आयुक्त सह निदेशक ने सुझाव दिया कि बायो–इनपुट रिसोर्स सेंटर, डेमो प्लॉट और डीबीटी के लिए समर्थन का लाभ कई एफडब्ल्यूएडीडी योजनाओं के साथ उठाया जा सकता है।
- सीएसओ के भागीदारों ने अपने–अपने जिलों के डीडीए से संपर्क किया है और उनके साथ अपने संबंधित परियोजना क्षेत्रों में किए गए प्राकृतिक खेती के काम से संबंधित जानकारी साझा कर रहे हैं।
- नवंबर 2023 में एसपीएस देवास और एमजेवीएस कटनी में सभी भागीदार संगठन के परियोजना कर्मचारियों के लिए चार दिवसीय रबी योजना कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में क्लस्टर–स्तरीय अंतःक्षेप मॉडल, बीआरसी–टीआरसी मॉडल, प्राकृतिक खेती पैच पहचान व गठन मानदंड और रबी फसल–आधारित साझा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जैसी सामान्य रणनीतियों पर चर्चा की गई। चार दिवसीय कार्यशाला को दो भागों में डिजाइन किया गया था। पहला दो दिवसीय भाग सामान्य रणनीतियों और प्रथाओं के फसल–आधारित पैकेजों पर केंद्रित था। दो दिनों के दूसरे भाग में फसल कटाई के बाद की गतिविधियों पर एन + 3 एफ द्वारा प्रशिक्षण सत्र शामिल थे।



एमपी–एनसीएनएफ परियोजना के प्रभाव की मुख्य विशेषताएँ	
कुल उत्तोलन (करोड़ रुपए में)	2.04
अन्य आजीविका योजनाओं से जुटाया गया कुल लाभ (करोड़ रुपए में)	2.04
कम से कम एक पहल में लगे परिवार	11321
कृषि में सुधार	
कृषि अंतःक्षेप के तहत कवर किए गए परिवार	4705
गैर–कीटनाशक प्रबंधन आधारित कृषि के तहत कवर किए गए परिवार	4705

विशेष परियोजनाः डी–नोटिफाइड ट्राइब्स (डीएनटी) परियोजना, महाराष्ट्र

''मेरा नाम सुहास सुभाष भोसले है। मैंने आठवीं कक्षा तक की शिक्षा कोठा गाँव में पूरी की। मेरे पिता ने अक्टूबर 2010 में आत्महत्या कर ली और उनके निधन के बाद, मेरे परिवार ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी के बाद, मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गईं और मैंने अपने परिवार का सहयोग करने के लिए दूसरों के खेतों में काम करना और अवैध शराब का काम शुरू कर दिया।

एक दिन, पद्मश्री गिरीश प्रभुणे और समीर काले हमसे मिलने आए। उन्होंने समझाया कि हम एक परियोजना को पुनर्जीवित कर सकते हैं जो 25 साल पहले हमारे क्षेत्र में शुरू होने वाली थी, लेकिन इसके लिए एक संगठन स्थापित करने की आवश्यकता थी। उनके शब्दों से प्रेरित होकर, मेरे चाचा, भाई, ईश्वर और मैं चिंचवाड़ गए, जहाँ हम श्री प्रभुणे से मिले। साथ में, हमने अपने समुदाय को विकसित करने के लिए संगठन को 33 साल के लिए 10.5 एकड़ जमीन पट्टे पर देने का फैसला किया।

इस तरह हमने पारधी समुदाय के सामाजिक–आर्थिक कल्याण के लिए 10.5 एकड़ भूमि पर परियोजना शुरू की, जो हमेशा सीमान्त और आर्थिक रूप से कमजोर रहा है। इस परियोजना के माध्यम से, मैंने एक सामुदायिक संसाधन कर्मी (सीआरपी) के रूप में काम करना शुरू किया और अवैध शराब के कारोबार वाला काम छोड़ दिया। अब, मैं अधिक सम्मानजनक वातावरण में काम कर रहा हूँ और एक स्थायी आय अर्जित कर रहा हूँ।

हम पारधी हैं और हम पारधी समुदाय के लिए काम करते हैं। इस परियोजना ने हमारे जीवन को बदल दिया है, हमें गरिमा और हमारे समुदाय के सहयोग के लिए माध्यम प्रदान किया है।''

महाराष्ट्र में डी–नोटिफाइड ट्राइब्स (डी–नोटिफाइड ट्राइब्स (डीएनटी), जिनमें पारधी, कंजर, नट और सपेरा जैसे समुदाय शामिल हैं, को ब्रिटिश शासन के दौरान ''आपराधिक जनजातियों'' के रूप में उनके वर्गीकरण के कारण ऐतिहासिक रूप से सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ा है। हालांकि, 1952 में आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था, आधिकारिक तौर पर इन समुदायों को डी–नोटिफाई कर दिया गया था। इसके बावजूद, डीएनटी समुदायों को हाशिए और सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन ने अगस्त 2023 में डीएनटी/एनटी परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया, जिसका उद्देश्य पारधी परिवारों के मुद्दों को दूर करना और सामाजिक–आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। पद्मश्री गिरीश प्रभुणे के नेतृत्व में यह परियोजना, महाराष्ट्र के अहमदनगर और पुणे जिलों में पहले वर्ष में 150 से अधिक पारधी परिवार, दूसरे वर्ष में 2000 परिवार और तीसरे वर्ष में 5,000 परिवारों की आजीविका की स्थिति में सुधार करना चाहती है।

परियोजना का उद्देश्य आजीविका पहल, उद्यमिता संवर्धन और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच के माध्यम से पारधी समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, 10.5 एकड़ भूमि का उपयोग कृषि, बागवानी और पशुपालन जैसी आय सृजन गतिविधियों के लिए किया जाएगा। परियोजना समुदाय और हितधारकों के साथ निकटता से सहयोग करती है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भागीदारी दृष्टिकोण का उपयोग करती है। पारधी परिवारों के लिए प्रशिक्षण और संसाधन पहुँच के माध्यम से क्षमता निर्माण को भी प्राथमिकता दी जाती है।





महत्त्वपूर्ण परिणाम– 2023–24

- **लामबंदी:** डीएनटी परियोजना का प्राथमिक फोकस पारधी समाज समुदाय को शामिल करना था। विश्वास पैदा करना और समुदाय को शामिल करना किसी भी विकास परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
- **भूमि की तैयारी और निकासी:** परियोजना टीम ने 10.5 एकड़ असिंचित बंजर भूमि के कांटोंध्गोखरू को साफ किया, जिससे यह खेती और अन्य गतिविधियों के लिए उपयुक्त हो गई।
- **ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत:** जलभराव को रोकने और पर्याप्त जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा जल निकासी प्रणाली की मरम्मत की गई थी।
- **ड्रेनेज पूल कनेक्शन:** ड्रेनेज पूल को समग्र जल निकासी प्रणाली से सफलतापूर्वक जोड़ा गया, जिससे भूमि की सिंचाई और जल निकासी क्षमताओं में सुधार हुआ।
- **मवेशियों की खरीद:** डीएनटी परियोजना के लिए यह वित्तीय वर्ष बहुत सफल रहा है। भूमि पर डेयरी इकाई के लिए 22 गायों खरीदी गई और इससे अधिक की योजना बनाई गई है।
- **2 एकड़ में खेती:** 2 एकड़ भूमि पर चारा लगाया और खेती की गई, जिससे मवेशियों के लिए एक स्थायी चारा स्रोत उपलब्ध हुआ।
- **पशु शेड का निर्माण:** गायों के लिए एक पशु शेड बनाया गया था।
- **बुनियादी ढाँचे के लिये समतल क्षेत्र:** महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये एक एकड़ भूमि समतल की गई, जिसमें तीन सामुदायिक कमरे और एक कार्यालय स्थान शामिल है।
- **दीर्घकालिक सतत जल आपूर्ति:** खेती और पशुधन दोनों के लिये स्थायी जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। साल भर पानी उपलब्ध कराने के लिए एक कुएं का निर्माण किया गया है और बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा करने के लिए खेत तालाब बनाने की योजना बनाई गई है।
- **बिजली प्रावधान:** एक बिजली का खंभा स्थापित किया गया है और भूमि के लिए बिजली की व्यवस्था की गई है।
- **वृक्षारोपण:** आम, आँवला और अश्वगंधा और शतावरी जैसे आयुर्वेदिक पौधों की खरीद दो एकड़ में की गई।
- **कौशल विकास:** टीम ने बेकरी, प्लंबिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रेनिंग के लिए 30 पारधी लोगों की पहचान की है। प्रशिक्षण सत्र जून में शुरू होगा और प्रशिक्षण के बाद जमीन पर एक यूनिट स्थापित की जाएगी।

सीएसआर परियोजनाः काशीपुर, ओडिशा में एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम

उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ साझेदारी में।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशीपुर ब्लॉक, रायगढ़ा, ओडिशा में समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, ये चुनौतियाँ हैं– पानी की कमी, मिट्टी का कटाव, कम कृषि उत्पादकता और दीर्घकालिक सतत कृषि प्रथाओं के बारे में जागरूकता कमी। प्रस्तावित परियोजना उत्कल एल्युमिना इंटरनेशनल लिमिटेड (यूएआईएल) और भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन (बीआरएलएफ) के बीच एक सहयोग है ताकि पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा सके और एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन संरचनाओं के माध्यम से कृषि प्रथाओं को बढ़ाया जा सके। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य मिट्टी और जल संसाधनों को प्रभावी ढंग से संरक्षित और प्रबंधित करना है, जिससे मिट्टी की नमी संरक्षण में सुधार, फसल उत्पादकता में वृद्धि, कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी और उच्च कृषि आय हो सके।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख गतिविधियों में एक फील्ड टीम को शामिल करना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, जल और मृदा संरक्षण उपायों को लागू करना, स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना, कृषि वानिकी और बागवानी को प्रोत्साहित करना, मूल्य संवर्धन और बाजार लिंकेज के माध्यम से आजीविका में विविधता लाना और स्थानीय संस्थानों को मजबूत करना शामिल है। यह परियोजना काशीपुर ब्लॉक के दो गाँवों, पंडकपदार और खुंगुपुट को लक्षित करती है और इस कार्यक्रम में 160 नई एनआरएम संरचनाओं को लागू करती है।

महत्त्वपूर्ण परिणाम (नवंबर 2023–मार्च 24):

- फील्ड स्टाफ ने दोनों गाँवों में 228 घरों के लिए भूमि विवरण के साथ एक किसान सूची तैयार की। (पंडकपदार और खुंगुपुट में क्रमशः 57 और 171 परिवार)
- दोनों गाँवों में समुदाय आधारित भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) अभ्यास आयोजित किए गए और एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना को लागू करने के लिए संकल्प किए गए।
- कार्यक्रम का शुभारंभ और उद्घाटन कार्यक्रम 29 दिसंबर, 2023 को श्री मजहर बेग, यूनिट हेड और अध्यक्ष, यूएआईएल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया थाय यूएआईएल के सीएसआर डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों, खुगुपुट गाँव के सरपंच और दोनों गाँवों के परियोजना प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- यूएआईएल ने 7 फरवरी, 2024 को टीकिरी में एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना कार्यालय का उद्घाटन किया। सभी परियोजना कर्मचारियों को भर्ती किया गया और बीआरएलएफ टीकिरी परियोजना कार्यालय में रखा गया।
- परियोजना प्रतिभागियों के भूमि विवरण के साथ विस्तृत ग्राम प्रोफाइल दोनों गाँवों के लिए तैयार किया गया है।
- बीआरएलएफ संचार टीम ने 5 फरवरी, 2024 को उन सभी फील्ड स्थानों की बेसलाइन फोटोग्राफी की, जहाँ वाटरशेड संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस टीम ने कृषि के मौजूदा हालात और सिंचाई के लिए पानी की कमी के मुद्दों को समझने के लिए दोनों गाँव के परियोजना प्रतिभागियों के साथ दस्तावेजीकरण किया और बातचीत भी की।

एपीसी परियोजना, ओडिशा के प्रभाव की मुख्य विशेषताएँ	
परियोजना की कुल लागत (करोड़ रुपए में)	1.13
कुल घरेलू कवरेज	228
कुल एससी/एसटी घरेलू कवरेज	130
कुल अप्रत्यक्ष लाभार्थी	380
कुल पीआरआई अभ्यास आयोजित किया गया	4
कुल प्रशिक्षण/बैठकें आयोजित की गईं	8
टोटल वाटर यूजर कमेटी का गठन	2
कुल खेत तालाब का निर्माण	8
कुल लूज बोल्डर चेक का निर्माण	19





सहायता अनुदान कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ साझेदारी

21 नवंबर 2019 को, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बीआरएलएफ को एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नियुक्त किया। बीआरएलएफ के अनुभव और दक्षता के कारण, इसे मंत्रालय की ग्रांट–इन–एड (GIA) योजना की निगरानी का काम सौंपा गया। बीआरएलएफ का कार्य था एनजीओ की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन के लिए मानदंड स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि आवेदन करने वाले एनजीओ अपने प्रोजेक्ट्स को जिम्मेदारी से पूरा कर सकें। बीआरएलएफ ने 'नए' और 'मौजूदा' एनजीओ की पूरी जाँच की और उन्हें विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया। ग्रेडिंग और ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया पूरी करने के बाद, बीआरएलएफ ने MoTA की ग्रांट–इन–एड (GIA) योजना के तहत ग्रांट पाने के लिए योग्य एनजीओ की अंतिम सूची तैयार की।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, बीआरएलएफ ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 258 नए एनजीओ प्रस्तावों की स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग प्रक्रिया में चार चरण शामिल थेः परियोजनाओं की संगठनात्मक ताकत, तकनीकी क्षमता, और वित्तीय व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए।

बीआरएलएफ की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया में पूर्व–फंडिंग मूल्यांकन, डेस्क एप्रेजल, प्रस्तुतियाँ, और टीम द्वारा फील्ड इंस्पेक्शन शामिल थे। इन चरणों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रस्तावों की पूरी तरह से जाँच की जाए, जिसमें व्यवहार्यता, तर्कसंगतता, दस्तावेज, आवश्यकता, और अनुभव शामिल थे।

सीमित समय में यह प्रक्रिया पूरी करना बीआरएलएफ और मंत्रालय के लिए एक बड़ा चुनौती थी। फिर भी, बीआरएलएफ ने दो सप्ताह के भीतर 258 प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन सफलतापूर्वक किया, जिससे मंत्रालय से उच्च प्रशंसा प्राप्त हुई।

मुख्य कार्य (असाइनमेंट):

बीआरएलएफ ने 2023–24 के लिए 10 राज्यों के 258 प्रस्तावों की जाँच की है। इस बार सबसे ज्यादा प्रस्ताव मणिपुर से आए, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर रहा। नीचे 2023–24 के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्रेकअप दिया गया है।



स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली

चरण –1: प्रारंभिक डेस्क मूल्यांकन (पीएफए–I): इस स्तर पर, हमने नॉन–नेगोशिएबल (गैर–समझौता योग्य) वैधानिक अनुपालन के लिए संगठनों की जाँच–पड़ताल की।

चरण–2: डेस्क मूल्यांकन: इस कदम में गैर–सरकारी संगठनों को उनके डेस्क मूल्यांकन {ग्रेड ए+, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी} के आधार पर चयन (शॉर्टलिस्ट) करना शामिल था।

चरण–3: गैर सरकारी संगठनों की प्रस्तुति: इस बिंदु पर, हमने संगठन की विश्वसनीयता और प्रस्तावित परियोजना के विवरण का आकलन किया, जिसमें इसकी गुणवत्ता, उपयुक्तता, मांग, व्यवहार्यता और आवश्यकता शामिल है।

चरण–4: प्रोग्रामेटिक और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस (फील्ड विजिट): अंत में, हमने अनुशंसित संगठनों के प्रोग्रामेटिक और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का आयोजन किया।

गुणवत्तापूर्ण प्रभाव और उपलब्धियाँ:

अनुदान सहायता (जीआईए) योजना का उद्देश्य इच्छुक गैर सरकारी संगठनों को धन प्रदान करके जनजातीय आबादी के लिए विकासात्मक अंतराल को कम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कवरेज का विस्तार करना और आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में सेवा की कमियों को दूर करना है। इस पहल को समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के एकीकृत सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अधिक लक्षित दृष्टिकोण (अप्रोच) को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, बीआरएलएफ ने 10 राज्यों के 258 प्रस्तावों की जाँच और मूल्यांकन किया, जिनमें से 26 को आगे विचार के लिए मंत्रालय को अनुशंसित किया गया था।

क्षमता निर्माण

भारत रूरल लाइवलीहुड्स का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण विकास से जुड़े संगठनों और नए/मौजूदा ग्रामीण पेशेवरों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है। बीआरएलएफ की क्षमता निर्माण विभाग 1077 उप–जिलों में ग्रामीण विकास की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों की क्षमताओं को विकसित करने में अहम भूमिका निभाती है। बीआरएलएफ का मकसद विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त और घुमंतू जनजातियों, और अन्य कमजोर समुदायों, खासकर महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई आजीविका पहलों को मजबूत बनाना है।

2622

पेशेवर, जिन्होंने बीआरएलएफ क्षमता निर्माण पहल के माध्यम से संरचित प्रशिक्षण/शिक्षा में सफलतापूर्वक भाग लिया है (मार्च 2024 तक संचयी)

348

2023–24 में बीआरएलएफ की संरचित प्रशिक्षण/शिक्षा पहलों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पेशेवरों की संख्या

69

मार्च 2024 तक क्षमता निर्माण पहल से अनुकूलित पेशकशों के माध्यम से समर्थित सीएसओ की कुल संख्या





विश्वविद्यालय भागीदारी

ग्रामीण विकास को गरीब और कमजोर समुदायों के लिए जटिल विकास, समानता, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति ने सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और पहल की बढ़ती जरूरत को प्रभावित किया है, जिनमें नवाचार और अनुकूल दृष्टिकोण से सोच–समझकर योजनाएँ बनाई और लागू की जाती हैं। इसे संभव बनाने के लिए, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाले या इसमें आने की इच्छा रखने वाले मौजूदा और भावी ग्रामीण पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है, चाहे वे सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं, या क्लस्टर स्तर के संघों के निर्वाचित प्रतिनिधि हों।

बीआरएलएफ की विश्वविद्यालय साझेदारी, ग्रामीण विकास क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए प्रासंगिक और मजबूत शिक्षा कार्यक्रम बनाने में मदद करती है। बीआरएलएफ और विश्वविद्यालय की साझेदारी, मिलकर ऐसे प्रमाणित कार्यक्रम तैयार करते हैं जो युवा आदिवासी पेशेवरों के लिए अनूठे अवसर प्रदान करते हैं। इन कार्यक्रमों से प्रतिभागियों को भारत के ग्रामीण इलाकों में विकास पहलों के डिजाइन और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल मिलता है। बीआरएलएफ की ये साझेदारियाँ, प्रतिभागियों को जमीनी स्तर पर प्रभावशाली परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक समझ और कौशल प्रदान करने के लिए तैयार हैं। इन कार्यक्रमों में एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो ज्ञान के महत्व को समझता है और आधुनिक सहयोग उपकरणों का उपयोग करता है।

युवा जनजातीय पेशेवरों के लिए बीआरएलएफ छात्रवृत्ति

बीआरएलएफ की छात्रवृत्ति योजना मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों के होनहार छात्रों को वित्तीय सहायता और सलाह देती है। ये छात्रवृत्तियाँ छात्रों को ग्रामीण विकास और प्रबंधन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती हैं। 2023–24 में, बीआरएलएफ ने आईआईएचएमआरयू और शिव नादर विश्वविद्यालय (एसएनयू) के साथ मिलकर दो प्रमुख साझेदारियाँ की हैं। स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, आईआईएचएमआरयू, जयपुर में विकास प्रबंधन कार्यक्रम में एमबीए का उद्देश्य है–आदिवासी युवाओं को विकास और ग्रामीण प्रबंधन के अनुरूप उन्नत प्रबंधन कौशल के साथ सशक्त बनाना, ताकि वे अपने समुदायों में नेतृत्व कर सकें। दूसरी ओर, एसएनयू में ग्रामीण प्रबंधन कार्यक्रम में एमए, ग्रामीण भारत की चुनौतियों का समाधान करने के लिए जेन–नेक्स्ट इनोवेटर्स और रचनात्मक मुखियाओं को तैयार करता है।

शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से एमए–ग्रामीण प्रबंधन

बीआरएलएफ और एसएनयू द्वारा ग्रामीण प्रबंधन (आरएम) कार्यक्रम में एमए ग्रामीण भारत में युवाओं को ऐसे नेताओं के रूप में लैस करती है जो भविष्य में गतिशील, तेजी से बदलते ग्रामीण भारत को आकार दे सकते हैं। यह एक तरह का शिक्षा कार्यक्रम शिक्षार्थियों की नवीन और दूरगामी समाधान खोजने की क्षमता का पोषण करती है। कार्यक्रम ग्रामीण भारत की चुनौतियों और मुद्दों की गहन, बहु–अनुशासनात्मक समझ को सक्षम बनाता है।

इस दो साल के डिग्री कार्यक्रम में एक खास शिक्षण पद्धति है, जिसमें कक्षा और स्टूडियो में पढ़ाई के साथ–साथ ग्रामीण भारत के अनुभवी विशेषज्ञों के साथ फील्ड एजुकेशन और इंटर्नशिप शामिल हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए जरूरी कौशल और ज्ञान देना है, साथ ही उनके मूल्यों को भी मजबूत बनाना है।



इस कार्यक्रम से जो स्नातक हो जाते हैं उन्हें नागरिक समाज संगठनों, सरकारी विभागों, सीएसआर संगठनों, दानदाताओं, द्विपक्षीय एजेंसियों, और सामुदायिक संगठनों के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान मिली व्यापक शिक्षा से छात्रों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियों को अच्छी तरह समझने का मौका मिलता है।

कार्यक्रम के छात्रों को 'भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन' (बीआरएलएफ) से आर्थिक सहायता मिलती है। ये छात्र मुख्य रूप से केंद्रीय भारतीय जनजातीय पट्टी (सीआईटीबी) और उत्तर–पूर्व के आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। इनमें से अधिकतर अपने परिवार के पहले सदस्य हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इस साल, 2022–23 में दाखिला लेने वाले सभी 40 छात्र अपने दूसरे वर्ष में पहुँच गए हैं और 2023–25 के लिए 50 छात्रों का दूसरा बैच भी शामिल हो गया है।

साक्ष्यः

> शिव नादर विश्वविद्यालय के एमए ग्रामीण प्रबंधन कार्यक्रम में बिताया मेरा समय बहुत ही खास रहा है। इस कार्यक्रम ने मुझे पूरे भारत के ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की जिंदगी के बारे में समझने का मौका दिया। मैं खुद गोंड आदिवासी समुदाय से हूँ, इसलिए आदिवासी मुद्दों के समाधान के बारे में सीखना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस कार्यक्रम ने मुझे आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के बारे में लिखने के लिए भी प्रेरित किया है। यहाँ अलग–अलग राज्यों के छात्रों के साथ मिलकर सीखने का अनुभव बहुत समृद्ध रहा। मुझे अगले साल का इंतजार है, जहाँ विकास परियोजनाओं के साथ और ज्यादा प्रैक्टिकल काम करने का मौका मिलेगा। मुझे यह अद्भुत अवसर देने के लिए मैं बीआरएलएफ और शिव नादर विश्वविद्यालय का दिल से आभारी हूँ।
>
> **के. नीरज कुमार**
> *आदिलाबाद, तेलंगाना, एमए ग्रामीण प्रबंधन 2023–25 बैच*

मैं शिव नादर विश्वविद्यालय में ग्रामीण प्रबंधन में मास्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। पिछले कुछ वर्षों में, मैंने भारत के ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अपने शोध के दौरान, मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग, जाति, वर्ग, और शक्ति की जटिलताओं को समझा है। इंटरैक्टिव क्लासेस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और फील्डवर्क के अनुभवों के जरिए मैंने अनुसंधान के महत्वपूर्ण कौशल भी सीखे हैं। हमने जल संसाधनों, जंगलों और पर्यावरण जैसे विषयों पर ध्यान दिया है और देखा है कि ये स्थानीय समुदायों से कैसे जुड़े हैं। मैंने स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में भी सीखा है और समझा है कि सरकारी नीतियाँ और सामाजिक संरचनाएँ इन्हें कैसे प्रभावित करती हैं। मेरे अध्ययन ने मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान किए हैं। मैं आगे भी सीखने और अपने फील्डवर्क अनुभवों के दौरान अपनी शिक्षा को व्यावहारिक रूप में लाने के लिए उत्साहित हूँ।

संगीता मौहारी

एमए, ग्रामीण प्रबंधन 2023–25 बैच

विकास प्रबंधन में एमबीएः आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय जयपुर

आईआईएचएमआरयू, जयपुर, विकास प्रबंधन में एमबीए प्रदान करती है, जो कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और पर्यावरण सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रबंधन या सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय प्रबंधन में विशेषज्ञता वाला एक अनूठा दो वर्षीय, पूर्णकालिक कार्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम का विशेष फोकस है, जो शिक्षार्थियों को सीएसओ, सीएसआर पहलों और छोटे व्यवसायों के प्रबंधन में आवश्यक कौशल प्रदान करता है। यह कार्यक्रम शिक्षार्थियों को सरकारी कल्याणकारी पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रबंधन सिद्धांतों और कौशल की भूमिका सिखाता है, जिससे यह अन्य एमबीए कार्यक्रमों से अलग होता है।

2017 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम 21वीं सदी के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने पर जोर देता है। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को वैश्विक प्राथमिकताओं के अनुरूप विकसित करना है, ताकि वे अपने भविष्य के करियर में सतत विकास में योगदान देने के लिए तैयार हो सकें।

- सतत विकास प्राप्त करने के लिए समस्या–समाधान और नवाचार के लिए ज्ञान दक्षताओं और विश्लेषणात्मक और रचनात्मक कौशल का निर्माण करना।
- पेशेवरों को सीएसओ, गैर–लाभकारी, विकास संगठनों, व्यवसायों, सरकारी विकास मिशनों, सीएसआर और सार्वजनिक प्रणालियों में काम करने के लिए तैयार करना।
- चुनौतीपूर्ण भौगोलिक/संदर्भों में काम करने की आकांक्षाओं को विकसित करें क्योंकि इसके लिए लचीलापन, दृढ़ता, भावनात्मक और सामाजिक बुद्धिमत्ता और दृढ़ विश्वास के साहस की आवश्यकता होती है।

2017 में लॉन्च होने के बाद से, इस कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। शुरू में, इसने एमबीए–ग्रामीण प्रबंधन बैच 2017–19 के लिए छह आदिवासी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता दी। पहले बैच से मिले अच्छे परिणामों के आधार पर, बीआरएलएफ ने अब 39 आदिवासी युवाओं को सहायता प्रदान की है। यह पहल आदिवासी समुदायों में शिक्षा के अवसर और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के प्रति बीआरएलएफ की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

परियोजना के प्रभावः

2017-19 बैच

6 कुल छात्रों का सहयोग

छह आदिवासी युवाओं, जिनमें पांच महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं, को वीएसके, आरडीए, और विकल्प जैसे इसी क्षेत्र से जुड़े संगठनों द्वारा नामित किया गया और बीआरएलएफ द्वारा एमबीए–आरएम की पढ़ाई के लिए समर्थन मिला। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद, सभी को जेएसएलपीएस, सेवा, वीएसके और सृष्टि द्वारा नौकरी पर रखा गया है।

2018-20 बैच

6 कुल छात्रों का सहयोग

बीआरएलएफ ने एमबीए कोर्स करने के लिए 6 आदिवासी युवाओं, 4 महिलाओं और 2 पुरुषों को नामांकित और प्रायोजित किया। उन सभी ने अपनी ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप और शोध प्रबंध के लिए AKRSP (I), समाज प्रगति सहयोग, FES, उदयन सेंटर फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, JSLPS, इंडियन हेल्थ एक्शन ट्रस्ट (IHAT) और टैज़ जैसे संगठनों के साथ जुड़ते हुए अपनी डिग्री पूरी की।

2019-21 बैच

4 कुल छात्रों का सहयोग

शैक्षणिक वर्ष 2019–21 में, बीआरएलएफ दो पुरुष और दो महिला आदिवासी युवाओं का सहयोग करना जारी रखती है। एमबीए–आरएम प्रोग्राम से स्नातक होने के बाद, वे प्रदान, एकजुट और प्रज्ञा के साथ काम कर रहे हैं।

2020-22 बैच

6 कुल छात्रों का सहयोग

6 आदिवासी युवाओं, 4 पुरुष और 2 महिलाओं को शैक्षणिक वर्ष 2020–22 में एमबीए–आरएम करने के लिए बीआरएलएफ ने समर्थन किया था। वे सभी अंतिम सत्र में हैं और मिडलैंड माइक्रोफिन एलएमटी, एआईटीआरई, कैरिटास, कला मंदिर और एमजेवीएस जैसे संगठनों के साथ शोध प्रबंध आयोजित कर रहे हैं।

2021-23 बैच

8 कुल छात्रों का सहयोग

शैक्षणिक वर्ष 2021–23 के लिए, बीआरएलएफ 8 आदिवासी युवाओं, 5 पुरुष और 3 महिलाओं का सहयोग करना जारी रखती है। वर्तमान में, सभी छात्रों ने SIDI, ग्राम विकास, SPS और WOTR जैसे संगठनों के साथ अपनी ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप पूरी कर ली है।

2022-24 बैच

9 कुल छात्रों का सहयोग

शैक्षणिक वर्ष 2022–24 के लिए, बीआरएलएफ द्वारा 9 आदिवासी युवाओं का सहयोग जारी है।

केस स्टडीः रूरल रूट्स टू सोशल इम्पैक्ट (गाँवों से सामाजिक प्रभाव)

मेरा नाम केशव गाभाले है और मैं महाराष्ट्र के नासिक के एक ग्रामीण आदिवासी इलाके से हूँ। बड़े होकर, मुझे सीमित अवसरों और वित्तीय कठिनाइयों के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद, मैंने 12 वीं कक्षा पूरी की और रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के लिए जेएसएसपी कॉलेज खारडी में कॉलेज शुरू किया।

मुझे अधिक वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन एक दोस्त के सुझाव के लिए धन्यवाद, मैं 2019 में बीआरएलएफ में एक कोर्स में शामिल हो गया, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। इस अनुभव ने मुझे तीन साल तक प्रगति अभियान के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया, जिससे ग्रामीण समुदायों को उनके अधिकारों को समझने और सतत विकास की दिशा में काम करने में मदद मिली।

रसायन विज्ञान में बीएससी पूरा करने के बाद, मेरे दोस्तों ने मुझे आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय जयपुर में विकास प्रबंधन में एमबीए करने के लिए प्रेरित किया। एमबीए प्रोग्राम ने सामाजिक विकास की मेरी समझ को व्यापक बनाया और मेरे परियोजना प्रबंधन और नेतृत्व कौशल में सुधार किया।

अपनी इंटर्नशिप के दौरान, मैंने सामुदायिक परियोजनाओं को लागू करने के बारे में सीखा और किसानों पर सौर–आधारित सिंचाई के प्रभाव का अध्ययन किया। अब, मेरा लक्ष्य ग्रामीण समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संगठनों और सरकारी पहलों के साथ काम करना है और यह भी तय करना है कि क्या विकास कार्यक्रम वास्तव में उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं।

अभी मैं मुख्यमंत्री कौशल विकास फैलोशिप का हिस्सा हूँ और मैं अपने एमबीए अध्ययन के सहयोग के लिए बीआरएलएफ का आभारी हूँ, जिसने मुझे ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए तैयार किया।

नागरिक समाज संगठनों की क्षमताओं का विकास

भारत के निरंतर विकसित और जटिल सामाजिक–आर्थिक संदर्भ में 'ग्रामीण' बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन, शासन और बढ़ती असमानताओं के उभरते संकट मौजूदा ग्रामीण विकास चुनौतियों को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर, ऐसी पहलें जो समान विकास और समावेशन के नए मार्गों की खोज और एम्बेड करने के उभरते अवसरों पर आधारित हैं, तेजी से नवान्वेषण के केंद्र के रूप में उभर रही हैं। ग्रामीण भारत के इस जटिल संदर्भ में, नागरिक समाज संगठन मानव समाज के लिए समानता, समावेश और स्थिरता के चौंपियन हैं।

बीआरएलएफ सीएसओ की क्षमताओं को बढ़ाने और सरकार, सीएसओ, समुदायों और बाजार के लिए एक साझा जनादेश के रूप में न्यायसंगत और सतत विकास के नए मार्गों के सह–निर्माण के लिए सामूहिक स्थानों का पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, बीआरएलएफ सीबी वर्टिकल संरचित और उत्तरदायी शिक्षण कार्यक्रमों को नया करना जारी रखता है जो सीएसओ और उनके पेशेवरों की उभरती जरूरतों को पूरा करते हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 में, बीआरएलएफ तीन क्षमता वृद्धि पहलों में शामिल हुआ, सीएसओ नेतृत्व, प्रबंधन, पेशेवरों और फ्रंटलाइन पदाधिकारियों को साथियों से सीखने और गैर–लाभकारी संगठनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की विकसित प्रथाओं पर निर्माण करने के लिए एक साथ लाया।

सिविल सोसाइटी संगठनों का एक न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस जटिल काम के लिए सोचने, काम करने और सीखने के तरीकों में बदलाव की जरूरत होती है। बीआरएलएफ समझती है कि समुदायों में स्थायी बदलाव लाने के लिए संस्थानों की क्षमता बढ़ाने में निवेश करना जरूरी है। ग्रामीण पेशेवरों और संगठनों की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किए गए निवेश ने पूरे इकोसिस्टम में ग्रीन ट्रेड्स और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की नई ट्रेनिंग पद्धति की जरूरत को स्वीकार किया है। OCEAN कार्यक्रम संगठनों में नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि सिविल सोसाइटी संगठन बेहतर तरीके से सुन सकें, काम कर सकें और सीख सकें।

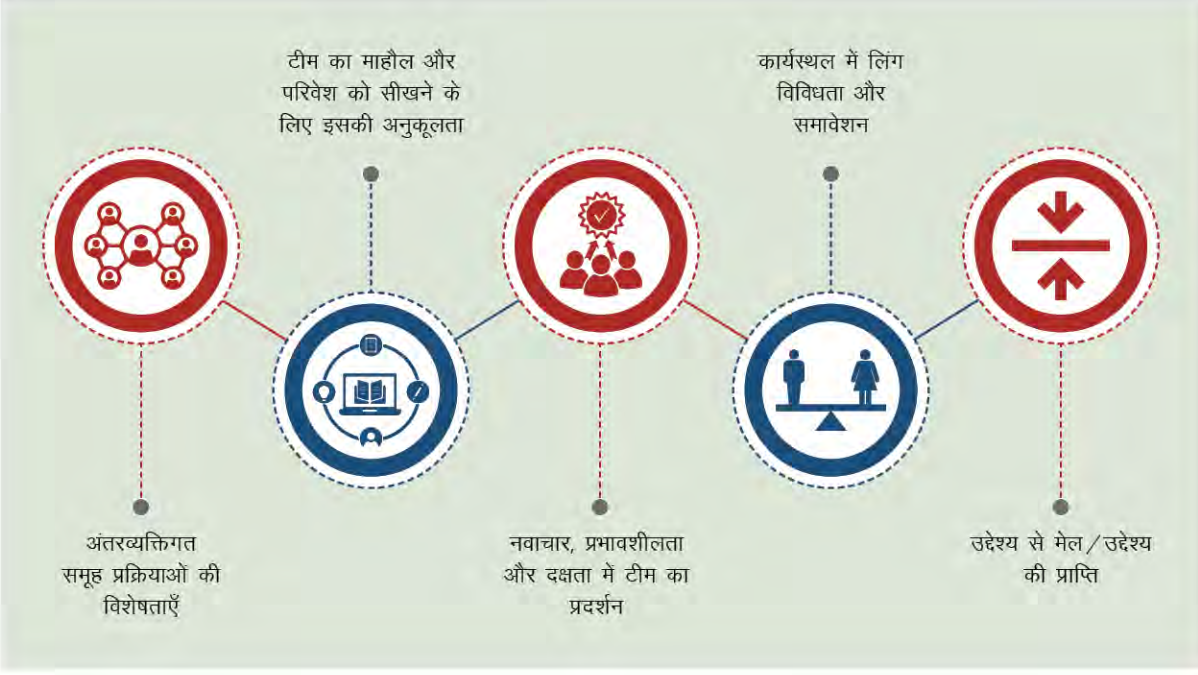
विकास और वृद्धि के लिए संगठनात्मक परिवर्तन पहल (OCEAN):

PRADAN के सहयोग से बीआरएलएफ द्वारा एक पहल

परियोजना अवधि	कवरेज
1 जनवरी 2022 – 31 मार्च 2024	10 सीएसओ के 50 कर्मचारी

OCEAN कार्यक्रम छोटे सिविल सोसाइटी संगठनों की जरूरतों को देखते हुए शुरू किया गया, जिनका वार्षिक बजट 5 करोड़ रुपये से कम है। इसका मकसद संगठनों में ऐसे नेता तैयार करना है जो उनके हिसाब से सही और पेशेवर ढाँचे, सिस्टम और प्रक्रियाएं बना सकें। इस कार्यक्रम का लक्ष्य था कि संगठनों की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि वे जमीन पर बेहतर ढंग से काम कर सकें और साथ मिलकर काम करने का फायदा उठा सकें। संगठनों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने 2–3 सदस्यों को इस सीखने की प्रक्रिया में शामिल करें। कार्यक्रम के सत्रों को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वे संगठनों में ऐसी नेतृत्व संस्कृति को बढ़ावा दें, जो अंदरूनी बदलाव ला सके, जैसा बदलाव हम समुदायों में भी लाना चाहते हैं।

कार्यक्रम का मूल्यांकन ढाँचा पाँच प्रमुख आयामों को एक साथ लाता है जिन्हें ऊपर उल्लिखित बदलावों के प्रॉक्सी संकेतक के रूप में मैप किया गया है:



परियोजना का उद्देश्य

- संगठन विकास विषयों पर अपनी क्षमताओं का निर्माण करके संगठन को संलग्न और सशक्त बनाना।
- सीएसओ को 'शिक्षण संगठनों' में विकसित करना। लर्निंग संगठनों से, हमारा मतलब है कि ऐसे संगठन जो वांछित परिणाम बनाने के लिए लगातार अपनी क्षमता का विस्तार करते हैं, जहाँ नए और विशाल सोच पैटर्न का पोषण किया जाता है, जहाँ सामूहिक आकांक्षा मुक्त हो जाती है और जहाँ लोग लगातार सीखते हैं कि एक साथ कैसे सीखें।
- सीएसओ को अपने क्षेत्रों में एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली उपस्थिति बनाने का लक्ष्य है।

महत्त्वपूर्ण परिणाम

- एक साझा दृष्टिकोण तैयार किया गया, जिसमें हर संगठन से कम से कम तीन सदस्य संगठन के विकास, बेहतर कार्यस्थल बनाने और विकास परिणामों को बेहतर बनाने में नेतृत्व करेंगे।

- संगठन के आंतरिक माहौल में अनुभवी महत्वपूर्ण सुधार – संगठन के आंतरिक माहौल में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया, जैसे कि प्रेरणा, टीमवर्क और विशेषज्ञ प्रभाव में सुधार, और परिणामों की गुणवत्ता में वृद्धि।
- कौशल में सुधारः आजीविका संवर्धन, समूह प्रक्रियाएँ, लिंग, प्रेरणा, लेखन और दस्तावेजीकरण, योजना और कार्यान्वयन, और सिस्टम सेटिंग में अवधारणात्मक, मानव, और तकनीकी कौशल को बढ़ाया।
- OCEAN कार्यक्रम में भागीदारीः वित्तीय वर्ष 2023–24 में 173 प्रतिभागियों ने OCEAN कार्यक्रम में भाग लिया। कुल मिलाकर, 12 संगठनों से 241 प्रतिभागियों ने OCEAN कार्यक्रम के माध्यम से सीखने की यात्रा पूरी की है।

ओशन कार्यक्रम का प्रभावः नेतृत्व और विकास की यात्रा

1992 में, 'सेवा/एसईडब्ल्यूए' (SEWA) की स्थापना एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए की गई थी जहाँ लोग बिना लाभ उठाए फल–फूल सकें। समय के साथ, सेवा ने महसूस किया कि कई ग्रामीण समुदायों को बहुत दिक्कतें हो रही थी क्योंकि लोगों के पास नौकरी के अच्छे अवसर नहीं थे। इसलिए, 2013 में, संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दीर्घकालिक नौकरियाँ खोजने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया।

सेवा को 2018 में, एक चुनौती का सामना करना पड़ा – जैसे–जैसे वे बढ़ते गए, उन्हें अधिक नेताओं और प्रबंधकों की आवश्यकता थी जो संगठन को सफल बनाने में मदद कर सकें। तभी बीआरएलएफ ओशन नामक एक कार्यक्रम के साथ आई। इस कार्यक्रम ने सेवा के कुछ आगामी मुखियाओं को अपनी नौकरियों में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद की। इस प्रशिक्षण ने उन्हें अधिक आत्मविश्वास रखना, समस्याओं को अच्छी तरह से संभालना और अपनी टीमों के साथ बेहतर काम करना सिखाया।

इस प्रशिक्षण से पहले, संगठन का प्रबंधन करना कठिन था। हालांकि, ओशन कार्यक्रम के बाद, सेवा के नेताओं ने भविष्य की योजना बनाने के लिए नियमित रूप से मिलना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण ने सेवा के कर्मचारियों को अधिक कुशल और पेशेवर बना दिया; कुछ को प्रमोशन भी मिला। सेवा उनकी मदद के लिए आभारी है और भविष्य में इस तरह के और अवसर मिलने की उम्मीद है।

प्रबोधन

गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सः कानूनी अनुपालन, शासन, वित्त, लेखा और अनुदान प्रबंधन

आज के समय में, गैर–लाभकारी क्षेत्र को कानूनी अनुपालन का बढ़ता हुआ बोझ उठाना पड़ रहा है, क्योंकि नियम और कानून गैर सरकारी संगठनों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो गए हैं। अधिकांश अनुपालन अब ऑनलाइन और बिना संपर्क के होते हैं। छोटे और मध्यम आकार के गैर सरकारी संगठनों को इस बदलते हालात से सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अपने उत्कृष्ट कार्य और महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, इन संगठनों की संस्थागत स्थिति भी कमजोर होती है। ऐसे संगठनों को अनुपालनों में मदद की जरूरत होती है, जैसा कि ऑडिट रिपोर्ट्स और बातचीत में सामने आता है। इसीलिए, प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों के प्रमुख स्टाफ को कानूनी अनुपालन, वित्त, लेखा और ग्रांट प्रबंधन के मुद्दों पर प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता बढ़ाना है।

उद्देश्यः

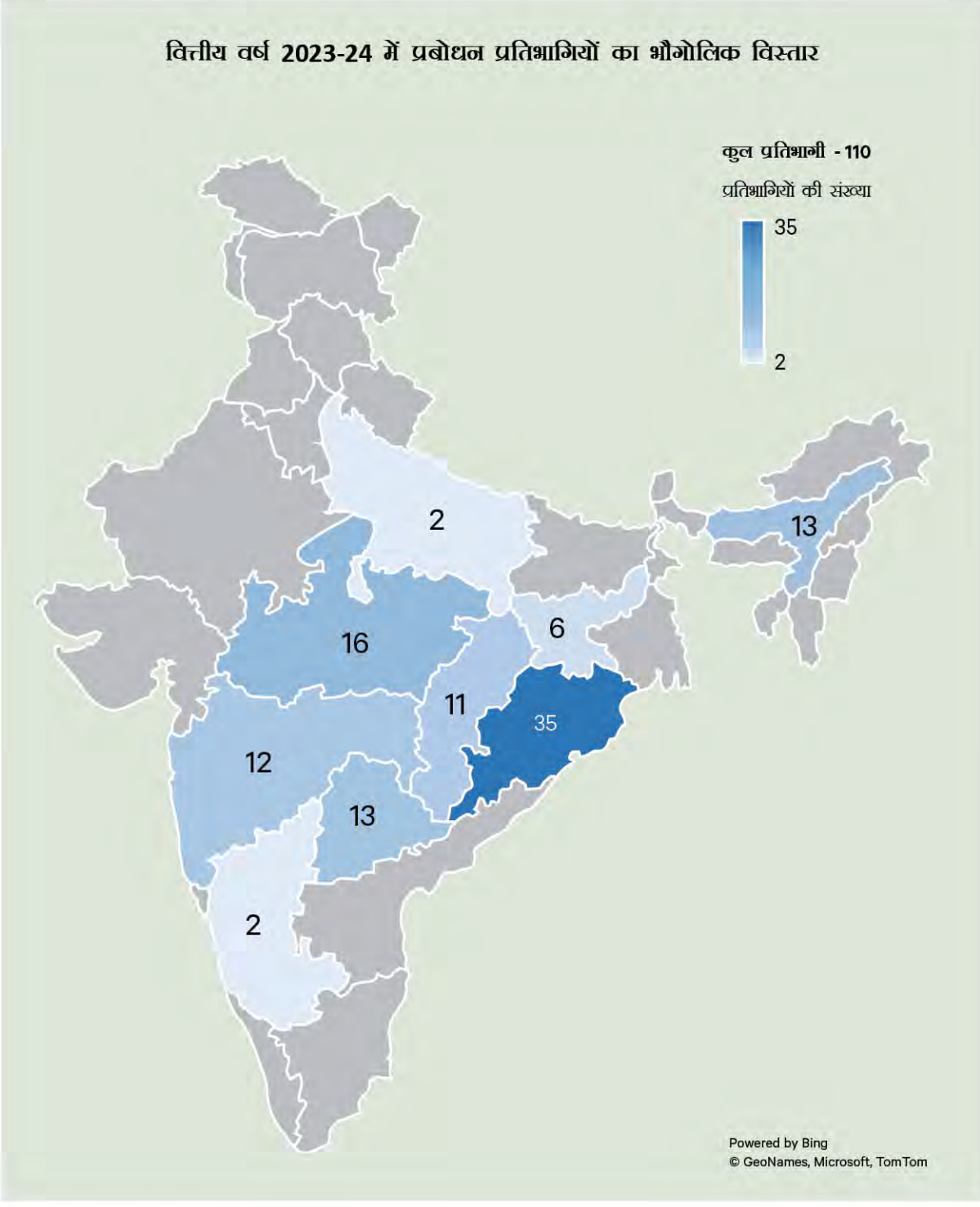
प्रबोधन का मुख्य उद्देश्य सीएसओ को कानूनी अनुपालन, वित्त, लेखा और ग्रांट प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर पूरी जानकारी और व्यावहारिक समझ प्रदान करना है। प्रबोधन का लक्ष्य है गैर सरकारी संगठनों की क्षमता को बढ़ाना ताकि वे बदलते नियमों और कानूनों के बीच प्रभावी ढंग से काम कर सकें।

मुख्य पेशकशः

- **विशेष रूप से तैयार किया गया पाठ्यक्रमः** प्रबोधन एक ऐसी पाठ्यक्रम पेश करता है जो CSOs की खास जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम संगठनों की स्थिरता के लिए जरूरी विषयों जैसे लेखा मानक, अनुदान प्रबंधन, कर अनुपालन, आदि को शामिल करके व्यापक ज्ञान प्रदान करता है।
- **विशेषज्ञों से मार्गदर्शनः** अनुभवी बीआरएलएफ वित्त टीम द्वारा संचालित सत्रों में, प्रतिभागियों को विशेषज्ञ सलाह और वास्तविक जानकारी मिलती है। टीम का ज्ञान और अनुभव सीखने को और भी प्रभावी बनाता है, जिससे सीखी गई बातें काम में आती हैं।
- **व्यापक दृष्टिकोणः** प्रबोधन एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें वित्तीय पहलुओं के साथ–साथ संगठनात्मक अनुपालन जैसे यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH), मानव संसाधन नीतियाँ और विदेशी योगदान विनियमन (एफसीआरए) को भी शामिल किया जाता है। इस तरह से प्रतिभागी नियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अच्छी तरह से समझ पाते हैं।

- **वर्चुअल एक्सेसिबिलिटी (पहुँच):** सुगम्यता के महत्त्व को स्वीकार करते हुए प्रबोधन वर्चुअल सत्रों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जिससे विभिन्न भौगोलिक स्थानों में गैर–सरकारी संगठनों के भाग लेना सुविधाजनक हो जाता है। यह पहुँच व्यापक जुड़ाव को बढ़ावा देती है और अधिकतम प्रभाव को सक्षम बनाती है।
- **एंडोर्समेंट और सर्टिफिकेशन:** प्रबोधन पूरा होने पर, प्रतिभागियों को उनके नए ज्ञान और कौशल की मान्यता के रूप में एक प्रमाण पत्र मिलता है। साथ ही, पूरे पाठ्यक्रम के दौरान दी गई संसाधन सामग्री आगे की सीख और उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होती है।

प्रबोधन सशक्तिकरण का एक मजबूत स्तंभ है, जो नागरिक समाज संगठनों को जरूरी साधन और ज्ञान देता है ताकि वे बदलते नियमों के बीच कामयाब हो सकें और सामाजिक बदलाव लाने में अपनी भूमिका अच्छे से निभा सकें।



आउटरीच (पहुँच) और प्रभावः

- अब तक, 2102 प्रतिभागियों ने प्रबोधन पहल के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनमें से ज्यादातर छोटे और मध्यम आकार के गैर–लाभकारी संगठनों से हैं।
- 2023–24 में, भारत के दस राज्यों में 42 नागरिक समाज संगठनों के 113 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लिया।
- प्रबोधन कार्यक्रम के लिए व्यक्तिगत सीएसओ (सिविल सोसाइटी संगठन) के आवेदन प्राप्त होते हैं और साथ ही अर्घ्यम, एक्सिस बैंक फाउंडेशन, स्माइल फाउंडेशन, वेलथंगरहिल्फे, सेव द चिल्ड्रन, IMPACTYOG और अन्य संस्थानों द्वारा उनके सहयोगी सीएसओ को नामांकित भी किया जाता है।

साक्ष्यः

विकास और दक्षता की एक व्यक्तिगत यात्रा

प्रबोधन पहल के हिस्से के रूप में बीआरएलएफ द्वारा पेश किए गए ऑनलाइन वित्त प्रबंधन सत्र ने मुझे पैसे के मामलों को बेहतर ढंग से संभालने में मदद की है। इस कार्यक्रम ने न केवल मुझे महत्वपूर्ण कौशल सिखाया बल्कि मुझे धन प्रबंधन और कर नियमों का पालन करने के लिए उपयोगी सुझाव भी दिए। बीआरएलएफ की वित्त टीम से सीखने से मुझे अपनी अनुदान प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने में मदद मिली – अनुदान के लिए आवेदन करने से लेकर उन्हें पूरा करने तक – और यह भी सुनिश्चित किया कि हमने समय पर कर और अन्य नियमों का पालन किया। इन नए कौशलों का उपयोग करने से हमारा काम आसान हो गया है और हमारे संगठन में पैसे के प्रबंधन के आसपास तनाव कम हो गया है। मैं बीआरएलएफ टीम द्वारा साझा किए गए सहयोग और ज्ञान के लिए बहुत आभारी हूँ और मैं इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बढ़ने के साथ उनकी निरंतर मदद की उम्मीद कर रहा हूँ।

कुमार विट्ठल राव
परियोजना प्रबंधक,
सेंटर फॉर कलेक्टिव डेवलपमेंट, उत्नूर, आदिलाबाद, तेलंगाना

विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से अनुपालन और दक्षता बढ़ाना

हाल ही में महाराष्ट्र के यवतमाल में ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट (जीएसएमटी) ने अपनी टीम की दक्षता और नियमों के पालन को बेहतर बनाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। बीआरएलएफ के विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसका मकसद जीएसएमटी की टीम को वित्त, नियमों और अनुपालन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों में जरूरी जानकारी और कौशल सिखाना था। प्रशिक्षण में सही तरीके से लेखांकन करना, अनुदान प्रबंधन, कर संबंधी नियमों का पालन और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी जैसी चीजें सिखाई गईं। इस प्रशिक्षण ने जीएसएमटी की टीम को अपने वित्त और कामकाज को जिम्मेदारी और स्थिरता से संभालने के लिए जरूरी जानकारी और उपकरण मुहैया कराए। कुल मिलाकर, इस कार्यक्रम ने जीएसएमटी को बेहतर संगठनात्मक लेखांकन और अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद की।

सुजीत सुरेशराव भजभुजे
टीम लीडर
संगठन का नामः ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट, यवतमाल, महाराष्ट्र

ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया (जीएचसीआई) परियोजना

द ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया (जीएचसीआई) परियोजना** 2021 में ग्रामीण और आदिवासी युवाओं के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड के चार राज्यों में शुरू की गई थी। 2024 तक, इसका विस्तार 8 राज्यों में हो गया, जिसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं। ग्रीन हब फेलोशिप एक 10–महीने की आवासीय फेलोशिप है, जो भोपाल से संचालित होती है। इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण और आदिवासी पृष्ठभूमि के 25 युवाओं का चयन होता है और उन्हें पर्यावरण संरक्षण और सतत आजीविका पर केंद्रित वीडियो स्टोरीटेलिंग में प्रशिक्षित किया जाता है। वीडियो को एक ऐसे साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो इन युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ता और उन्हें सशक्त बनाता है, ताकि वे पर्यावरण की सुरक्षा को भविष्य के लिए जरूरी समझने लगें।

अब अपने तीसरे वर्ष में, ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया के पास 48 जिलों से 16 जनजातियों (अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अलावा) के 66 फेलो का नेटवर्क है। फेलोशिप ने पहले तीन वर्षों में 36 संगठनों के साथ साझेदारी की है। 30 से अधिक फिल्में विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर बनाई गई हैं, जो ग्रामीण आजीविका, सतत खेती के तरीकों, वन्यजीव संरक्षण, लैंगिक न्याय, शिक्षा, युवा विकास, गैर–कीटनाशक प्रबंधन, वाटरशेड विकास और पारंपरिक ज्ञान जैसे विविध विषयों को कवर करती हैं। फेलोशिप का समापन ग्रीन हब फेस्टिवल में होता है, जहाँ फेलो अपनी फिल्में प्रदर्शित करते हैं। इस फेस्टिवल में भागीदार संगठन, सिविल सोसाइटी, सरकारी प्रतिनिधि, प्रैक्टिशनर्स, फिल्म निर्माता और छात्र शामिल होते हैं। यह फेस्टिवल दो दिनों में प्रतिदिन लगभग 300–400 लोगों को आकर्षित करता है।

मुख्य परिणाम

- पूरे क्षेत्र में 62 युवाओं का एक नेटवर्क बना है जो पर्यावरण के प्रवक्ता और परिवर्तन के प्रेरक के रूप में काम करते हैं, अर्थात पर्यावरण की बात करने वाले व बदलाव लाने वाले हैं और हर साल 25 नए युवा इस समूह से जुड़ते हैं।
- वीडियो आर्काइव और फिल्में पर्यावरण संरक्षण, स्थिरता, ग्रामीण आजीविका, और पारंपरिक ज्ञान पर एक विजुअल जानकारी का स्रोत तैयार करने में मदद करती हैं।
- ग्रीन हब स्थानीय युवाओं के समूह को संगठनों और अन्य हितधारकों के बड़े इकोसिस्टम से जोड़ने का काम करेगा, जिससे नए अवसरों और सहयोग के रास्ते खुलेंगे।
- फिल्मों और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए, हम यह दिखा रहे हैं कि टिकाऊ खेती, ग्रामीण आजीविका, और पर्यावरण संरक्षण का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

प्रमुख उद्देश्य

डिजिटल प्लेटफॉर्म के एक नए मॉडल के जरिए मध्य भारत के सात राज्यों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र) में ग्रामीण आदिवासी युवाओं को जैव विविधता और टिकाऊ प्रथाओं के संरक्षण से जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना है। इससे आजीविका के नए रास्ते खुलेंगे और एक ऐसा भविष्य बनाने में मदद मिलेगी जो समाज के लिए न्यायपूर्ण और पर्यावरण के लिए टिकाऊ हो।





प्रतिभागी प्रोफाइल

आठ राज्यों के आदिवासी युवाः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, और गुजरात से हैं। अपने तीसरे साल में, ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया के पास 48 से अधिक जिलों से 66 फेलो का नेटवर्क है, जो 20 से अधिक जनजातियों (अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अलावा) का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें भील, भीलाला, संथाल, गोंड, परधान, मीणा, हो, उरांव, मुंडा, कोरकू, बेड़िया, पारधी, मुंडा, बैगा, सहारिया, बारिया, कोल, अगरिया, बंजारा और सपेरा जैसी जनजातियाँ शामिल हैं।

उल्लेखनीय उपलब्धियाँः

- 'गज ढूंढ रहे गलियारा' और 'चंदलाई– एक संरक्षणवादी का संघर्ष' को आधिकारिक तौर पर झारखंड के चतरा फिल्म फेस्टिवल में चुना गया और प्रदर्शित किया गया।
- ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया फेलोशिप में 62 फेलो और 36 साझेदार संगठन शामिल हुए हैं। 60 प्रतिशत से अधिक फेलो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक बदलाव में जुटे हुए हैं, चाहे वह फिल्म निर्माण के जरिए हो, अपने समुदाय के साथ मिलकर काम करने से, या एनजीओ और अन्य संगठनों के साथ जुड़कर।
- दूसरे बैच के संजय सिंह और अनीता गोंड ने शिव नादर विश्वविद्यालय (बीआरएलएफ–शिव नादर पार्टनरशिप) में ग्रामीण प्रबंधन पाठ्यक्रम के लिए दाखिला लिया।
- बीआरएलएफ ने राहुल कुमार और श्याम राज विश्वकर्मा को वीडियो डॉक्यूमेंटेशन के लिए लगाया। राहुल को उभरते फिल्म निर्माताओं के लिए प्रतिष्ठित 'लेट्स डॉक' कार्यक्रम के लिए भी चुना गया था।
- दूसरे बैच के निर्मल वर्मा को राउंडग्लास सस्टेन से तीन 'फिल्म असाइनमेंट' मिले हैं। उनके बैच के सुनील और अमन इस प्रोजेक्ट में उनकी मदद कर रहे हैं। सुनील ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है।
- झारखंड की संध्या लाकड़ा ने अपने छात्र ब्लॉक में पहला फिल्म महोत्सव आयोजित किया और एकस्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर अपने समुदाय के बच्चों के साथ प्रकृति शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत की है।
- संध्या और भूमिका को भी अपना काम जारी रखने के लिए 'पीपल एंड नेचर फेलोशिप' के लिए चुना गया है।
- अजीम प्रेमजी ने माउंटेन ऑफ लाइफ फेलोशिप के लिए तीसरे बैच के पाँच साथियों शिवाली विश्वास, रमेश कुमार धुर्वे, पूनम जावड़े, कल्याणी नायक और पंकज शोरी का चयन किया।

फेलोशिप ने पहले तीन वर्षों में 36 संगठनों के साथ भागीदारी की है। ग्रामीण आजीविका, दीर्घकालिक सतत कृषि प्रथाओं, वन्यजीव संरक्षण, लिंग न्याय, शिक्षा, युवा विकास, गैर–कीटनाशक प्रबंधन, वाटरशेड विकास और स्वदेशी ज्ञान पर विविध विषयों को कवर करने वाले संगठनों के साथ साझेदारी में 30 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया गया है। 2021 से, GHCI फेलोशिप के लिए 1000+ आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रशिक्षण के लिए वन्यजीव मॉड्यूल के लिए एनसीबीएस पंचमढ़ी और ग्रामीण विकास मॉड्यूल के लिए एसपीएस के साथ साझेदारी स्थापित की गई है। लिंग और जलवायु कार्रवाई के लिए एक एकीकृत मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। राउंडग्लास सस्टेन पूर्व छात्रों के लिए एक ज्ञान और सहायता भागीदार रहा है।

इस बीच, बैच 1 में, लगभग 88 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने कार्यक्रम पूरा करने के तुरंत बाद नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली। बैच 2 में 43 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने छात्रवृत्ति या स्व–जुटाए गए धन के माध्यम से वित्त पोषित व्यक्तिगत परियोजनाओं का पता लगाने और उन्हें आगे बढ़ाने का विकल्प चुना। अब तक 12–13 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने जीएचसीआई फेलोशिप के दोनों बैचों में उच्च शिक्षा का विकल्प चुनने का फैसला किया है। जीएचसीआई फेलो के तीसरे बैच को 2024–25 में कार्यक्रम के लिए शामिल किया गया है।

फेलो की प्रतिक्रियाएँ

> ग्रीन हब ने मुझे उड़ने की स्वतंत्रता दी है। यह केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि एक स्नेही परिवार है जहाँ हम एक–दूसरे की सराहना और सहयोग करते हैं। इसके शिक्षण के माध्यम से, मैंने हमारे पर्यावरण की जटिल सुंदरता को समझना सीखा है, जो मेरे अंदर एक ताकत को निखारता है। फेलोशिप ने मुझे कहानियाँ बनाने के लिए एक मजबूत उपकरण दिया है।
>
> **भूमिका यादव**
> *(दूसरा बैच जीएचसीआई)*

> मुझे ग्रीन हब फैलोशिप के साथ शानदार अनुभव मिला। इस कार्यक्रम ने 'फिल्म निर्माण' में मूल्यवान इनसाईट प्रदान की और संस्कृति और वन्य जीवन के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया। इसके माध्यम से वास्तव में मुझे अपने करियर में अपना ध्यान और दिशा तेज करने में मदद मिली।
>
> **श्याम राज विश्वकर्मा**
> *(दूसरा बैच जीएचसीआई)*

> ग्रीन हब मेरी जिंदगी में तब आया जब मैंने वन्यजीवों और संरक्षण के बारे में और सीखने और एक कहानीकार के रूप में बढ़ने के लिए एक मंच खोजा। मैं अपने कैमरे से वन्यजीवों की तस्वीरें लेना चाहती थी, लेकिन इस क्षेत्र में काम करने के तरीके के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। मैं इस फेलोशिप का हिस्सा बनकर खुश हूँ, जहाँ मैं रोज नई चीजें सीख रही हूँ, जमीनी स्तर पर संरक्षण का अनुभव प्राप्त कर रही हूँ और समस्याओं को करीब से समझ रही हूँ। मुझे यह सीखने की प्रक्रिया बहुत पसंद है।
>
> **कल्याणी नायक**
> *(तीसरा बैच जीएचसीआई)*



अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन

बीआरएलएफ में अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन विभाग का काम है आदिवासी समुदायों की ग्रामीण आजीविका पर ठोस जानकारी जुटाना। हम बीआरएलएफ की राज्य इकाइयों, सरकार, सिविल सोसाइटी और समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि ग्रामीण आजीविका और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर नई शोध और जानकारी तैयार की जा सके, जो नीतियों और प्रथाओं को बेहतर बनाने में मदद करे।

अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन विभाग द्वारा संकलित, साझा किए गए और एकत्रित किए गए संसाधन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए हैं:

- बीआरएलएफ और उसके भागीदारों के लिए एक गतिशील शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करना।
- केंद्र और राज्य स्तरों पर मौजूदा नीति उपकरणों में इनपुट अभ्यास–आधारित लर्निंग।
- बीआरएलएफ के मुख्य भागीदारों के बीच ज्ञान साझा करना और मिलकर नया ज्ञान बनाना।
- भारत के जनजातीय भौगोलिक क्षेत्रों में ग्रामीण आजीविका बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में एक साझा ज्ञान बुनियादी ढाँचे की सुविधा प्रदान करना।

रिपोर्ट और लेख:

WAPCOS लिमिटेड द्वारा बीआरएलएफ का प्रभाव मूल्यांकन और समीक्षा

2023 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने WAPCOS लिमिटेड के माध्यम से बीआरएलएफ के पिछले दस वर्षों के काम की समीक्षा की। WAPCOS भारत सरकार के तहत काम करने वाला एक सरकारी उद्यम है। रिसर्च टीम ने बीआरएलएफ के कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण, और शोध के प्रदर्शन को संकलित किया और विभिन्न परियोजनाओं से केस स्टडीज एकत्र की, ताकि बीआरएलएफ के काम का प्रभाव और मुख्य पाठों को दर्ज किया जा सके।

प्रभावी योजना के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग: झारखंड के उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना (HIMWP) के लिए ओपन डेटा किट (ओडीके) के उपयोग की एक केस स्टडी

जीवि दा: हासा (जेडीएच), जिसे झारखंड में हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट के रूप में भी जाना जाता है, राज्य मनरेगा सेल, झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, बीआरएलएफ और सीएसओ के साथ सहयोग कर रहा है। ये प्रासंगिक फील्ड जानकारी (प्राथमिक डेटा) एकत्र करने के लिए ओपन डेटा किट (ओडीके) मोबाइल ऐप्प का उपयोग करते हैं। ओडीके का उपयोग विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए डेटा तैयार करने और इसे मनरेगा कार्यों के लिए वार्षिक कार्य योजना में एकीकृत करने के लिए किया जा रहा है। यह रिपोर्ट जेडीएच परियोजना के तहत क्षेत्रों की फील्ड विजिट के निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करती है, जिसमें यह बताया गया है कि मोबाइल ऐप का डेटा संग्रहण के लिए कैसे उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट ऐप के उपयोग के लाभ और इसके कार्यान्वयन में किसी भी चुनौतियों की भी समीक्षा करती है। अवलोकनों के आधार पर, रिपोर्ट यह सुझाव देती है कि बीआरएलएफ के अन्य राज्य–भागीदारी परियोजनाओं में इस प्रथा का विस्तार करना लाभकारी होगा। यह भी सिफारिश की गई है कि इस विधि का उपयोग देश भर में मनरेगा परियोजनाओं में गाँव स्तर की योजना को दस्तावेजित करने के लिए किया जाए।

ओडिशा मिलेट (ज्वार–बाजरा जैसी अनाज की किस्में) मिशन पर 'आइडियाज फॉर इंडिया' में चर्चा:

यह लेख ओडिशा मिलेट्स मिशन के तहत लागू की गई नीतियों के माध्यम से फसल उत्पादन, प्रसंस्करण, और खरीद में हुए सुधारों पर चर्चा करता है। यह भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन द्वारा किए गए पहले के कार्यों पर आधारित है और कोविड–19 सहित अन्य चुनौतियों, जैसे कम जागरूकता और सार्वजनिक धारणा, के मिशन पर पड़े प्रभावों की भी जांच करता है। लेख में यह भी बताया गया है कि ओडिशा के प्रयास 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष से पहले शुरू हो चुके थे और इसकी सफलता अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकती है। यह लेख 'आइडियाज फॉर इंडिया' नामक मंच पर अक्टूबर 2023 में प्रकाशित हुआ था। यह लेख 'अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए' नामक ई–संगोष्ठी की छठी और अंतिम पोस्ट थी अर्थात इस संगोष्ठी में कुल छह लेख थे और यह लेख उस शृंखला का अंतिम लेख था। संगोष्ठी का उद्देश्य मिलेट्स (ज्वार–बाजरा जैसी अनाज की किस्में) के महत्व को उजागर करना और उन्हें बढ़ावा देना था।

जनजातीय विकास रिपोर्ट के दक्षिण एशियाई संस्करण का विमोचन

2022 में, बीआरएलएफ ने आदिवासी विकास रिपोर्ट जारी की, जो रूटलेज और सीआरसी प्रेस से डॉ. मिहिर शाह और प्रोफेसर पीएस विजय शंकर द्वारा संपादित भारत की जनजातीय आबादी के जीवन और आजीविका पर लेखों का एक संग्रह है। 2023 में, रूटलेज ने बिक्री के दृष्टिकोण से दक्षिण एशियाई देशों में अपना किफायती संस्करण जारी किया।



राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी:

बीआरएलएफ की टीम ने 28 दिसंबर, 4 को दुबई में संयुक्त राष्ट्र COP2023 में अपना कार्य प्रस्तुत किया। यह सत्र जलवायु परिवर्तन, निगरानी और मूल्यांकन, स्वदेशी खेती प्रथाओं, महिला उद्यमिता और बड़े पैमाने पर ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों पर केंद्रित था। यह प्रस्तुति राज्य सरकार और 17 साझेदार सीएसओ के साथ साझेदारी में बीआरएलएफ के कृषि उत्पादन क्लस्टर (एपीसी) कार्यक्रम – ओडिशा में चरण 1 पर आधारित थी। उन्हें इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर एपीसी कार्यक्रम में शामिल एक समुदाय के सदस्य की भागीदारी और अनुभवों को साझा करने की सुविधा प्रदान करने पर गर्व था।

प्रयोगात्मक निगरानी, मूल्यांकन एवं अधिगम (MEL) के लिए उन्नत ज्ञान संरचना:

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) की अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन टीम ने अपने कार्यक्रमों के विकास का मूल्यांकन करने के लिए सुदृढ़ अनुसंधान पद्धतियों का उपयोग करके प्रणालियों और प्रक्रियाओं को एकीकृत किया है। इसी दिशा में अनुसंधान टीम ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में बीआरएलएफ परियोजनाओं के लिए एक बेसलाइन अध्ययन शुरू किया है।

इसके अतिरिक्त, बीआरएलएफ ने निम्नलिखित कार्य भी किए हैं:

- ग्रामीण आजीविका के लिए एक उन्नत MEL (मॉनिटरिंग, इवैल्युएशन और लर्निंग) ढांचा और मानक सूचक तय किए गए हैं, जिन्हें बीआरएलएफ के साझेदारों, विशेषज्ञों, और टीम सदस्यों की सलाह से तैयार किया गया है। ये ढाँचा खासतौर पर केंद्रीय भारतीय जनजातीय क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों के लिए है, जिससे इन क्षेत्रों में योजनाओं का बेहतर मूल्यांकन और सुधार हो सके।
- बीआरएलएफ ने राज्य साझेदारियों के बेहतर संचालन के लिए सर्वर, एप्लिकेशन फ्लो और डेटा मॉड्यूल की व्यवस्था की है। यह काम राज्य टीमों के साथ मिलकर किया जा रहा है ताकि MEL की संरचनाओं, प्रक्रियाओं, और सिस्टम के संचालन में क्षेत्रीय स्तर पर क्षमता विकसित की जा सके।

हम ऐसी ज्ञान संरचना, ढाँचे और उपकरणों के जरिए सहयोगी पहलों की MEL क्षमताओं को मजबूत करना चाहते हैं, जो नागरिक समाज संगठनों, सरकार, सामुदायिक संगठनों (सीबीओ) और फंडिंग संस्थानों को एक साथ लाते हैं। इससे बेहतर संवाद, लर्निंग और कार्यान्वयन संभव हो सकेगा।



हिंदी राजभाषा विभाग

संसदीय समिति द्वारा निर्धारित राजभाषा अधिनियम और नीति के अनुपालन के लिए, भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) के तहत एक हिंदी राजभाषा विभाग भी मौजूद है। यह विभाग राजभाषा नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करता है। इस दिशा में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जो त्रैमासिक बैठकें आयोजित करती है जहाँ राजभाषा नीति को लागू करने और कार्यालय में हिंदी को बढ़ावा देने के संबंध में आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं।

कार्यालय में होने वाला पत्राचार भारत के भाषाई वर्गीकरण के अनुसार किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त, सभी कार्यालय आदेश, समझौते, अनुबध और अन्य आवश्यक दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किए जाते हैं। वार्षिक और त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से संसदीय समिति को भेजी जाती हैं।

इसके अतिरिक्त नियमित हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं, जहाँ कर्मचारियों को हिंदी अनुवाद को सरल बनाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विकसित 'कंठस्थ अनुवाद उपकरण' के उपयोग के बारे में में प्रशिक्षित किया गया है। कार्यशालाओं में 'सही हिंदी मात्राओं का ज्ञान' जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है।

चूंकि हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, इसलिए देश भर में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी तरह बीआरएलएफ में भी हिंदी दिवस और पखवाड़ा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने स्वेच्छा से एवं सक्रिय रूप से पखवाड़ा आयोजन में भाग लिया। पखवाड़े के दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया एवं प्रसिद्ध हिंदी पुस्तकों का भी वितरण किया गया।

हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए कार्यालय में कई उत्साही गतिविधियाँ और प्रयास किए जाते हैं। कार्यालय में एक व्हाइटबोर्ड स्थापित किया गया है जिस पर प्रत्येक कर्मचारी द्वारा दैनिक रूप से एक हिंदी सुविचार लिखा जाता है, जिसका डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जाता है। एक और प्रगतिशील कदम के अंतर्गत कार्यालय में एक छोटा–सा हिंदी पुस्तकालय भी बनाया गया है। इस पुस्तकालय में प्रसिद्ध लेखकों के साहित्य और आधुनिक जीवन से संबंधित समस्याओं पर पुस्तकें शामिल हैं।



रणनीतिक साझेदारी और संसाधन संग्रहण

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, बीआरएलएफ ने दाताओं के लिए अपनी रणनीतिक पहुँच को मजबूत किया और भारत में आदिवासी और ग्रामीण आबादी की आजीविका बढ़ाने पर अपने काम का विस्तार करने के लिए कॉर्पोरेट, संस्थागत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) दाताओं के साथ जुड़ी। 31 मार्च, 2024 तक, बीआरएलएफ ने परियोजना अनुदान के रूप में 93.32 करोड़ रुपए जुटाए थे।

रणनीतिक साझेदारी और संसाधन संग्रहण (रिसोर्स मोबिलाइजेशन) विभाग ने संस्थागत फंडिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएफआर) फंड, सरकारी विभागों और अन्य फंडिंग स्रोतों से लगातार संबंध बनाने, हितधारकों के प्रबंधन, और प्रस्ताव तैयार करने के माध्यम से अनुदान प्राप्त किए। एक्सिस बैंक फाउंडेशन ने महाराष्ट्र में पाँच साल के हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट के लिए 26 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। थॉटवर्क्स टेक्नोलॉजीज ने तेलंगाना में सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) प्रोजेक्ट के लिए 25 लाख रुपये स्वीकृत किए और इसके अलावा, बीआरएलएफ ने तेलंगाना के जनजातीय कल्याण विभाग से सीएफआर प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख रुपये जुटाए। बीआरएलएफ ने सीधे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन (एपीएफ) से 15 करोड़ रुपये की फंडिंग बोडोलैंड हाई इम्पैक्ट लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट के लिए सुनिश्चित की। एपीएफ सीधे बोडोलैंड हाई इम्पैक्ट लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट में पाँच सिविल सोसाइटी संगठनों को अनुदान प्रदान करेगा, जो बीआरएलएफ के साथ साझेदारी में चलाया जा रहा है। कैयरिंग फ्रेंड्स, जो उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह है, ने भी इसी प्रोजेक्ट के लिए 1.5 करोड़ रुपये की अनुदान राशि पर सहमति जताई। कुल मिलाकर, बीआरएलएफ ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 14.54 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाए।

इस वर्ष के दौरान, रिसोर्स मोबिलाइजेशन टीम ने एचडीएफसी, ओक फाउंडेशन, सिडबी, फेडरल बैंक, रेनमैटर फाउंडेशन, सोफिया आकाश फाउंडेशन और ई एंड वाय फाउंडेशन जैसे कई संभावित दाताओं तक अपनी पहुँच बनाई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार 100 करोड़ रु. के लक्ष्य हेतु संसाधन संग्रहण

स्रोत	प्रतिबद्ध / स्वीकृत (रु. करोड में)	31 मार्च 2024 तक प्राप्त (रु. करोड में)	2023–24 में प्राप्त
A. एंडोमेंट फंड			
टाटा ट्रस्ट (कॉर्पस)	10.00	10.00	0
फोर्ड फाउंडेशन (कॉर्पस)	9.96	9.96	0
कुल (A)	**19.96**	**19.96**	**0**
B. बीआरएलएफ द्वारा प्राप्त अनुदान / दान			
यूएनडीपी और निजी दाता (अनुदान)	1.00	1.00	0
अर्घ्यम (ARGHYAM) अनुदान (सहभागी भूजल प्रबंधन)	0.93	0.93	0
अर्घ्यम अनुदान (स्प्रिंगशेड प्रोजेक्ट)	0.36	0.36	0
अर्घ्यम अनुदान (क्षमता निर्माण)	0.24	0.24	0
VATech Wabag अनुदान	2.49	2.49	0

स्रोत	प्रतिबद्ध / स्वीकृत (रु. करोड में)	31 मार्च 2024 तक प्राप्त (रु. करोड़ में)	2023–24 में प्राप्त
यूरोपीय संघ अनुदान	7.57	7.57	0
फोर्ड फाउंडेशन अनुदान (ओडिशा)	4.54	4.54	0
फोर्ड फाउंडेशन अनुदान (छत्तीसगढ)	6.65	6.65	0
एक्सिस बैंक फाउंडेशन अनुदान (छत्तीसगढ़)	11.86	11.25	0
एक्सिस बैंक फाउंडेशन अनुदान (छत्तीसगढ) – चरण II	15.00	10.69	7.09
एबीएफ अनुदान (एमएच)	26.00	3.48	3.48
झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी अनुदान	0.1	0.1	0
क्राउड फंडिंग	0.05	0.05	0
महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग	2.00	1.76	0.36
हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन	3.07	3.07	0
जनजातीय कार्य मंत्रालय (योजनाओं का मूल्यांकन)	0.07	0.07	0
जनजातीय मामलों का मंत्रालय (उषरमुक्ति और एनजीओ स्क्रीनिंग)	0.86	0.63	0
जनजातीय मामलों का मंत्रालय (जीआईए योजनाएँ)	0.05	0.05	0
जनजातीय कार्य मंत्रालय (क्षेत्र निरीक्षण)	0.27	0.27	0
उत्कल एल्यूमिना इंडिया लिमिटेड (UANAT)	3.74	2.54	1.22
उत्कल एल्यूमिना इंडिया लिमिटेड (वाटरशेड)	1.13	0.34	0.34
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन	4.05	2.70	1.1
जनजातीय कार्य मंत्रालय (क्षेत्र निरीक्षण)	0.34	0	0
केयरिंग फ्रेंड्स	0.5	0.5	0.5
थॉटवर्क्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	0.25	0.25	0.25
सीटीडब्ल्यूडी, तेलंगाना	0.20	0.20	0.2
कुल (B)	**93.32**	**61.73**	**14.54**
C. अनुदान भागीदारों द्वारा सह–वित्त (बीआरएलएफ परियोजना के लिए भागीदारों की बहियों में व्यय)	**238.02**	**355.50**	**0**
कुल (C)	**238.02**	**355.50**	**0**
कुल (A+B+C)	**351.30**	**437.19**	**14.54**

भागीदारी (पार्टनरशिप)

हम अपने सभी उदार दाताओं, सम्मानित सरकारी भागीदारों और समर्पित भागीदार संगठनों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

सरकारी भागीदार (गवर्नमेंट पार्टनर)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, पश्चिम बंगाल सरकार
ओडिशा सरकार, कृषि और किसान सशक्तीकरण विभाग, बागवानी निदेशालय, मिशन शक्ति विभाग, ओडिशा आजीविका मिशन
ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार
बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी), असम सरकार
आयुक्त कार्यालय मनरेगा, महाराष्ट्र सरकार
जनजातीय विकास विभाग, तेलंगाना सरकार

वित्तीय भागीदार (फंडिंग पार्टनर)

जनजातीय कार्य मंत्रालय	महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग	आयुक्तालय – जनजातीय कल्याण विभाग, तेलंगाना
टाटा ट्रस्ट	अर्घ्यम	यूएनडीपी
फोर्ड फाउंडेशन	यूरोपीय संघ	वीऐटेक वबाग
एक्सिस बैंक फाउंडेशन	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन	झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी
हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन	उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लिमिटेड (यूएआईएल)	थॉटवर्क्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
केयरिंग फ्रेंड्स		

कार्यान्वयन सीएसओ भागीदार

आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति	ग्रामीण सेवा संस्थान	लोक कल्याण परिषद	सेवा
अधिकार	ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट	लोकदृष्टि	शमयिता मठ (एसएम)
आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम – इंडिया	ग्रामीण विकास ट्रस्ट	मानव जीवन विकास समिति	श्रमिक शक्ति संघ
एग्रोक्रेट्स सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट	ग्रामीण युवा प्रगतिशील मंडल	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन, चाइल्ड एंड यूथ डेवलपमेंट	सृष्टि

एजेएसए	ग्राम्य विकास मंच	नवनिर्माण सर्व समाज हितार्थ संस्था नंदुरबार	सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट
अरुणोदय	ग्रीन फाउंडेशन	नेटवर्क फॉर एंटरप्राइज एन्हांसमेंट एंड डेवलपमेंट सपोर्ट	सृजन
एसोसिएशन फॉर सोशल एडवांसमेंट	हरितिका	संपूर्ण समाज सेवा संस्था	जीविका सपोर्ट
बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन	हर्षा ट्रस्ट	पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट	सरगुजा ग्रामीण विकास संस्थान
बस्तर सेवक मंडल	आइडियल डेवलपमेंट एजेंसी	प्रदान	टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट
बोलंगीर ग्रामोद्योग समिति	इंडियन ग्रामीण सर्विसेज	प्रगति ग्रामीण विकास संस्थान	एक्शन नॉर्थईस्ट ट्रस्ट
कर्म–दक्ष	जन जागरण केंद्र	राष्ट्रीय एग्रो एजुकेशन संस्थान	द नॉर्थ ईस्ट रिसर्च एंड सोशल वर्क नेटवर्किंग
सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट	जन मुक्ति संस्थान	रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन	ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया
सेंटर फॉर कलेक्टिव डेवलपमेंट	जनसहज्या	रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट	विकल्प
सेंटर फॉर पीपल्स फॉरेस्ट्री	जीवन विकास संस्था	सहभागी समाज सेवी संस्थान	विकास भारती
सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट	काबिल	समर्थ	विकास सहयोग प्रतिष्ठान
चौपाल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान	कलामंदिर	समावेश	विकास संवाद समिति
कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू रूरल अवेकनिंग	खोज	संबलपुर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट	वाटरशेड ऑर्गनाइजेशन ट्रस्ट
डेवलपमेंट रिसर्च कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज सेंटर	क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समिति	समर्थ ट्रस्ट	वॉटरशेड सपोर्ट सर्विसेज एंड एक्टिविटीज नेटवर्क
धरती ग्रामोत्थान एवं सहभागी ग्रामीण विकास समिति	कृषक सहयोग संस्थान	संपर्क	यूथ काउंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स
फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी	कृषी विकास	संगत सहभागी ग्रामीण विकास संस्थान	युवा रूरल एसोसिएशन
ग्राम सुधार समिति	लोक शक्ति समिति (LSS)	सेवन सिस्टर्स डेवलपमेंट असिस्टेंस	

प्रबंधन

बीआरएलएफ की कार्यकारी समिति (ईसी) और आम सभा (जीबी) में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, शैक्षणिक जगत के प्रतिष्ठित लोग, सिविल सोसाइटी, कॉर्पोरेट सेक्टर, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ और परोपकारी संस्थान शामिल हैं, जिनके पास सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों, विशेषकर मध्य भारत के आदिवासियों के मुद्दों की गहरी समझ और प्रतिबद्धता है।

बीआरएलएफ ने अपने सभी निर्धारित आम सभा और कार्यकारी समिति की बैठकें नियमों और विनियमों के अनुसार आयोजित की हैं। स्थापना के बाद से, बीआरएलएफ ने 19 आम सभा और 29 कार्यकारी समिति की बैठकें की हैं। बेहतर प्रबंधन के लिए बीआरएलएफ बोर्ड ने विभिन्न समितियाँ बनाई हैं, जैसे कि वित्त और ऑडिट समिति, विमुक्त और घुमंतू जनजाति (DNT-NT) पर समिति, और मानव संसाधन समिति। वर्ष 2019–20 में, दो नई समितियाँ गठित की गईं – क्षमता निर्माण के लिए सलाहकार समिति और अनुसंधान सलाहकार समूह।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, बीआरएलएफ ने तीन आम सभा और चार कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित कीं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में गठित समितियाँ:

- परियोजना अनुदानकर्ता चयन समिति का पुनर्गठन
- डीएनटी समिति का पुनर्गठन
- जेंडर इंटीग्रेशन ग्रुप का गठन
- संसाधन संग्रहण समूह का गठन

पारदर्शिता और जवाबदेही

वित्तीय प्रणाली, नियंत्रण, ऑडिट और पारदर्शिता:

बीआरएलएफ की वित्तीय गतिविधियाँ इसके नियमों और विनियमों (आर एंड आर) के अनुसार संचालित होती हैं और वित्त एवं ऑडिट समिति (एफएसी) इसके लिए मार्गदर्शन देती है। कार्यकारी समिति और आम सभा वार्षिक कार्य योजना और बजट को मंजूरी देते हैं वहीं वित्तीय वर्ष के मध्य में संशोधित बजट को भी कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है। बीआरएलएफ के वित्त विभाग में चार पूर्णकालिक सदस्य और एक वित्तीय सलाहकार शामिल हैं, जिनकी देखरेख वित्त एवं ऑडिट समिति करती है।

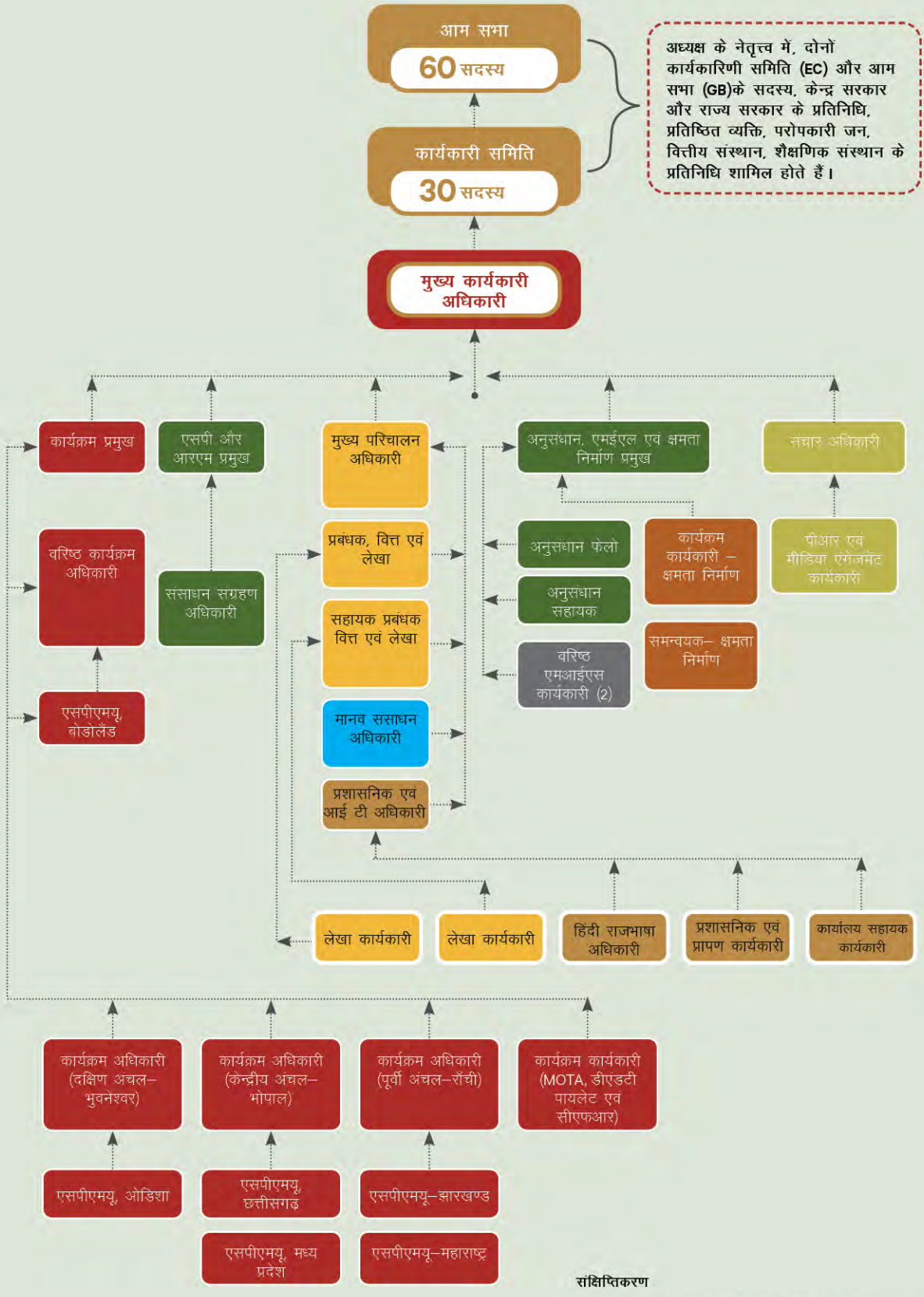
अनुदान प्रबंधन के लिए एमआईएस और मानव संसाधन एवं प्रशासन के लिए ऑनलाइन ऐप:

वित्तीय अनुदान प्रबंधन एमआईएस (MIS) पोर्टल पर किया जाता है, जिसमें बजट, संशोधित बजट, सीएसओ से वित्तीय रिपोर्टिंग, फंड अनुरोध और अनुदान की शर्तों के अनुसार फंड जारी करना शामिल है। सभी प्रक्रियाएँ सीईओ के परियोजना प्रभारी और वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित होती हैं। तिमाही वित्तीय रिपोर्ट में सहायक दस्तावेज जैसे ट्रायल बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट और ऑडिटेड रिपोर्ट जोड़ी जा सकती हैं। यदि जरूरत हो, तो प्रत्येक परियोजना के वित्तीय डैशबोर्ड से एमआईएस रिपोर्ट निकाली जा सकती है।

ऑडिट

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) का ऑडिट: सीएजी ने बीआरएलएफ का दो बार ऑडिट किया है। पहला ऑडिट वर्ष 2017 में वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16, और 2016–17 के लिए किया गया था, और दूसरा ऑडिट 2018 में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए किया गया। दोनों ऑडिट में कोई बड़ी जोखिम की बात सामने नहीं आई। केवल कुछ प्रक्रियात्मक सुधारों की सिफारिश की गई थी। बीआरएलएफ ने वित्तीय वर्ष 2022–23 तक के सभी वर्षों के लिए अपने ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण जमा किए हैं।

संगठनात्मक संरचना



संक्षिप्तिकरण

एसपी और आरएम– रणनीतिक भागीदारियाँ और संसाधन संग्रहण,
एसपीएमयू – राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई

वित्त और लेखा

वित्त वर्ष 2023–24 के लेखा परीक्षित (ऑडिट किए) खाते

वित्त वर्ष 2023–24 में बीआरएलएफ की कुल आय 35.33 करोड़ रुपए थी, इसमें 19.18 करोड़ रुपए ब्याज और अन्य आय से तथा 16.15 करोड़ रुपए दानदाताओं के अनुदानों से प्राप्त हुए। इस वर्ष कुल व्यय 33.76 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था। मुख्य व्यय, कार्यक्रम व्यय के तहत था, जिसमें सीएसओ भागीदारों को अनुदान और प्रत्यक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन शामिल था, जो कुल व्यय का लगभग चार–पाँचवां हिस्सा है। वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय से अधिक आय 1.57 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2023–24 से, टाटा ट्रस्ट्स एंडोमेंट फंड्स की आय को अब पूँजी की बजाय आय और व्यय खाते में दिखाया गया है, ताकि अधिक स्पष्टता प्रस्तुत हो।

वित्त वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान

इस वर्ष प्रतिबद्ध ब्याज आय और अनुदान सहित कुल आय 35.65 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि प्रतिबद्ध व्यय अनुमान 38.34 करोड़ रुपये है, जिसके परिणामस्वरूप 7.49 करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है, हालांकि इस घाटे को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए नए स्रोतों से 11.75 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि की उम्मीद है। शेष घाटा इन नए स्रोतों से उत्पन्न राशि और पिछले वर्षों की उपलब्ध अधिशेष राशि से पूरा किया जाएगा।

ऑडिट

वैधानिक ऑडिट: वैधानिक लेखा परीक्षक को कार्यकारी समिति (ईसी) की अनुशंसा पर आम सभा (जीबी) द्वारा वार्षिक रूप से नियुक्त किया जाता है। स्टैच्यूटरी ऑडिट, जो वार्षिक रूप से किया जाता है, की समीक्षा वित्त और ऑडिट समिति (एफएसी) द्वारा किया जाता है और इसे ईसी और जीबी द्वारा नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, वैधानिक लेखा परीक्षक हैं और वे सीएजी के साथ पंजीकृत हैं।

आंतरिक / अनुदेयी ऑडिट

एक वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक का चयन किया जाता है और ऑडिट वार्षिक रूप से या प्रत्येक 6 महीने पर किया जाता है। बीआरएलएफ के अनुदेयी भागीदारों का ऑडिट उनके द्वारा अनुदान के लिए ऑडिट किए हुए प्रमाण पत्र जमा करने पर किया जाता है। आंतरिक और अनुदेयी ऑडिटर के रूप में लूथरा एंड लूथरा मार्च 2024 तक कार्यरत रहे, जबकि दो अन्य अनुदेयी ऑडिटर, बंसल एंड कंपनी और संगल एंड एसोसिएट्स ने अपना कार्य जारी रखा। अनुदेयी ऑडिट में न केवल परियोजना अनुदान, बल्कि अनुपालन, बैंकिंग, संचालन, नियंत्रण और जोखिम की भी समीक्षा की जाती है। सीएसओ को ऑडिट निष्कर्ष साझा किए जाते हैं और अगले ऑडिट चक्र में की गई कार्रवाई पर नजर रखी जाती है। लूथरा एंड लूथरा सीओ एलएलपी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बीआरएलएफ का आंतरिक ऑडिट पूरा किया, जिसमें कोई मुख्य जोखिम नहीं था और कुछ प्रक्रियात्मक सुधार सुझाए गए।

वैधानिक अनुपालन

- वित्त वर्ष 2021–22 तक बीआरएलएफ के आयकर मूल्यांकन पूरे हो चुके हैं और कोई भी लंबित कार्रवाई नहीं है।
- भूमि कानूनों के अनुपालन में आवश्यक वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सभी वार्षिक वैधानिक फाइलिंग पूरी हो गई है। सभी नियमित नियामक फाइलिंग भी अद्यतित हैं। आज की तारीख तक कोई प्रतिकूल / दंडात्मक कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
- वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की कटौती न करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 197 के तहत छूट प्रमाणपत्र आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया है।
- एफसीआरए पंजीकरण का नवीनीकरण हो गया है और अब यह 31 मार्च 2029 तक वैध है।

बीआरएलएफ की वित्त एवं ऑडिट समिति (एफएसी) की बैठकें

बीआरएलएफ की एफएसी ने वित्त, बजट, ऑडिट और अनुपालन की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान 21 अगस्त 2023, 21 नवंबर 2023 और 22 मार्च 2024 को तीन बैठकें आयोजित की गईं। एफएसी से ऑडिट किए गए खातों, बजट, संशोधित अनुमानों, कोष निधि आदि के संबंध में सलाह ली जाती है और दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.
Chartered Accountants
New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai.
Patna and Chandigarh

221-223, Deen Dayal Marg, New Delhi-110002
Phones : 91-11-23236958-60, 23237772
Fax : 91-11-23230831
E-mail : tvandeca@gmail.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO,
THE MEMBERS OF
BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF),

REPORT ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2024

1. Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of **BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF or "the Society")** which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2024, the statement of Income and Expenditure and Receipt and Payment Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information which we have signed under reference to this report.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements, read with other notes given thereto, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at 31st March 2024;

b) In the case of Statement of Income and Expenditure, of the surplus for the year ended on 31st March 2024;

c) In the case of Receipt and Payment account, of cash flows for the year ended on 31st March 2024.

2. Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Accounting (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountant of India. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Society in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountant of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

3. Responsibility of Management for the Financial Statements

The Management of BRLF is responsible for the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position and expenditure of the Society in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including Accounting Standards, to the extent applicable, prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Society and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the Financial Statements, management of BRLF is responsible for assessing the ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Management is responsible for overseeing the Society's financial reporting process.

4. Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Society's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Society to cease to continue as a going concern.
- evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

5. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Society so far as it appears from our examination of those books;

c) The Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure and Receipts & Payment Account for the year ended 31st March 2024, dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards, to the extent applicable, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000038N

(Anil Kumar Aggarwal)
Partner
M. No. 087424
UDIN: 24087424BKGTMO7794

Place: New Delhi
Date: August 22, 2024

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	Schedule No	As at 31st March, 2024	As at 31st March, 2023
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus Fund	A	2,000,000,000	2,000,000,000
Endowment Fund	B	217,887,438	215,792,906
Grant Unspent Balance	C	34,292,320	43,577,901
Fixed Assets Fund	D	2,028,951	494,725
Reserve And Surplus	E	186,236,759	170,507,101
Current Liabilities And Provisions	F	12,357,876	9,355,676
Total		**2,452,803,344**	**2,439,728,308**
ASSETS			
Fixed Assets out of Corpus/Endowment Fund	G-I	4,148,712	3,659,696
Fixed Assets-Out of Grants	G-II	2,028,951	494,725
Investments of Corpus Fund	H	2,090,560,000	2,090,560,000
Investment of Endowment Fund	I	216,183,835	213,872,835
Other Non Current Assets	J	575,250	660,650
Current Assets:			
Grant Receivable	C	4,903,074	305,055
Cash And Bank Balance	K	58,097,683	66,715,033
Other Current Assets	L	76,305,839	63,460,314
TOTAL		**2,452,803,344**	**2,439,728,308**
Significant Accounting Policies	Q		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	R		

As per our report of even dated attached

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN : 000038N

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
BRLF
C-32, IInd Floor
Neeti Bagh
New Delhi
110049

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Anil Kumar Aggarwal
Partner
M. No. 087424
Place: New Delhi
Date: 22/08/2024

Girish Yashwant Prabhune
President

Kuldip Singh
Chief Executive Officer

Suman Gupta
Chief Operating Officer (Finance)

T.V.A. & CO. New Delhi Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	Schedule No	Current Year 2023-24	Previous Year 2022-23
(A) INCOME			
Grant Income to the extent utilised	C	161,477,394	92,724,080
Other Income	M	191,895,589	194,364,919
TOTAL(A)		**353,372,983**	**287,088,999**
(B) EXPENDITURE			
Grant Expenditure to the Extent Utilised			
Program Expenses incurred through CSOs	} C	117,187,585	66,970,331
Program Expenses incurred by BRLF		34,065,739	19,940,446
Establishment Expenses		7,443,576	2,319,247
Other Administration expenses		886,660	3,126,900
Fixed Asset Procured		1,893,834	367,156
		161,477,394	**92,724,080**
Expenditure-Ford Endownment	N	8,551,774	3,104,863
Expenditure-Tata Trust Endowment Fund	P	8,468,401	7,764,870
Expenditure from MoRD	O	157,284,613	206,591,005
Depreciation	G-I	1,861,144	1,487,402
TOTAL(B)		**337,643,326**	**311,672,220**
SURPLUS /(DEFICIT) DURING THE YEAR(A-B)		**15,729,657**	**(24,583,221)**
Significant Accounting Policies	Q		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	R		

As per our report of even dated attached

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
BRLF
C-32, IInd Floor
Neeti Bagh
New Delhi
110049

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN : 000038N

Anil Kumar Aggarwal
Partner
M. No. 087424
Place: New Delhi
Date: 22/08/2024

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Girish Yashwant Prabhune
President

Kuldip Singh
Chief Executive Officer

Suman Gupta
Chief Opearating Officer (Finance)

T.V.A. & CO. New Delhi Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2024

(Amount in Rs.)

Receipts	Current Year 2023-24	Previous Year 2022-23	Payments	Current Year 2023-24	Previous Year 2022-23
			Payments during the year:		
Opening Balance as on 1.4.2023					
Bank Balances in Saving Accounts	66,715,033	59,087,333	**Grants Refunded (a)**		
Fixed Deposits with Banks	2,304,432,835	2322177835	-MoTA Research & Screening	247,284	-
	2,371,147,868	**2,381,265,168**		**247,284**	
Receipts during the year:			**Expenditure/ Payments (b)**		
Grants from Local Sources(a):			Disbursement To Project Partners (net)	230,971,388	217,910,908
Axis Bank Foundation - Phase 1	-	16,658,272	Payments For Program Expense	57,368,816	45,258,401
Axis Bank Foundation - Phase 2	70,850,654	36,008,289			
Axis Bank Foundation - Maharashtra	34,800,000	-	Establishment Expense	9,276,532	10,388,985
Sir Foundation	10,998,937	7,497,156	Other Administrative Expense	11,414,582	7,533,260
VA TECH Wabag	-	589	Ford Endowment Fund Expenses	8,535,305	3,104,863
MOTA	-	-	Tata Trust Endowment Fund Expenses	8,468,401	7,764,810
UBL	12,192,903	7,047,218			
UAIL-Watershed	3,409,443	-		**326,735,122**	**291,961,088**
Shaban Adivasi Vitta Va Vikas Mahanabdak Nanded	3,607,843	4,030,000			
Tribal Welfare Department (Telangana)	2,000,000	-	**Fixed Assets Purchased out of(c)**		
Thoughtworks Technologies (India) Pvt.	2,500,000	-	-Capital Advance out of MoRD	575,250	(165,200)
Grant for NCNP Project MP from Ashish Ramesh Kachola	5,000,000	-	- Fixed assets out of MoRD	2,350,141	1,488,557
	145,527,480	**71,151,525**	- Fixed assets out of Ford Grant	45,310	107,156
Grants in Foreign Sources(b):			- Fixed assets out of HUF Grant	503,476	-
Ford Foundation (IH-Project)	-	5,913,903	- Fixed assets out of ABF Grant	1,210,639	-
FORD Foundation (CG Watershed Project)	-	12,344,523	- Fixed assets out of UAIL Grant	114,409	-
European Union	-	8712477		**4,819,245**	**1,688,513**
			Other Payments (d)		
	-	**26,970,902**	TDS deducted & Deposited	8,326,966	7,968,801
Interest income (c)			Employees Provident fund	4,561,747	4,817,861
Interest received on Fixed Deposit with Banks	126,219,484	117,628,605	Bank Charges	3,422	14,968
Interest accrued on Fixed Deposits received in current year	45,561,705	45,662,547	Security Deposits	109,000	26,000
Interest received on Saving Bank Account	9,094,563	4,682,596	TDS receivables 2023-24	241,688	149,078
Interest received on Tata Fund-Saving	328,309	241,748		**14,240,821**	**12,975,908**
Interest received on Tata Fund-FD	9,811,585	7,970,143			
Income Tax Refund	-	1,071,047	**Total Payments during the year(a to d):**	**346,042,472**	**306,623,109**
Interest on Income Tax Refund	-	59,133			
	193,967,642	**197,315,879**			
			Closing Balance as on 31.3.2024		
Other Receipts (d)			Bank Balances in Saving Accounts	58,007,683	66,715,033
Miscellaneous Receipts	-	506	Fixed Deposits with Banks	2,306,743,835	2,304,432,835
Donation for Stipend MA-RM	410,000	-		**2,364,841,518**	**2,371,147,868**
Sponsorship fees for Webinar	31,000	-			
Receipt from LIC for Gratuity unpaid	-	1,086,998			
	441,000	**1,087,504**			
Total Receipts during the year(a+b+c+d):	**339,736,122**	**296,505,809**			
TOTAL	**2,710,883,990**	**2,677,770,977**	TOTAL	**2,710,883,990**	**2,677,770,977**

As per our report of even dated attached

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN : 000038N

Anil Kumar Aggarwal
Partner
M. No. 087424
Place: New Delhi
Date: 22/06/2024

Girish Yashwant Prabhune
President

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Kuldip Singh
Chief Executive Officer

Suman Gupta
Chief Operating Officer (Finance)

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, 2nd Floor Neeli Bagh New Delhi 110049

T.V.A. & CO. Chartered Accountants New Delhi

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

SCHEDULE A - Corpus Fund

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		As at 31st March 2024		As at 31st March 2023
Grant from Ministry of Rural Development, Government of India				
Opening Balance		2,000,000,000		2,000,000,000
Add: Received During the year		-		-
Closing Balance		**2,000,000,000**		**2,000,000,000**

SCHEDULE B - Endowment Fund

(i) Ford Foundation Endowment fund (FCRA Funds)				
Opening Balance		104,533,648		103,625,122
Add: Transfer from saving bank interest (Schedule M)	68,908		43,304	
Add: Transfer from Interest earned on fixed deposits (Schedule M)	839,555	908,463	865,222	908,526
Closing balance of Ford Foundation Endowment Fund (Refer Schedule Q Notes To Accounts, para no 1(c))		105,438,112		104,533,648
(ii) Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships				
Opening Balance as on 01-04-2023		111,259,256		109,879,850
Add: Transfer from saving bank interest (Schedule M)	45,246		141,748	
Add: Transfer from interest earned on fixed deposits (Schedule M)	1,140,823	1,190,069	1,137,658	1,279,406
Closing Balance of Tata Trust Endowment Fund		112,449,325		111,259,256
Grand Total (i+ii)		**217,887,438**		**215,792,905**

Note: 15% of the annual interest income received on the Endowment Fund or the unused portion of the income after meeting expenditure towards the objective of the grant, whichever is greater, shall be added to the Endowment Fund and be reinvested in the same manner as the Endowment Fund is invested. During the financial year, Rs.76,05,486/- is interest income on FD's & Rs.3,28,307 is interest on saving, totalling Rs.79,33,793/. Total expenditure incurred toward the fund was Rs.84,68,401/- which is more than the interest income. Therefore, An amount of Rs.11,90,069/-(Previous Year Rs.13,79,406) has to be deposited in EDR.

T.V.A. & CO. Chartered Accountants

BRLF C-32, 2nd Floor Neeli Bagh New Delhi 110049

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

SCHEDULE D -Fixed Assets Fund

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		As at 31st March 2024		As at 31st March 2023
United Nations Development Programme				
Opening Balance	180,384		204,404	
Addition during the year	-		-	
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased	20,779	159,605	24,020	180,384
European Union				
Opening Balance	34,352		57,254	
Addition during the year	-		-	
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased	13,741	20,611	22,902	34,352
Ford Foundation JH				
Opening Balance	279,988		-	
Addition during the year	45,310		367,156	
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased	67,765	257,533	87,168	279,988
Hindustan Unilever Foundation JH				
Opening Balance	-		-	
Addition during the year	503,476		-	
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased	37,761	465,715	-	-
Axis Bank Foundation MH				
Opening Balance	-		-	
Addition during the year	1,230,639		-	
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased	198,989	1,031,650	-	-
UAIL OD				
Opening Balance	-		-	
Addition during the year	114,409		-	
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased	20,572	93,837	-	-
Total		**2,028,951**		**494,724**

SCHEDULE E - Reserve And Surplus

Surplus				
Opening Balance		170,507,101		200,385,362
Less: Receivable Adjustment due to non recovarable from Donor (Refer Note No. 1 (d)(i) of Schedule - Q)		-		(5,295,039)
Net Balance		170,507,101		195,090,323
Add: Surplus/(Deficit) transfered from Statement of Income over Expenditure for the year		15,729,658		(24,583,222)
Closing Balance		**186,236,759**		**170,507,101**

SCHEDULE F - Current Liabilities And Provisions

Amount Payable to Project Partners		1,041,406		2,851,662
TDS Payable		1,207,138		1,032,457
Sundry Creditors		3,162,104		567,652
PF Payable		453,159		295,386
PT Payable		1,554		-
Expenses Payable		345,897		44,440
Advances		35,711		-
Provision for Employee Benefits				
- Encashment of Leave	2,738,810		1,322,883	
- Gratuity	3,392,097	6,130,907	3,241,196	4,564,079
Total		**12,357,876**		**9,355,676**

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, 2nd Floor Neeli Bagh New Delhi 110049

T.V.A. & CO. Chartered Accountants New Delhi

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

Schedule G-I Fixed Assets out of Corpus/Endowment Fund

Fixed Assets-MoRD Schedule G-I (a)

(Amount in Rs)

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2023	Additions		Deductions	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2024
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	1,809,978	919,165	61,180	-	2,790,323	1,659,595	1,130,728
Office Equipment	15%	493,157	180,770	16,190	-	690,116	98,674	591,442
Furniture & Fixtures	10%	185,028	13,845	82,280	-	281,153	28,115	253,038
Sub Total		2,487,163	1,113,780	159,650	-	3,760,593	1,786,384	1,974,208
INTANGIBLE								
Computer Software	16.21%	812,215	1,254,699	-	-	2,067,914	335,196	1,732,718
Sub Total		812,215	1,254,699	-	-	2,067,914	335,196	1,732,718
Total		3,299,378	2,368,479	159,650	-	5,827,507	2,121,580	3,705,926
Previous Year		2,498,747	964,714	835,917	-	4,299,378	1,480,914	2,817,463

FIXED ASSETS-TATA Trust Endowment Fund Schedule G-I (b)

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2023	Additions		Deductions	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2024
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	4,810	-	-	-	4,810	1,924	2,886
Office Equipment	15%	18,920	-	-	-	18,920	2,838	16,082
Furniture & Fixtures	10%	31,840	-	-	-	31,840	3,184	28,656
Total		55,570	-	-	-	55,570	7,946	47,624
Previous Year		-	-	-	-	-	-	-

FIXED ASSETS-CPRS - Schedule G-I (c)

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2023	Additions		Deductions	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2024
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	10,917	-	-	-	10,917	4,367	6,550
Total		10,917	-	-	-	10,917	4,367	6,550
Previous Year		19,866	-	-	2,517	17,349	4,433	12,917
GRAND TOTAL		5,403,490	3,623,178	992,090	-	9,998,758	1,961,149	8,037,609
PREVIOUS YEAR		5,403,490	964,714	992,090	11,087	7,397,385	1,497,461	5,899,924

Schedule G-II Fixed Assets- Out of Grant
UNDP Grant-Schedule G-II (a)

(Amount in Rs)

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2023	Additions		Deductions	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2024
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	1,910	-	-	-	1,910	764	1,146
Office Equipment	15%	68,116	-	-	-	68,116	8,047	51,069
Furniture & Fixtures	10%	237,441	-	-	-	237,441	23,744	213,697
Total		307,467	-	-	-	307,467	32,555	265,912
Previous Year		298,498	-	-	-	298,498	29,775	268,723

FIXED ASSETS-European Union Grant-Schedule G-II(b)

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2023	Additions		Deductions	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2024
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	34,352	-	-	-	34,352	13,741	20,611
Office Equipment	15%	-	-	-	-	-	-	-
Furniture & Fixtures	10%	-	-	-	-	-	-	-
Total		34,352	-	-	-	34,352	13,741	20,611
Previous Year		57,254	-	-	-	57,254	22,902	34,352

FIXED ASSETS-Ford Foundation JH Grant-Schedule G-II(c)

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2023	Additions		Deductions	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2024
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	151,796	-	-	-	151,796	41,119	110,677
Office Equipment	15%	87,187	13,845	-	-	101,032	13,198	87,834
Furniture & Fixtures	10%	40,005	31,310	-	-	71,315	7,132	64,184
Total		278,988	45,155	-	-	324,143	61,449	262,694
Previous Year		-	185,283	93,705	-	278,988	10,294	268,694

FIXED ASSETS-HUF JH Grant-Schedule G-II(d)

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2023	Additions		Deductions	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2024
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
TANGIBLE								
Office Equipment	15%	-	-	503,476	-	503,476	37,761	465,715
Furniture & Fixtures	10%	-	-	-	-	-	-	-
Total OD		-	-	503,476	-	503,476	37,761	465,715
Previous Year		-	-	-	-	-	-	-

FIXED ASSETS-ABF MH Grant-Schedule G-II(e)

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2023	Additions		Deductions	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2024
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	-	881,817	348,822	-	1,230,639	178,989	719,643
Office Equipment	15%	-	348,822	-	-	348,822	19,999	328,823
Furniture & Fixtures	10%	-	182,011	-	-	182,011	1,821	180,190
Total OD		-	1,212,650	-	-	1,230,639	180,989	1,049,651
Previous Year		-	-	-	-	-	-	-

FIXED ASSETS-UAIL Odisha Grant-Schedule G-II(f)

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2023	Additions		Deductions	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2024
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	-	69,064	-	-	69,064	18,810	50,254
Furniture & Fixtures	10%	-	45,345	-	-	45,345	113	45,232
Total OD		-	114,409	-	-	114,409	18,923	95,486
Previous Year		-	-	-	-	-	-	-
GRAND TOTAL (Current Year)		296,154	45,155	1,004,126	-	1,345,435	329,486	1,016,949
PREVIOUS YEAR		356,498	185,283	96,111	-	637,892	294,486	343,406

T.V.A. & CO. Chartered Accountants New Delhi

BRLF C-32, 2nd Floor Neeli Bagh New Delhi 110049

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

SCHEDULE H - Investments of Corpus Fund

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		As at 31st March 2024		As at 31st March 2023
Investments in FDR with Deutsche Bank				
Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India		2,000,000,000		2,000,000,000
Investments in FDR with Yes Bank				
Invested out of interest on above		70,560,000		90,560,000
Investments in FDR with RBL Bank				
Invested out of interest on above		20,000,000		
Total		**2,090,560,000**		**2,090,560,000**

SCHEDULE I - Investments of Endowment Fund

Investments in FDR with Deutsche Bank		-		100,000,000
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		-		1,760,000
invested out of interest on above				
Investments in FDR with Yes Bank		100,000,000		-
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		9,299,000		6,487,000
invested out of interest on above				
Investments in FDR with RBL Bank		2,350,000		-
Invested out of interest on TATA Trust Endowment Fund				
Investments in FDR with Deutsche Bank		100,000,000		100,000,000
Ford Foundation Endowment fund for Institutional Development and Partnerships				
Investments in FDR with Yes Bank (FCRA Funds)		4,534,835		3,625,835
Invested out of interest on Ford Foundation Endowment Fund				
Total		**216,183,835**		**213,872,835**

SCHEDULE J - Other Non Current Assets

Opening Capital Advances (Work in Progress) - MIS		660,650		825,850
Less: Tfd to Fixed Assets		(660,650)		(165,200.00)
Add: Capital Work in progress during the year		575,250		-
Total		**575,250**		**660,650**

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

SCHEDULE K - Cash And Bank Balances

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		As at 31st March 2024		As at 31st March 2023
Cash in Hand		-		-
Bank Balances in Savings Accounts				
With YES Bank Chanakyapuri, New Delhi Branch:				
Account No. 000193900000039 (FCRA FORD Foundation)	9,800,767		9,557,312	
Account No. 000394600001690 (FCRA European Union)	3,260,976		2,149,649	
Account No. 000193900000304 (FCRA HUF)	33,056,303		33,768,624	
Account No. 000394600000384	2,740,188		7,788,724	
Account No. 000394600000391	1,400,854		23,954	
Account No. 000394600001349	2,834,993		60,932	
Account No. 000394600000443	4,272,365	34,326,446	5,216,731	58,515,439
	-	6,660,424		-
With SBI, South Extn Branch Account No.40637029564		-		3,794,265
		5,576,263		-
With RBL Bank, New Delhi Branch Account No 409003418385				3,982,162
With State Bank of India, New Delhi Account No.40031893294 (Designated FCRA Account)		164,594		160,214
With Axis Bank, New Delhi Branch Account No. 919010085900185		149,321		-
With Axis Bank, New Delhi Branch Account No. 923010039137488		11,220,639		262,957
Total		**58,097,683**		**66,715,033**

SCHEDULE L - Other Current Assets

Grant to Project Partners- Unutilized Balance		21,319,023		12,915,812
Interest Accrued on Fixed Deposits (INR)				
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, GOI	42,842,668		42,645,814	
- Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	1,795,378		793,901	
Interest Accrued on Fixed Deposits (FC)	**44,638,045**		**43,439,715**	
- Ford Foundation Endowment fund	2,104,310		2,169,146	
	2,104,310	46,742,356	**2,169,146**	45,608,861
Advance Recoverable		68,509		110,039
Advances to Employees-Salary		265,955		170,000
Prepaid Expenses		296,452		238,715
Advance to Supplier		1,502		-
LIC Group Gratuity Scheme Fund Balance (Refer Schedule Q Note k-ii)		1,540,099		3,187,034
LIC Group Leave Scheme Fund Balance (Refer Schedule Q Note k-ii)		2,315,349		810,048
Security Deposit (Rent)		325,000		226,000
Tax Deducted at Source (2022-23)		146,076		148,078
Tax Deducted at Source (2017-18)		37,808		37,809
Tax Deducted at Source (2023-24)		243,088		-
Total		**76,305,839**		**63,460,315**

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

SCHEDULE M - Other Income

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		Current Year 2023-24		Previous Year 2022-23
Saving Bank Interest	5,384,868		4,924,344	
Less:				
- Allocated to FCRA Grant Fund	1,660,776		1,954,732	
- Allocated to Local Grant Fund	852,822		687,284	
- 10% reinvested to Ford Foundation Endowment Fund	64,908		43,304	
- 15% Transfer to Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	49,246	2,757,116	241,788	1,997,276
Interest Earned on Fixed Deposits with Banks				
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India	172,788,429		173,732,819	
- Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	8,747,744		8,902,528	
- Ford Foundation Endowment Fund	8,335,285		8,712,190	
- Axis Bank Foundation:	86,300		-	
Total	**189,957,758**		**191,347,537**	
Less: 10% reinvested to Ford Endowment Fund	839,555		865,222	
Less: 15% Transfer to Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	1,140,823	187,977,379	1,117,658	189,544,657
Interest earned by the Grant Partners- CSOs		720,090		733,715
Exchange Gain on Ford Foundation Grant:		-		1,162,634
Gratuity Provision no longer required Reversed (Refer Note No. I of Schedule-P)		-		1,086,998
Donation for Stipend MA-RM		410,000		-
Interest on Income Tax Refund		-		99,133
Income from Workshops		91,000		-
Miscellaneous Income		3		506
Total		**191,895,589**		**194,364,919**

SCHEDULE N - Expenses Incurred from FORD Endowment

Program Expenses				
Staff Salaries	6,083,396		1,963,591	
Employer Contribution to Provident Fund	727,608		547,276	
Earned Leave expenses	45,029	6,836,033	137,687	2,668,554
Other Administration Cost				
Human Resource cost	1,689,969		412,809	
Earned Leave expenses	17,624		-	
Office Maintenance Expenses	-		3,311	
IT and Online Subscription Exp	28,103		-	
Consultancy Service	-		11,800	
Bank charges	45	1,715,741	8,389	436,309
Total		**8,551,774**		**3,104,863**

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

SCHEDULE O - Expenses from MORD

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		Current Year 2023-24		Previous Year 2022-23
MoRD Program Cost				
Grant support to CSOs				
DTP-2	1,144,961		5,866,881	
West Bengal Mega Watershed Project	14,069,031		49,714,853	
Odisha APC Project Ph-I	48,298,091		59,714,271	
Odisha APC Project Ph-II	14,082,319		-	
Odisha LAMET Project (LALL)	298,354		223,975	
Madhya Pradesh MDM Project (Part of Rs.63 lakhs rel. to committed grant received from Tata Relief Trust for Livelihood)	4,764,686		-	
Chhattisgarh Mega Watershed Project Ph-I			1,996,632	
Chhattisgarh Mega Watershed Project Ph-II	1,201,359		9,071,675	
Jharkhand Mega Watershed Project	2,587,119		-	
Maharashtra Mega Watershed Project	1,977,947		12,777,871	
MH (TDD+EEB) Livelihood Project	1,101,198	89,844,353	1,085,899	155,141,557
Telangana CPR Project				
Capacity Building Expenses	1,455,886		1,005,341	
Capacity Building Support through CSOs	11,818,408		4,665,258	
Implementation exp for MH Project for Odisha	1,985,358		-	
Implementation exp for Odisha LAMET Project (LALL)			295,973	
Implementation exp for NCMP Project for MP	2,214,890		-	
Implementation exp for Meghawatershed Project for CG Ph-1			644,729	
Implementation exp for Meghawatershed Project for CG Ph-2	197,179		-	
Implementation exp for Meghawatershed Project for JH	1,213,330		198,791	
Implementation exp for Livelihood Project for MH (TDD+EEB)	801,748		891,959	
Implementation exp for CPR Project for Telangana	552,588		407,559	
Implementation exp for Meghawatershed Project for MH	38,577		-	
Event, Meetings and Workshop Expenses	815,578		3,457,735	
Travel Expenses	1,387,851		4,606,344	
Consultancy & Evaluation Fees	-		1,028,468	
Information, Education and Communication Material			523,275	
DNT Project Expenses	806,091		487,386	
DNT support through CSO	2,638,669		-	
Odisha R&D software & database Expenditure	780,646		1,639,411	
Research Expenses	586,139		1,097,802	
Resource Mobilization expenses	201,186		326,538	
Communication, PR, Media & Social Media Management etc	2,678,633		2,178,642	
Restated Project Expenses	3,085,657	35,906,467	337,018	27,441,935
MoRD Establishment Cost				
Staff Salaries	12,147,915		17,366,076	
Employer Contribution to Provident Fund	1,457,750		1,865,174	
Earned Leave expenses (refer note no. I of Schedule -P)	1,347,173		1,071,431	
Gratuity Expenses (refer note no. I of Schedule -P)	835,409		184,816	
Recruitment expenses	4,061,751		1,489,993	
HR Admin Charges	173,172		110,916	
Staff welfare expenses	159,081		166,430	
Relocation expenses	127,414		62,196	
Medical & Accidental Insurance Expenses	208,144		173,701	
Consultancy Fee for HR Skills			118,000	
Consultancy Fee for TF calculation	81,540	11,604,509	42,480	12,933,591
MoRD Other Administration Cost				
Office Rent	1,987,600		1,991,368	
Meetings/Events	1,417,714		-	
Tax/Payment/Corporate	55,353		-	
Audit Fees	230,923		191,750	
Communication Expenses	755,080		836,881	
Stationary expenses	464,608		259,212	
Water & Electricity Expenses	502,681		380,706	
Office Maintenance Expenses	641,266		541,453	
Equipment Maintenance Expenses	119,594		109,481	
Postage & courier	41,095		39,269	
Miscellaneous Expenses	18,771		77,339	
Books, Periodicals & Publications	788		16,795	
Hindi Language Promotion	86,701		59,000	
Consultancy/Interested/Professional fee	2,060,170		280,187	
Insurance of fixed assets	19,934	9,940,084	20,422	4,783,021
Total		157,294,613		206,591,095

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

SCHEDULE P - Expenses from Tata Trust Endowment Fund

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		Current Year 2023-24		Previous Year 2022-23
Tata Trust Establishment Cost				
Staff Salaries		8,323,197		6,915,270
Earned Leave Expenses		145,204		-
Social media & PR post		-		849,600
Total		8,468,401		7,764,870




Bharat Rural Livelihoods Foundation
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULE C- Earmarked Grants/Donations Receipts, Utilized during the year and balances as on 31st March, 2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	App-I	Un-Spent Balances/ (Receivables) as on 01.04.2023	Adjustment of Grant balance (Refer note no.3A of Schecule M)	RECEIPT/TRF. DURING THE YEAR			EXPENDITURE DURING THE YEAR					Overhead Recovery/ Gain/ Loss on currency conversion	Un-Spent Balances/ (Receivables) as on 31.03.2024
				Grant Receipt during the year	Interest Received/ Accrued	Amount Available for Utilisation	Program	Establishment	Admin	Non-Recurring	Total		
		1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7	8	9	10= 6 to 8	11	12=5-10-11
(A) FOREIGN EARMARKED FUNDS/ DONATIONS:-													
Hindustan Unilever Foundation	1	33,331,734			1,660,776	34,992,510	24,592,216		850,994	503,476	25,946,686		9,045,824
Ford Foundation-Odisha & JH Project	2	1,013,075	-	-		1,013,075	967,765		-	45,310	1,013,075	-	-
Total		34,344,809	-	-	1,660,776	36,005,585	25,559,981	-	850,994	548,786	26,959,761	-	9,045,824
Previous Figure (2022-23)		23,492,328	5,295,039	26,970,901	1,954,732	57,713,000	18,749,497	-	3,088,904	367,156	22,205,557	1,162,634	34,344,809
Grant Unspent Balance		37,499,844											
Grant Receivable		(14,007,516)											




Bharat Rural Livelihoods Foundation
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Earmarked Grants/Donations Receipts, Utilized during the year and balances as on 31st March, 2024

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	App-I	Un-Spent Balances/ (Receivables) as on 01.04.2023	RECEIPT/TRF. DURING THE YEAR form Donor			EXPENDITURE DURING THE YEAR From Respective Grant						Un-Spent Balances/ (Receivables) as on 31.03.2024
						Programme Cost		Establishment Cost Incurred by BRLF	Admin Cost Incurred by BRLF	Non-Recurring	Total	
			Grant Receipt/ (Refund)	Interest Earned by BRLF	Amount Available for Utilisation	Programme Cost Incurred by CSO Partner	Programme Cost Incurred by BRLF					
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9	11=4-10
(B) Local Grants												
UAIL-UANAT	3	68,449	12,192,903	216,575	12,475,927	10,424,629					10,424,629	2,051,298
UAIL-Watershed	4	-	3,409,443	60,532	3,469,975		784,012			114,409	898,421	2,571,554
Thought Works	5	-	2,500,000	48,441	2,548,441	935,955	-	-			935,955	1,612,486
SBI Foundation- Watershed (JH) Project	6	1,419,045	10,966,637	137,599	12,523,281	7,461,437	301,919	484,798	23,866		8,272,020	4,251,261
MH TDD +SDI Project (Shabari)	7	(305,055)	3,607,843	-	3,302,788	4,347,187	-	1,196,304	-		5,545,491	(2,242,703)
Axix Bank Foundation - Phase-II (CG)	8	7,500,314	70,850,654	235,710	78,586,678	75,075,124	2,750,816	569,700			78,395,640	191,038
Axix Bank Foundation - MH	9	-	34,800,000	153,965	34,953,965	13,727,805	3,997,180	3,066,638		1,230,639	22,022,262	12,931,703
Ashish Ramesh Kacholia - NCNF Project		-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-			5,000,000	-
CTWD, Telangana	10	-	2,000,000	-	2,000,000	215,448	167,396				382,844	1,617,156
Sub Total (I)		**8,680,753**	**145,327,480**	**852,822**	**154,861,055**	**117,187,585**	**7,981,323**	**5,319,440**	**23,866**	**1,345,048**	**131,857,282**	**23,003,793**
Government Grants		-									-	-
MOTA-Research and Screening	-	247,284	(247,284)	-	-						-	-
MoTA- Screening of Proposals	11	-	-	-	-		524,435	2,124,136	11,800		2,660,371	(2,660,371)
Sub Total (II)		**247,284**	**(247,284)**	**-**	**-**	**-**	**524,435**	**2,124,136**	**11,800**	**-**	**2,660,371**	**(2,660,371)**
Total (B)		**8,928,037**	**145,080,196**	**852,822**	**154,861,055**	**117,187,585**	**8,505,758**	**7,443,576**	**35,666**	**1,345,048**	**134,517,653**	**20,343,422**
Grant Unspent Balance		**9,233,092**										**25,246,496**
Grant Receivable		**(305,055)**										**(4,903,074)**
Previous Year (B) (2022-23)		**7,607,751**	**71,151,525**	**687,284**	**79,446,560**	**66,970,331**	**1,190,149**	**2,319,247**	**37,996**	**-**	**70,518,523**	**8,928,037**
Grant Unspent Balance		**9552172**										**9,233,092**
Grant Receivable		**(1,944,421)**										**(305,055)**
Grand Total (A+B)		**43,272,846**	**145,080,196**	**2,513,598**	**190,866,640**	**117,187,585**	**34,065,738**	**7,443,576**	**888,666**	**1,893,834**	**161,477,394**	**29,389,246**
Grant Unspent Balance		**43,577,901**										**34,292,320**
Grant Receivable		**(305,055)**										**(4,903,074)**
Previous Year (A+B) (2022-23)		**31,100,079**	**98,122,426**	**2,642,016**	**137,159,568**	**66,970,331**	**19,940,446**	**2,319,247**	**3,126,900**	**367,156**	**92,724,080**	**43,272,846**
Grant Unspent Balance		**47652016**										**43,577,901**
Grant Receivable		**(27,068,452)**										**(305,055)**




BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Schedule Forming Part of Financials as at 31st March, 2024

SCHEDULE-Q

1. Legal Status and Operation:

1.1. Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) has been setup by Ministry of Rural Development, Government of India as an autonomous charitable society registered under the Society Registration Act, 1860 having registration no. S/ND/351/2013 dated 10th December, 2013. PAN Number of BRLF is AACAB2971N.

1.2. The Society is registered as a tax exempted charity u/s 12A (Unique Registration No.:- AACAB2971NE20188 dated 24.09.2021) and obtained approval u/s 80G(5) (Unique Registration No:- AACAB2971NF20210 dated 24.09.2021) of the Income Tax Act, 1961 for a period of 5 years. (i.e. upto 23.09.2026)

1.3. The Society is also registered u/s 11(1) of Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and rules framed therein (Registration No. -231661787 Dt 08/05/2018) is valid for 5 years till 08.05.2023. The renewal of Registration under FCRA was granted vide letter no. 0300020322022 dated 11.03.2024 valid for a period of five years with effect from 01-04-2024.

1.4. Society has taken registration under GST vide GSTIN for the purpose of deduction of TDS u/s 51 of CGST Act, 2017.

1.5. The Society has also obtained CSR registration under MCA with registration number as CSR00001509.

1.6. Envisaged as supporting CSO projects focused on tribals, especially women's empowerment and livelihoods, BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women all over India. Concentrating in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning covering ten states of Odisha, Jharkhand, West Bengal, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana and Gujarat, its long term goals *inter alia* are providing grants to civil society organisations (CSOs) to meet their human resource and institutional costs for up-scaling proven interventions, invest in institutional strengthening of smaller CSOs and capacity building and development of professional human resources working at the grassroots.

1.7. Upto the financial year 2020-21, the aim of BRLF was to provide grants to civil society organisation (CSOs) to meet their human resource and institutional costs for up-scaling proven interventions, invest in institutional strengthening of smaller CSOs and capacity building and development of professional human resources working at the grassroots. After the Amendment of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, which disallowed sub-granting of FC funds to CSOs effective since 29th September, 2020, BRLF has decided to promote the objectives through self-implementation of activities.




2. Corpus Fund:

A Memorandum of Understanding (MoU) between Ministry of Rural Development, Government of India and Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) dated 13th January 2014 has been entered into to provide grants upto Rs. 500 crores for creating corpus, in two tranches subject to conditions laid down in the MoU. During the year 2013-14 the Government of India released Rs. 200 crore as first tranche of corpus fund on 5th March 2014 and the second tranche of Rs. 300 crores is to be released after two years on fulfilment of conditions prescribed in the MOU but the second tranche of Rs 300 crores is not received till date. In accordance with Grant conditions in MoU, no expenditure can be met from the corpus fund received from Government of India; however, the income arising out of the corpus can be utilized to fulfil the objectives of the Society. MoU also mandates review of BRLF and its programmes' impact assessment by the Government after five years and may take back the grant and may advise dissolution of BRLF in case the outcomes are not forthcoming as projected.

3. Summary of Significant Accounting policies:

3.1 Basis of preparation

The Society is maintaining its books of accounts on Historical Cost Convention Basis following the general accepted accounting principles prevalent in India (IGAAP) and accrual basis of accounting unless otherwise stated.

3.2 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions to be made, that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known or materialized.

3.3 Grant in Aid

Treatment of Grant in Aid has been made in the accounts as given below.

i. Earmarked Grants are recognised as Income on "Actual Utilisation Basis" and the remaining grant balances are carried forward for utilisation as liability in respect of Programs to be carried out/ conducted in subsequent year(s).




ii. Grants in the nature of Corpus are treated as Corpus Fund and only the income arising out of Corpus fund investments shall be utilized to fulfil the overall objectives of BRLF.

iii. Grants received for specific purposes are utilized for those purpose(s) only.

iv. Upto the financial year 2019-20, assets purchased out of grant amounts were treated as deferred income which is recognized in the profit and loss statement on a systematic and rational basis over the useful life of the assets. Such allocation may be in the proportion in which depreciation on related assets is charged. However, with effect from Financial Year 2020-21, fixed assets acquired through Project Grants during the year are charged off to Statement of Income & Expenditure. However, for exercising financial and quantitative control over these assets, they are shown in the Balance Sheet under 'Fixed Assets' at their depreciated value with a corresponding amount in the Asset Fund.

v. In view of FCRA amendments w.e.f. 29th September 2020, no amount of fund disburses to any CSO's for implementation of the FCRA project.

3.4 Interest Income Recognition

Interest on Deposits have been recognised on accrual basis and Interest of Savings Bank Account are recognised on Cash Basis. Interest earned on donor's fund has been treated as per the terms of MoU's with them.

3.5 Workshop Income

Income Earned on Workshops is recognised on cash basis.

3.6 Fixed Assets

A. Tangible Assets

Tangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment losses (if any). The cost of tangible assets includes inward freight, duties & taxes (non-refundable) and incidental & direct expenditure related to acquisition.

B. Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment (if any). The Cost of intangible assets includes duties & taxes and incidental & direct expenditure related to acquisition.

3.7 Depreciation

i. Depreciation has been provided on written down value method as per the rate specified in Income Tax Act, 1961. Depreciation on assets purchased and put to use for less than 180 days in a year charged at the half rate of depreciation specified in Income Tax Act.

ii. Upto the Financial Year 2019-20, depreciation of assets purchased out of Capital Grant have been treated as Non-Operating income and shown under "Miscellaneous Income". However, from financial year 2020-21, depreciation of assets purchased out of grant amount has been reduced from the Fixed Assets Value and corresponding amount is also reduced from Assets Fund.

iii. Cost of Intangible Assets (Software) is amortized on a straight line basis over their useful life of three years as estimated by the Management.

iv. Items, each costing Rs. 5000 or less, are fully depreciated in the year of acquisition.

3.8 Investments

a. **Investments**: Fixed deposits with banks which are intended to be held against corpus funds are considered as long term and disclosed under investments.

b. **Investments of Endowment Fund**: Fixed deposits with banks intended to be held against endowment funds also considered as long term investments and classified under Investment of Endowment Fund.

c. **Other investments**: Other fixed deposit with banks are classified as cash and cash equivalents as they readily convertible to a known amount of cash and are subject to an insignificant risk of changes in values.

3.9 Employee Benefits

i. Short Term Benefits:
Short term benefits like salary, allowances, ex-gratia, earned leave are recognised as expenses in the year in which related services are rendered.

ii. Defined Contribution Plan:
The Society makes defined contribution to Provident Fund scheme which are recognized in the Statement of Income and Expenditure on accrual basis.

iii. Defined Benefits Plan:

a. The Society has been providing its Liability towards Group Gratuity Scheme Policy of its Employees through funds invested with Life Insurance Corporation of India on accrual Basis, based on Actuarial Valuation and with compliance with Accounting Standard-15 (Revised) Employee Benefits.

b. Provision for Earned Leaves payable to employees is made for the leave which can be accumulated up to 11 days in a year subject to a maximum 66 days upto FY 2022-23, increased to 99 days in aggregate from FY 2023-24, beyond which employee may make encashment as per the Society's HR policy. The employees can encash a maximum of 10 days salary as Leave Encashment during the year calculated on Basic+HRA. Provision for Earned Leaves has been provided through investment in Life Insurance Corporation of India on accrual basis on the Balance of Leaves accumulated as on 31st March, 2024.

3.10 Impairment of Assets

The carrying value of assets at each year balance sheet date is reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor.

3.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. Provisions

A provision is recognised when the entity has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

ii. **Contingent Liability and Assets**

Contingent liability is a possible obligation that arise from past events and the existence of which will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the society, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resource embodying benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised. Contingent Assets are neither disclosed nor recognised.

3.12 Taxes on Income

No Provision for Income Tax is considered necessary as the Society is registered as a Charitable Institution under section 12A (a) of the Income Tax Act, 1961 and the society is complying with the conditions attached to claim exemption under section 11 and 12 of the Income Tax Act.

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Girish Yashwant Prabhune	Kuldip Singh	Suman Gupta
President	Chief Executive Officer	Chief Operating officer (Finance)

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Schedule Forming Part of Financials as at 31st March, 2024

SCHEDULE-B

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

1. In the opinion of the management,

a. Current Assets are stated at historical cost and would realise the stated values in the ordinary course of business, except otherwise stated.

b. BRLF had received Rs 10 Crores from Navajbai Ratan Tata Trust and Sir Dorabji Tata Trust contributing Rs. 5 Crores each towards Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships'. As per the grant conditions, the funds entrusted shall under no circumstances be in any manner diminished, drawn out, borrowed upon or merged with any other endowment fund of BRLF or any other organisation, divided, used as collateral, or in any way encumbered or any lien created thereupon or advanced in any manner whatever.

During the year, the Society has earned interest of Rs 90,76,051 /-(PY Rs 91,44,276) on Endowment Fund investment, against Endowment Fund received from Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development. Out of total interest earned, an amount of Rs 84,68,401/- (PY Rs 77,64,870/-) has been utilized during the year 2023-24.

As per Endowment Fund condition, 15% of the annual interest income received on the Endowment Fund or the unused portion of the income after meeting expenditure towards the objective of the grant, whichever is greater, shall be added to the Endowment Fund and be reinvested in the same manner as the Endowment Fund is invested. Accordingly, Rs 11,90,069/- (Previous Year Rs. 14,01,952/-) has been added to the endowment fund during the Year and Balance of the Fund has been Increased to Rs.1124.49 Lakhs as on 31.03.2024 from Rs 1112.59 Lakhs as on 31.03.2023.

c. BRLF had received Rs 9,95,76,172/- ($ 1,500,000) from Ford Foundation as Endowment Fund in the year 2016-17. As per grant condition, BRLF would be permitted to utilize a maximum of 90 percent of revenue earned from the Endowment Fund for the purpose to meet the operational cost and the remaining 10% of the Fund's income shall be re-invested in the Fund in annual fixed deposit.

During the year, the Society has earned interest of Rs. 89,84,361/-(Previous Year Rs. 91,45,233/-) on the Endowment grant received from Ford Foundation. Out of total

interest received, an amount of Rs. 9,05,000/- (Previous Year Rs 9,09,000) will be re-invested in the fund in fixed deposit by BRLF in the subsequent year.

d. BRLF had received a grant of Rs.306.65 Lakhs from Hindustan Unilever Foundation (HUF) on 30.12.2019 for implementing a high impact watershed project in state of Jharkhand.

Vide email dated 15.12.2022 HUF has granted extension for unspent balance of Rs 340.28 Lakhs (Including Interest on HUF Fund) as on 31.03.2022, which is to be utilized till 31st December 2023.Subsequently, no-cost extension for utilisation of Funds till 31st March, 2024 was approved by HUF vide email dated 15.01.2024, and further extended upto 30.09.2024 vide email dated 03.04.2024.

During the year 2023-24, amount of Rs. 259.47 lakhs were spent and interest of Rs. 16.61 lakhs (Previous year Rs. 19.55 lakhs) have been earned on saving bank Account. The remaining unspent balance of Rs. 90.46 lakhs as on 31.03.2024 whereas balance of Rs. 130.16 lakhs are lying in the saving Account and Rs.31.53 lakhs is Payable to Sundry creditors as on 31.03.2024.

e. Axis Bank Foundation has approved grant of Rs. 1500 Lakhs to BRLF for High Impact Watershed Project in Chhattisgarh Phase -II vide grant MoU dated 6th October 2022 for a period from October 2022 to September 2024. BRLF has received Rs. 708.51 Lakhs is received during the financial year 2023-24 and cumulative Rs. 1068.59 Lakhs till 31st March 2024. BRLF has incurred expenditure of Rs.783.96 Lakhs and cumulative Rs. 1069.89 Lakhs till 31st March 2024.

f. Axis Bank Foundation has approved grant of Rs. 2600 Lakhs to BRLF for Mega Watershed Project in Maharashtra vide grant MoU dated 21st June 2023 for a period from July 2023 to June 2028. BRLF has received Rs. 348 Lakhs is received and expenditure incurred Rs. 220.22 Lakhs (including Rs. 137.28 Lakhs incurred through CSOs) during the financial year 2023-24. Unspent Balance of Rs. 129.32 Lakhs has been shown as lability as on 31.03.2024 in the Balance Sheet.

g. SBI Foundation has approved grant of Rs. 405 Lakhs to BRLF for Mega Watershed Project in Jharkhand in partnership with MGNREGA vide grant MoU 1st December 2021 for a period from Sep 2021 to Dec 2024. BRLF has received Rs. 109.67 Lakhs is received during the financial year 2023-24 and cumulative Rs. 269.84 Lakhs till 31st March 2024. BRLF has incurred expenditure of Rs. 82.72 Lakhs (including Rs. 74.61 Lakhs incurred through CSOs) during the year and cumulative Rs. 230.91 Lakhs (including Rs. 209.94 Lakhs incurred through CSOs) till 31st March 2024.

h. Overspent amount on the project recoverable Rs. 49.03 Lakhs as on 31st March 2024 which comprises of Rs. 22.43 Lakhs outstanding from Shabri even though the project was completed and Rs. 26.60 Lakhs from MoTA.

i. Grants made to CSO Implementing partners are accounted for in the year of expenditure incurred by the concerned partners for implementation of project, awarded under grant agreement, on the basis of quarterly expenditure reports and finally settled on the basis of utilization certificates given by an independent-firms of Chartered Accountants or by the Management. At the end of project, if there is any un-utilized grants balance with partners, then it is deducted from the next grants amount to be paid to partners.

BRLF has disbursed an aggregate amount of Rs 2309.95 lakhs and utilised by the CSO partners aggregate amount of Rs 2215.01 lakhs (including Rs. 1042.90 Lakhs out of own source MoRD) during the year 2023-24 as per the audited UCs received from other independent firm of chartered Accountants.

Unspent balance lying with CSOs as on 31st March, 2024 Rs 213.19 Lakhs (Previous Year 129.16 lakhs) shown as "Other Current Assets-Schedule L" and amount payable of Rs.10.41 Lakhs (Previous Year Rs. 28.52 lakhs) to CSOs as on 31st March,2024 is shown as "Liabilities-Schedule F".

j **Employees Benefits**

i) Provident Fund

The Society is registered with the Regional PF Commissioner, Delhi and is making payment of employer's contribution and employee's deductions towards Provident Fund to the Regional PF Commissioner on Regular Basis.

ii) Gratuity & Leave Encashment

Defined Benefit plan - Gratuity & Leave Encashment plan (Funded):

Contribution towards BRLF's gratuity liability made to the Life Insurance Corporation of India (LIC) are adjusted against the gratuity liability determined by an independent actuary at the balance sheet date on the basis of "Projected Unit Credit Method" and the short fall, if any, is charged to the Statement of Income and Expenditure.

Actuarial gains and losses comprise experience adjustments and the effects of change in actuarial assumptions are recognized in the Statement of Income and Expenditure as income or expense in the year in which they arise.

A. **Gratuity & Leave Encashment plan:** The Society operates a gratuity plan wherein every employee, who has completed five years of service, is eligible for gratuity payment as per the group gratuity scheme of the Life Insurance Corporation of India. Principal actuarial assumptions in respect of provision for gratuity at the balance sheet date are as follows:

Particulars	As at 31 March 2024	As at 31 March 2023
Discount rate	7.25%	7.52%
Expected rate of salary increase	8.00%	8.00 %
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.52%	7.41%
Maximum Limit of the Gratuity Benefits	20,00,000	20,00,000
-No. of Employees	25	18
Yearly Accruals of Leaves	11	11
Maximum Accumulation	99	66
Demographic assumptions		
Retirement age	60 Years	60 Years
Mortality table	100% of IALM (2012 - 14)	100% of IALM (2012 - 14)
Withdrawal rates (%):		
Age		
Upto 40 Years	10.00%	10.00%
40-44 Years	9.38%	9.38%
45-49 years	6.25%	6.25%
50-54 years	3.13%	3.13%
55-60 Years	1.56%	1.56%

B. Defined Benefit Plan

(i) The following table summarizes the components of net benefit expense recognized in the statement of income and expenditure, the funded status and amounts recognized in the balance sheet for the plan:

(Amount in Rs.)

Particular	Gratuity		Leave Encashment	
	FY 2023-24	FY 2022-23	FY 2023-24	FY 2022-23
Opening liability	32,41,196	58,95,544	13,22,883	37,24,715
Add(Less):				
Current Service Cost	6,53,788	4,82,491	20,94,510	(4,97,571)
Interest Cost	2,07,729	3,18,263	1,63,555	1,48,814
Benefit Paid	(9,57,888)	(32,00,993)	(9,70,697)	(20,53,075)
Actuarial Gain/Loss	2,47,074	(2,54,109)	-	-
Closing Liability -Schedule-F	**33,92,097**	**32,41,196**	*** 27,18,810**	**13,22,883**
Less: Plan Assets-Schedule-L	**45,40,099**	**31,87,034**	**23,15,349**	**8,19,948**
Net Liability	(11,48,002)	54,162	2,84,902	5,02,935
Expenses recognised	**7,99,745**	**1,84,856**	*** 23,47,173**	**(4,97,571)**

*Two No. persons have left the organisation in the month of April 2024 but there data was not shared/included in actuarial valuation gratuity paid Rs. Nil and leave encashment Rs 1,18,559 included in the above table separately.

k. Remuneration and other Payments to Key managerial person Mr. Kuldip Singh is Rs. 55.77 Lakhs (Previous year Rs.55.69 Lakhs paid to Mr. Pramathesh Ambasta from 01.04.2022 to 01.01.2023 and Rs.14.60 Lakhs Paid to Mr. Kuldip Singh from 02.01.2023 to 31.03.203) during the financial year 2023-24.

l. BRLF has been issued with a certificate dated 12th June'2023 of 'No deduction of Tax' at source on interest income for the FY 2023-24 by the department under section 197 of Income Tax Act,1961 effective from 12th June'2023 to 31st March2024.

m. The Society is not having any contingent liability as on 31.03.2024

n. Figures have been rounded off to nearest rupees

o. Corresponding figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever necessary for better presentation and to make them comparable with the figures of the current year.

(Amount in Rs.)

S.no.	Head Office	Original		Re-Classified		Variance
		Amount	Sch.	Amount	Sch.	
1	Total Other Income	18,66,00,048	M	19,43,64,918	M	77,64,870
1.1	Interest on FDR's	18,15,79,787		18,93,44,657		77,64,870
1.2	Total Income	27,93,24,128		28,70,88,998		77,64,870
2	Expenses from Tata Trusts Endowment Fund	-	-	77,64,870	P	77,64,870
2.1	Total Expense	30,39,07,350		31,16,72,220		77,64,870

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Girish Yashwant Prabhune
President

Kuldip Singh
Chief Executive Officer

Suman Gupta
Chief Operating officer (Finance)





BRLF
भारत रूरल
लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन
सी–32, द्वितीय तल, नीति बाग, नई दिल्ली – 110049
दूरभाष संख्या: +91 11 4606 1935 फैक्स: +91 11 4101 3385
ईमेल: info@brlf.in